खण्ड-267, अंक-6
सोमवार, 3 श्रावण, शक संवत् 1888
(25 जुलाई, 1966 ई0)

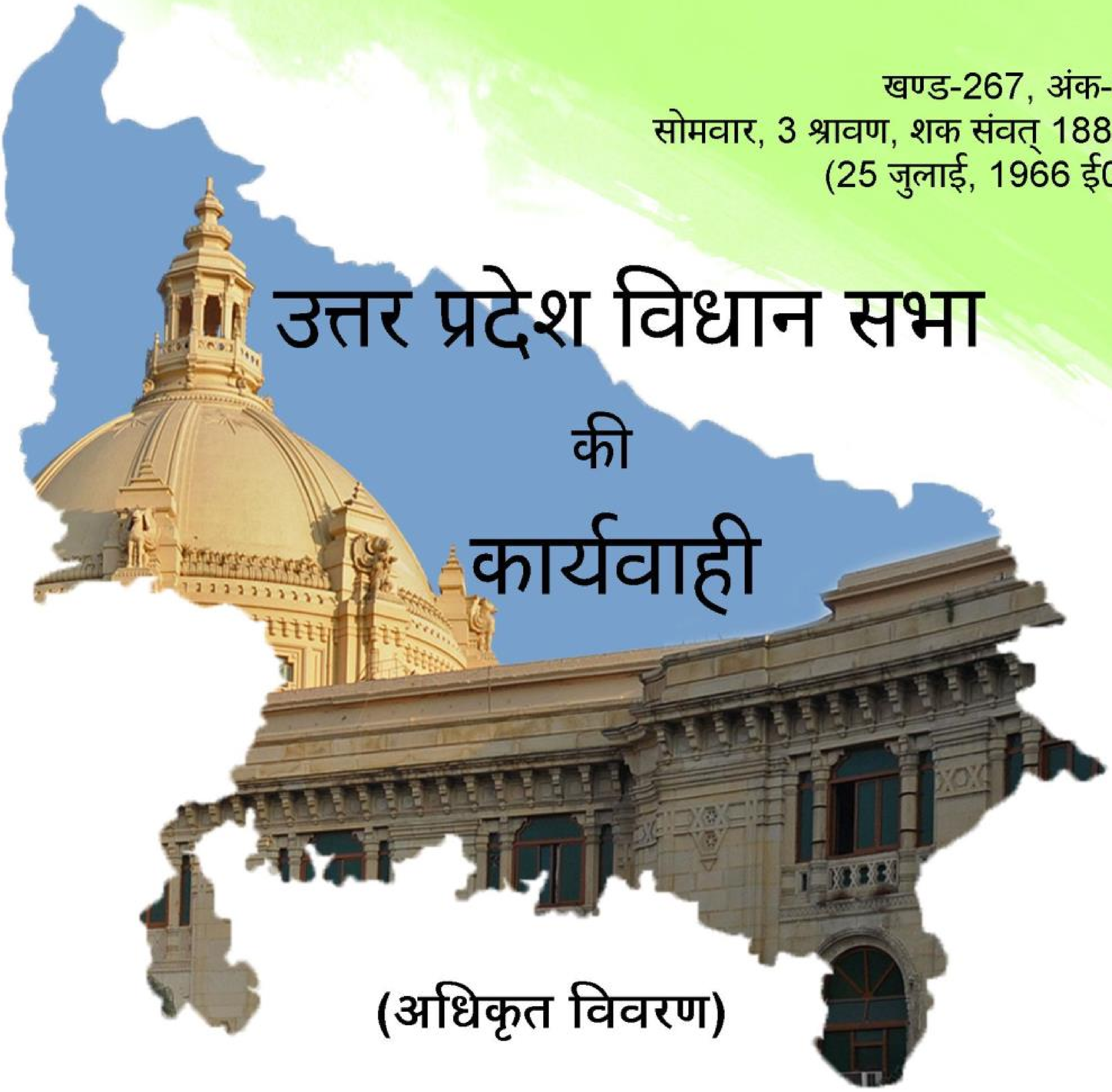

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 267 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २५ जुलाई, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरंभ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
ब्रजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भोखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री

रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)

अविभाजित सभा पटल

सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्राद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

कार्य,सूची में प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

आपकी आज्ञा से एक बात कहना चाहता हूं। आज की यह कार्य सूची हमारे सामने है जितने प्रश्न हैं, एक को छोड़कर, सारे स्थगित प्रश्न [.....] मन्तव्य से या किसी उद्देश्य से स्थगित किए गए हैं।

जो बिल हमारे सामने है इस पर जो हमने संशोधन दिए हैं वह एक भी छपा नहीं है। मुझे कुछ ऐसी शंका लगती है कि सरकार का कदाचित् उद्देश्य नहीं है कि हम असेम्बली बन्द कर दें। ऐसी स्थिति में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं [.....] अब सरकार इस पद्धति पर न उतरे जो हमारे प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन करे, असेम्बली न चलने दे या असेम्बली में हम अपने दुख दर्द को न कह सकें, दुखियों की आवाज को भी हम असेम्बली में न उठा सकें हम प्रजातांत्रिक ढंग न अपना सकें। इसके लिए हमें मजबूर न करें जैसा कि अन्य लोग कर रहे हैं। हमारी सरकार ऐसा वातावरण न पैदा करे कि [.....] जिसके लिए हम बहुत नम्रतापूर्वक प्रार्थना करेंगे सरकार से क्योंकि समस्या सुलझाने के लिए हर प्रयत्न हमने, श्रीमन्, किया। आजकी स्थिति यह हो गयी है कि केंद्र आज इंटरफियर करना चाहता है हमारे यहां के मामले में कि सरकार यह कोलैप्स कर रही है। कदाचित् भारतवर्ष के इतिहास में ब्रिटिश काल में.....

श्री अध्यक्ष--

यह तो बाद में आप कह सकते हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

बाद को मैं कहूंगा ही, लेकिन आप ही, के लिए कह रहा हूं कि ब्रिटिश काल में[.....] (व्यवधान).....आप कोई भी पग उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अपनी प्रेस्टीज पर डटे हुए हैं। आज तो सचमुच जिसको कहते हैं दि कांस्टीट्यूशन हैज ब्रोकन डाउन। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य चलना चाहिए। यह जो ठप्प हो जायगा, असेम्बली बन्द हो गयी, भगवान करे न हो लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[....] टेपरिकार्डर में खराबी के कारण लिखा नहीं जा सका।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

यह दुश्चेष्टा मालूम होती है उस कार्य को रखने से। मैं आगाह करता हूं कि हमें बाध्य न करें कि हम प्रजातांत्रिक ढंग छोड़ कर कोई अन्य ढंग अपनाने की सोचें। हमारा आपसे यही निवेदन है।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जब हमारे प्रदेश के कोने कोने में जनता के हृदयों में असंतोष की भावना उभर रही है, आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष फैलता चला जा रहा है और प्रदेश के मजदूर तथा किसानों के दिल में असंतोष की भावना उभर रही है तो क्या यह असेम्बली इस समय पीपुल्स बिल की रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं? जो प्रश्न बाहर हैं उसकी पूरी झलक यहां है। आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो बाहर हो रहा है उसकी पूरी झलक यहां प्रतिबिम्बित हो रही है आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

परसों जब इस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे तो मैंने आदरणीय सदन से निवेदन किया था कि जो प्रश्न आपको मंत्रियों या राज्य सरकार से करने हैं वह उस समय करें जब उसका समय आए। जो आज की सूची के अनुसार मद नम्बर ६ पर प्रश्न किए जा सकते हैं, वह मुझ से आप पूछ सकते हैं, और नम्बर ७ पर तो मंत्रियों से आप प्रश्न कर सकते हैं। यह मैंने व्यवस्था दी थी और सदन ने स्वीकार किया था। जो प्रश्न आप करना चाहते हैं मंत्रियों से, तो वे नम्बर ७ पर कीजिए और मुझसे नम्बर ६ पर किए जायेंगे।

श्री झारखण्डेराय---

श्रीमन्, मैं इसकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

जब मद ६ पर आयें तो पूछ लीजिए।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २५ जुलाई, १९६६

तारांकित प्रश्न

*१-३---श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

[स्थगित किये गये।]

चीनी तथा मिट्टी के तेल पर से कन्ट्रोल हटाने की मांग

*४---श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

क्या यह बात सही है कि सरकार चीनी तथा मिट्टी के तेल के वितरण में व्याप्त कठिनाइयों, भ्रष्टाचार और उपभोक्ताओं को समय पर पर्याप्त मात्रा में सामग्री न मिलने को ध्यान में रखकर नियन्त्रण हटाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

जी नहीं। इस समय चीनी की पूर्ति संतोषजनक है। सभी वर्ग के उपभोक्ताओं की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त चीनी पर नियंत्रण हटाना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। जहां तक मिट्टी के तेल का प्रश्न है नियंत्रण हटाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि इस समय प्रदेश में पूर्ति की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

*५--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या यह बात सही है कि चीनी व्यापारी संघ, कानपुर में अभी हाल में उक्त चीनी के वितरण संबंधी नियंत्रण को समाप्त करने हेतु सरकार से मांग की है और मुख्य मंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया है? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां, दि कानपुर शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन ने इस प्रकार की मांग की है। चूंकि मांग पूरी कराना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के बाहर की बात है इसलिए किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

श्रीमन्, जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि चीनी की स्थिति संतोषजनक है किन्तु जैसा कि वह कह रहे हैं उसके बावजूद प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्थित ढंग से चीनी नहीं मिल रही है तो क्या मंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं जिससे सभी परिवारों को ठीक ढंग से चीनी मिल सके?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

चीनी पहले २० हजार टन मिलती थी वह अपर्याप्त थी, अब २८ हजार टन हो गई है और डी० एम० को आदेश दे दिये गये हैं कि उनको जितनी चीनी की आवश्यकता हो वह ले लें और देहात मे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कुछ इस तरह की भी शिकायतें आई हैं कि देहातों में जिनके पास सरकारी चीनी बेचने के लाइसेंस हैं वे थोक व्यापारियों को चीनी का बोरा उठाकर दे देते हैं, जिसको कि वे ब्लैक में बेच लेते हैं और वह चीनी उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाती है? यदि ऐसी शिकायतें नहीं आई हैं। तो क्या मंत्री जी मेरी सूचना को आधार मानकर डी० एम० से इंक्वायरी कराने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने ब्लैक में चीनी बेची?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह शिकायतें गवर्नमेन्ट के पास आई थीं और गवर्नमेंट ने जिलाधीशों को हिदायतें दे दी हैं कि ग्रामसभा के प्रधान द्वारा वे इसको देखें और इस पर निगरानी रखें।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी कहा कि चीनी की हालत सन्तोषजनक है, तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यू० पी० में चीनी की मांग कितनी है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हमारा अन्दाजा है ३० हजार टन, ३० -३५ हजार टन के करीब चीनी मिल जाए तो कोई आवश्यकता ही न रहे।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष भी कानपुर चीनी संघ की ओर से ऐसी मांग की गयी थी और उस पर सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह उस पर विचार करेगी, तो पिछले वर्ष और इस वर्ष के बीच सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैं एक खास शहर के बारे में तो नहीं बता सकता। इसमें ऐसा विवरण नहीं है, लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं डी० एम० से कह रहा हूं कि 'उठाइये' 'उठाइये', लेकिन वे उठा नहीं रहे हैं।

श्री तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनको यह जानकारी है कि इसी लखनऊ में १ रु० १२ आने किलो चीनी ब्लैक में सरकार की नाक के नीचे बिक रही है ? खाद्य मंत्री जी इसे जानते हैं या नहीं ? यदि जानते हैं तो वे चोर-बाजारी रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मेरी जानकारी में यह है कि ब्लैक में कोई चीज नहीं चल रही है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

श्रीमन्, मिट्टी का तेल शहरों में तो थोड़ा बहुत मिल जाता है ब्लैक से या और अन्य तरीके से, लेकिन गांववालों को बिलकुल नहीं मिल पाता है। इसके लिये उनको डी० एम० को अप्लाई करना पड़ता है। क्या इसको हटाकर सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे कि उनको भी मिट्टी का तेल मिल सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैंने इसके लिये पहले भी कहा। इसके लिये मैंने यह कर दिया है कि ऐसे आदेश हैं कि जहां बिजली है वहां पर शहरों में मिट्टी का तेल कम और बिलकुल भी न दिया जाए, लेकिन गांवों में जहां पर बिजली नहीं है वहां पर मिट्टी का तेल अवश्य करके दें और अधिक मात्रा में दें। इसके खिलाफ यदि कहीं कार्यवाही हो रही है तो आप हमें लिख कर दें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

माननीय मंत्री जी ने प्रश्न ४ के उत्तर में कहा है कि यदि ३० हजार टन चीनी का स्टाक उन्हें मिल जाए तो सारी समस्या पूरी हो सकती है। २८ हजार टन का स्टाक इस समय मंत्री जी को मिल रहा है। केवल २ हजार टन की कमी है। तो क्या कोई ऐसी आप व्यवस्था करेंगे कि इस सिलसिले में २ हजार टन चीनी और मिल जाए और चीनी को फ्रीज किया जा सके और जिससे स्थिति सामान्य हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह तो बात केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। मैं तो नहीं कर सकता हूं। इसके अलावा यह बात तो मैंने नहीं कही कि ३० हजार टन ३० और ३५ हजार के बीच में हो जाए तो डिकन्ट्रोल किया जा सकता है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

मंत्री जी ने कहा कि चीनी की प्राप्ति थोड़ी अप्राप्त है, लेकिन ग्राम सभा केन्द्र को जो १६ बोरे चीनी जाती है और एक व्यक्ति पर एक छटांक भी चीनी नहीं पड़ती है दूसरी ओर मंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने जिलाधीशों को आदेश दे दिया है। तो क्या माननीय मंत्री जी अपने

कर्त्तव्य की पूर्ति इसी में समझते हैं कि जिलाधीशों को लिख दिया करें या यह भी व्यवस्था करेंगे कि पंचायतों के चीनी के कोटे को दुगुना कर दिया जाय और जिस प्रकार शहरों में व्यवस्था है उसी प्रकार देहातों में भी कार्ड द्वारा चीनी देने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं अपने कर्त्तव्य की पूर्ति इसमें नहीं समझता हूं कि खाली आदेश करके चुप बैठ जाऊं बल्कि काम भी करूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय विधायकगण अपने कर्त्तव्य को समझकर क्योंकि वे फूड ऐडवाइजरी कमेटीज के मेम्बर्स हैं अपने यहां की व्यवस्था करा लिया करें।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि देहातों में मिट्टी का तेल सरकार के माध्यम से जितना पहुंचता है उससे कहीं ज्यादा चोर बाजारिये वहां पहुंचाते हैं और वह बहुत अधिक कीमत पर बिकता है। अगर सरकार को इस बात की सूचना है कि डिस्ट्रीब्यूशन में इस प्रकार की अव्यवस्था है और उसको दूर कराने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पहले सीमेंट की बाबत भी मैं सुनता था, आज सुनता हूं कि पहले कुछ मिल जाता था लेकिन अब वह भी खत्म हो गया। कई माननीय सदस्यों ने मुझ से कहा कि फिर से कंट्रोल हो जाय। वही बात चीनी में है। हो सकता है कि वितरण में कुछ त्रुटियां हैं, मगर यथा सम्भव हमारा जैसा चरित्र है और जिस प्रकार के हम लोग हैं उसमें मैं समझता हूं कि काफी कोशिश की जा रही है कि देहातों में सही तरीके से जाय और गलत तरीके से न जाय।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जब से पंजाब में धर्मवीर जी शासनारूढ़ हुये हैं या राष्ट्रपति की तरफ से ४ दिनों के अन्दर उन्होंने ५ सौ होर्डर्स को पकड़ा है और उसका परिणाम यह है कि हर एक उपभोक्ता वस्तु का दाम ३३ प्रतिशत गिर गया है ? इस उदाहरण को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी भी कोई कदम उठाने के लिये तैयार हैं कि इस प्रकार उपभोक्ता वस्तुओं के होर्डर्स पकड़कर और उनपर सरसरी तौर पर मुकदमा चलाकर सजा दें ताकि वस्तुयें उपलब्ध हो सकें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अगर मुझे असेम्बली में न रखकर गवर्नर बना दिया जाय तो मैं भी कर दूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

गवर्नर तो अब भी हैं, असेम्बली भी है, तो क्या सरकार को गवर्नर के आदेश चलाने में कोई आपत्ति है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या गांववालों को मिट्टी का तेल १ बोतल, २ बोतल लेने के लिये इलाके के एस० डी० एम० के पास दरख्वास्त देनी पड़ती है और १८-१८ दिन तक उनको इंतजार करना पड़ता है। तो इस असुविधा को हटाने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कर रही है तो क्या कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक मेरा ख्याल है अगर ऐसा होता है तो गलत है क्योंकि आदेश तो यह है कि ग्रामों में जो अदालती पंचायतें हैं उनमें दूकानें खोली जांय और देहात वालों को वहां से वितरित हो। अब मैं समझा नहीं कि यह कहां से हो रहा है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या होर्डर्स के खिलाफ अभी तक कदम इसलिये नहीं उठाये गये हैं कि फंडों में और ४३ लाख का जो फंड अभी हुआ है उसमें वे रुपया देते हैं और क्या भविष्य के लिये भी उन्हें कुछ वचन दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पहले जब हमारा पंजाब के साथ जोन नहीं था अलग था। उस रोज तक होर्डिंग की एक परिभाषा बनी थी कि २०० या २५० क्विन्टल के ऊपर होर्डिंग मानी जायगी। जैसा मैंने माननीय सदन में बताया था कि कई आदमी इसमें गिरफ्तार किये गये और कार्यवाही हुई लेकिन अब चूंकि पंजाब के साथ हो गया है और हमारे साथियों ने सलाह दी कि पंजाब से मिला लेना चाहिये तो उस प्रतिबन्ध में तब्दीली कर दी है और अब पंजाब से एक हजार क्विन्टल तक अनाज गेहूं वहां से ला सकते हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जून के महीने में देवरिया में सप्लाई अफसर ने एक आदेश निकाला कि हलवाइयों को जितनी चीनी की जरूरत हो ये दरख्वास्त दें, उनको दी जायगी लेकिन जून के आखीर में यह कहा कि उनको चीनी के कोटे का ७५ प्रतिशत दिया जायगा, अधिक चीनी नहीं दी जायगी तो इस तरफ के सरकारी आदेश के खिलाफ देवरिया में आदेश क्यों निकला करते हैं इसका कारण मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जब चन्द्रबली सिंह जी ने मुझे बतलाया तो मैंने उनसे कहा कि जितनी चीनी की जरूरत वहां पर हो वह उनको दी जायगी। इसके अलावा अगर कोई बात हो तो वे लिखकर दें उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कानपुर के शुगर मरचेन्ट्स एसोसियेशन ने इस संबंध में स्मृति-पत्र दिया था कि चीनी से कंट्रोल खत्म कर दिया जाय और इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने विचार करने का वचन दिया था। तो उन्होंने इस कंट्रोल को खत्म करने के क्या सुझाव दिये थे और सरकार ने भारत सरकार को इसको खत्म करने के लिये क्या लिखा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से कहा गया था कि चीनी से कंट्रोल हटा लिया जाय तो उन्होंने इसको मुनासिब नहीं समझा कि कंट्रोल खत्म किया जाय। उन्होंने कानपुर से अपने सुझाव हमको दिये थे लेकिन यह हमारे अधिकार की बात नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मंत्री जी को न स्वयं की जानकारी है और न प्रदेश की जानकारी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि देहात में आपने परमिट और और लाइसेन्स दे रखे हैं, चीनी और मिट्टी का तेल बांटते हैं लेकिन वहां पर देहातों की दूरी ७, ८ मील है उन देहातों में मिट्टी का तेल और चीनी नहीं पहुंच पाती है तो वहां पहुंचाने के लिये आपका विभाग क्या कर रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह सुझाव स्टैंडिंग कमेटी में लोगों ने दिया था कि जहांतक संभव हो, हर गांव में इंतजाम हो जाय तो अच्छा है। लेकिन सब से बड़ी बात यह है कि कितना उपलब्ध है। मैंने बतलाया

कि ३० हजार लीटर की हम को जरूरत है और कुल १७ हजार मिल रहा है। जितनी औसत खपत है उससे काफी कम है तो मानी हुई बात है कि हम बहुत से देहात की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

मंत्री जी ने बतलाया कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चीनी है, लेकिन उस पर कंट्रोल हटाना सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में चीनी होते हुए भी देहातों में वह कम मिलने के कारण ब्लैक में बिकती है। तो क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से मांग करेगी कि उत्तर प्रदेश से चीनी का कंट्रोल हटा दिया जाय ताकि यह असुविधा दूर हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं काफी लिख चुका हूं। जब वह छोटी चीज नहीं मानते तो बड़ी चीज कौन मानेगा ?

*६-७—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

[पुनरावृत्ति के कारण अस्वीकृत किये गये।]

तराई क्षेत्र में चूहों का प्रकोप

*८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र में प्रतापपुर ग्राम के आस-पास के पूरे क्षेत्र में आज कल चूहों का बड़ा प्रकोप है जिससे पहली फसल नष्ट हो गई तथा यह भी नष्ट हो रही है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

माधवगंज टाउन एरिया चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

*९—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २५ जनवरी, १९६६ को माधवगंज, जिला हरदोई के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव हो गया ? यदि हां, तो उनसे चार्ज आज तक क्यों नहीं लिया गया ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—वाइस चेयरमैन ने चेयरमैन के पद का कार्यभार तो सम्भाल लिया था परन्तु भूतपूर्व चेयरमैन से चैक-बुक व आदेश-बुक प्राप्त नहीं हो पायी हैं।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के बाद भी वह अध्यक्ष का कार्य करते रहे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

वाइस चेयरमैन ने चार्ज ले लिया था और तब से वही कार्य कर रहे हैं।

श्री हिम्मतसिंह—

वाइस चेयरमैन ने कब चार्ज लिया और क्या यह सही है कि अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के बाद भी वह कार्य करते रहे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

वाइस चेयरमैन ने २५-३-६६ को चार्ज लिया था। अविश्वास का प्रस्ताव कब पास हुआ इसकी सूचना मुझे नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

अविश्वास का प्रस्ताव जनवरी में पास हुआ तो दो महीने तक वह कार्य कौन करता रहा?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो सूचना मैंने दी है उस के अलावा मुझे सूचना की आवश्यकता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर उस पीरियड में उन्होंने कोई काम किया है तो समस्त कार्यवाही को अवैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे, जैसे कि उन्होंने अप्वाइंटमेंट्स, इत्यादि के आर्डर्स किये हैं उनको अवैधानिक करने की कृपा करेंगे?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अब वाइस चेयरमैन का चुनाव हो गया है। जिलाधीश को लिख रहे हैं कि वह कानूनी कार्यवाही करके जो चार्ज की किताबें हैं वह उनसे ले ली जांय?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

मेरा उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि कानूनी कार्यवाही नये चैयरमैन करेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा निश्चित कहना है कि जब उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया तो उसके बाद अगर उन्होंने ५०,००० का पेमेंट करा दिया तो या तो उनके ऊपर परसनल लायबिलिटी फिक्स हो या उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय और उनका कार्य अवैधानिक करार दिया जाय।

वन मंत्री (श्री चरणसिंह)—

चेयरमैन साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं। जब उनके खिलाफ नो कान्फिडेंस मोशन पास हो गया तो स्टे ले आये, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गये, इसलिये चेयरमैन का चार्ज देर में दिया गया, दो महीने में।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप जब सवालों के स्थगन होने की आज्ञा दिया करते हैं तो उसका कारण आप सदन में बताने की कृपा करें कि किस कारण से स्थगित होते हैं। सरकार के मंत्री यहां मौजूद हैं, गैर हाजिर नहीं हैं, सारा सरकारी काम चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इन प्रश्नों के स्थगन का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष—

हम यह तो बिना पत्रावली के न बता सकें शायद।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या यह भी कारण है कि जो सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल है उसके कारण सरकार असमर्थ रही है उन प्रश्नों के उत्तर यहां देने में या अपने कार्यालयों से लेने में ?

श्री अध्यक्ष—

जब तक पत्रावली न देखूं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि जो कारण आप बता रहे हैं, वह ही हों।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

आपने जब प्रश्न २०–२१ रखे तो हम बीच-बीच में खड़े हुए, लेकिन आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आप दिला दीजिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उनका कहना यह है कि उन प्रश्नों को लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अगर मुझ से प्रश्न करने हैं तो जब मद ६ आवे तो कर लीजियेगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

हमने आपसे कहा कि दिलचस्पी है माननीय विपिन जी के प्रश्नों पर। अभी सवालों का टाइम है।

श्री अध्यक्ष—

आप किस प्रश्न में दिलचस्पी रखते हैं ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

६–७ में।

श्री अध्यक्ष—

मैं सभी लिये ले रहा हूं। ६–७ तो स्थगित हैं।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

*१०—सर्वश्री रघुवीरराम, (जिला गाजीपुर) झारखण्डेराय, (जिला आजमगढ़) दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर) तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

[स्थगित किया गया।]

*११—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

[पुनरावृत्ति के कारण अस्वीकृत किया गया।]

*१२—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

[स्थगित किया गया।]

जिला कृषि अधिकारी, फर्रुखाबाद के कार्यालय में धान प्रतियोगिता पुरस्कार देने में गलती

*१३—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनसम्पर्क अधिकारी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश से प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक १ फरवरी, १९५६, पत्र संख्या २/६६, ७ जुलाई, १९६५, पत्र संख्या, बिल पत्र संख्या एच० एल० १४६–६५, दिनांक २९ नवम्बर, १९६५ तथा श्री

रामेश्वर दयाल वर्मा का पत्र दिनांक ७ जुलाई, १९६५ धान प्रतियोगिता के इनाम न मिलने के संबंध के मिले हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हो रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

कार्यालय में विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण प्रश्न में दिये गये प्रति उत्तर (रिफ़्रेन्स) के संबंध में यह ठीक प्रकार से नहीं बताया जा सकता कि यह सभी पत्र जन सम्पर्क अधिकारी को प्राप्त हुए या नहीं। परन्तु पत्र संख्या एच० एल० १४६/६५, दिनांक २९-११-६५ का अवश्य प्राप्त हुआ, प्राप्त हुए पत्रों के आधार पर इस मामले में छानबीन की गयी जिससे विदित हुआ कि श्री मोहन की जगह पर तृतीय पुरस्कार त्रुटि से श्री जैनारायण सिंह वर्मा को दे दिया गया था। यह त्रुटि जिला कृषि अधिकारी, फर्रुखाबाद के यहां हुई इसके आधार पर जिला कृषि अधिकारी से उस पुरस्कृत धन को श्री जैनारायण सिंह वर्मा से वापस ले कर श्री रामेश्वर दयाल, जो मृतक श्री मोहन पुरस्कार विजेता के पुत्र हैं, देने को कहा गया है।

श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

यह इनाम इसको कब तक प्राप्त हो जावेगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अब तक पुरस्कार विजेता के पुत्र को प्राप्त हो गया होगा, निश्चित बताना सम्भव नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला लीनापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि वह धन उससे प्राप्त करने में कोई दिक्कत हो तो सरकार उस धन को अपनी ओर से दे दे और बाद में उस से ले ले।

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

यह रुपया वापस आ गया है। इसलिये अब कोई जरूरत नहीं है, वह रुपया उनको दे दिया गया है।

*१४—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[स्थगित किया गया।]

*१५—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) तथा श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

[स्थगित किया गया।]

जिला पूर्ति कार्यालयों के लिपिकों का वेतन क्रम

*१६—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि राजाज्ञा संख्या एम-१२८५/२९-सी-१-एम (८२)-६६, दिनांक १५ मार्च, १९६६, जिसमें जिला पूर्ति कार्यालयों के लिपिक व मुख्य लिपिक का वेतन-क्रम निश्चित किया गया था उसके पालन को, राजाज्ञा संख्या बी-५३८/२९-सी—१ (३१)-६६, दिनांक २३ मार्च, १९६६ के द्वारा रोक दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

जी नहीं।

*१७—१८—श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

[स्थगित किये गये।]

*१९—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी तथा श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[२रे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

अमरूद के वृक्षों में सूखे का रोग

*२०—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध फल अमरूद धीरे-धीरे अमरूद के वृक्षों में सूखे रोग के कारण नष्ट होता जा रहा है ?

*२१—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अमरूद के वृक्षों में सूखे रोग का क्या कारण है और उसकी रोकथाम के लिये सरकार ने क्या उपाय किया है ? यदि नहीं किया है, तो किन कारणों से नहीं किया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जैसा बताया कि सूचना एकत्र की जा रही है तो क्या मंत्री जी यह जानते हुये कि अमरूदों को खास करके और आम वगैरह दूसरे फलों को भी सूखा रोग लगता चला जा रहा है, क्या मंत्री जी उनको रोकने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जब तक कि सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती होती तब तक जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे हैं, उस पर कोई कार्यवाही करना कैसे संभव हो सकता है ?

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है । मेरे पूछने का तात्पर्य यह है कि सचिवालय में हड़ताल चल रही है तो यह कहां से प्राप्त की गई जब कि कार्य नहीं हो रहा है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह तथ्य आ गया है कि अमरूद की फसल सूखे से क्षतिग्रस्त हो चुकी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

रिपोर्ट आने पर ही जानकारी होगी । यह तो केवल माननीय सदस्य की सूचना है । इस आधार पर रिपोर्ट और जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

श्री जगदीश प्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने अपने विभाग द्वारा यह पता लगाया है कि किस जिले में सूखे से अमरूद को नुकसान हो रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

*२२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[२रे बुधवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

अमरीकी पत्रिका के स्टाफ रिपोर्टर, श्री जिम तथा 'पायनियर' दैनिक के श्री राव द्वारा सदन के अवमान किये जाने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष---

अब विशेषाधिकार के सम्बन्ध में माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने जो प्रश्न उठाया था उसको मैं अन्वेषण के लिये भेज रहा हूं। विशेषाधिकार के प्रश्न का सम्बन्ध सर्वश्री जिम और राव की घटना से सम्बन्धित है कि किन किन परिस्थितियों में तथा कैसे श्री राव तथा जिम कैमरा सहित प्रेस गैलेरी दीर्घा में प्रवेश कर सके। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम निश्चित करेंगे कि सदन का अवमान हुआ या विशेषाधिकार की अवहेलना हुई या नहीं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

आपने कृपा करके उस दिन कहा था कि विशेषाधिकार समिति इस पर भी विचार करेगी कि किसकी किस हद तक जिम्मेदारी है। आपने उस दिन कहा था कि वह जिम्मेदारी अधिकारियों तक सीमित रहेगी लेकिन आज आपने उसमें अपने को भी शामिल कर लिया है। अतः आप उन सीमित शब्दों का प्रयोग न करें।

श्री अध्यक्ष---

उस पर जो मेरी आज्ञा है उसको मैं पढ़े देता हूं---

"मैं कार्यालय की टिप्पणी से सहमत हूं। सर्वश्री मारविन जिम व राव की क्षमा याचना सदन ने स्वीकार कर ली है। इन दोनों का प्रेस दीर्घा में प्रवेश पाना, जब कि उनके प्रवेश-पत्र विशिष्ठ दीर्घा के लिये थे और साथ ही साथ मारविन जिम का कैमरा सहित वहां पहुंचना चिंताजनक विषय है। सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने आशंकायें व्यक्त कीं कि उक्त दोनों व्यक्तियों को कुछ अधिकारियों का सहयोग व सहायता प्राप्त थी।

चाहे किसी का सहयोग या सहायता प्राप्त न भी हो तो भी वर्तमान देश की परिस्थिति में और विशेष रूप से हमारे प्रदेश के वातावरण की दृष्टि से एक विदेशी पत्रिकार का प्रेस दीर्घा में कैमरा सहित प्रवेश करना इस प्रसंग व घटना को गंभीरता प्रदान करता है और विवश करता है कि हम इसका अन्वेषण करें कि कर्मचारियों की असावधानी से या किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग से या कैसे यह घटना घटित हुई।

संबंधित तथ्यों के निश्चयोपरान्त ही सम्भव हो सकेगा कि हम यह तय कर सकें कि कोई अवमान या विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न उत्पन्न होता है या नहीं। अतः मैं निम्नलिखित प्रश्न विशेषाधिकार समिति को अन्वेषणार्थ निर्दिष्ट करता हूं :

"किन परिस्थितियों में तथा कैसे श्री राव व श्री मार्विन जिम कैमरा सहित प्रेस दीर्घा में प्रवेश कर सके।"

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब आप एक निर्णय ले चुके और सदन उसके बारे में निश्चय कर चुका और उन लोगों ने सदन से माफी भी मांग ली और सदन ने उसको स्वीकार भी कर लिया, फिर दुबारा आप उस प्रश्न को क्यों उठा रहे हैं। मान लीजिये किसी व्यक्ति ने खून किया और उसको उसकी सजा मिल गयी तो फिर यह प्रश्न कहां उठता है कि उसने किस प्रकार से खून किया या क्यों किया। अतः वह सदन में कैसे आये, कैसे कैमरा लाये, ये प्रश्न अब कहां उठते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि इसको अब विशेषाधिकार समिति के सामने जाने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

जब यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति के सामने जायगा तो उसको इस कारण के आधार पर अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

हम तो उनके हम वतनों को तलाश कर रहे हैं।

श्री हलीमुद्दीन द्वारा श्री अध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक विशेषाधिकार का प्रश्न श्री राहत मौलाई ने प्रस्तुत किया है। उस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि हमारी परम्परा और पूर्व निर्णय इस बात को निश्चित रूप से निर्णय कर चुके हैं कि अध्यक्ष के विरुद्ध अथवा और किसी के विरुद्ध जिसके हटाये जाने का प्रस्ताव आ सकता है, उसके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं आ सकता। इस के लिये अगर आप चाहें तो ५२ से ६२ का संकलन पृष्ठ २२, ३१८, ३१९ व ३२७ देख लें। यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो सकता।

दूसरी बात यह है कि इस सदन में प्रवेश के लिये इस सदन के अधिवेशन के समय जितने प्रवेश-पत्र जारी होते हैं वह सब अध्यक्ष के आदेश से जारी होते हैं। तो जो भी घटना यहां गैर सदस्य द्वारा होगी उसमें अध्यक्ष आ सकता है, क्यों कि प्रवेश-पत्र उसकी अनुमति से ही जारी होते हैं। अब अगर किसी माननीय सदस्य का यह खयाल हो कि मैं किसी ऐसे षड यंत्र में शामिल हूं कि जिसके द्वारा इस आदरणीय सदन का अपमान होता हो तो उस दशा में मैं यहां इस स्थान पर बैठ नहीं सकता तो मुझे हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है लेकिन यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं लाया जा सकता। अब यह समाप्त हुआ।

श्री उग्रसेन द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

अब यह श्री उग्रसेन का विशेषाधिकार का प्रस्ताव है, इसमें उन्होंने शिकायत की है कि धारा १८८ आई० पी० सी० में उन्हें दस दिन की सजा दी गई जिसकी सूचना समय से अध्यक्ष, विधान सभा को नहीं दी गई यह नियम के खिलाफ है। मैं तथ्य बता दूं। १९ तारीख को हमें यह सूचना प्राप्त हो गई थी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह सूचना मिली है कि विधान सभा के सदस्य माननीय उग्रसेन को धारा १८८ भारतीय संविधान की अवहेलना के आरोप पर हमारे न्यायालय में मुकदमा चला और १५ जुलाई, १९६६ को निर्णय हुआ और उन्हें धारा १८८ में भारतीय संविधान का अपराधी पाकर दस दिन का साधारण कारावास का दंड आदेश दिया जा चुका है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मेरे मुकदमे में २३ तारीख लगी हुई थी, लेकिन १४ तारीख की बात है कि जिलाधीश नरेन्द्र बिहारी आये और उन्होंने कहा कि १५ को ही आपका केस होगा और १५ को ही अदालत में उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कुछ पहले से पता नहीं था और १५ को ही मेरा मामला लिया गया। लेकिन जब आपने श्री कमला सिंह यादव के प्रस्ताव पर कह दिया कि माननीय उग्रसेन का अदालत में मुकदमा चल रहा है, यह आपने १९ को कहा कि उनको यह बात वहां उठानी चाहिये। मुझसे लोग मिलने गये और जब मुझे वहां यह सूचना मिली और जेल में मुझे लोगों ने बताया तब कहीं मुझे यह सूचना मिली। लेकिन जब जिलाधीश को यह पता चला और मुख्य मंत्री और नरेन्द्र बिहारी लाल ने सोचा कि कहीं यह मामला विशेषाधिकार में न चला जाय उन्होंने बाद में यह तार भेजा है और इस तरह से जानबूझ कर सदन का अवमान किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी और मुख्य सचिव की साजिश से यह सब हुआ है। इसलिये या तो आप इस प्रश्न को अपने खिलाफ मान लीजिये क्योंकि १६ तारीख को सजा मुझे हो गई थी तो उसके बाद २४ घंटे में क्यों खबर नहीं दी और आपने जानबूझ कर क्यों छिपाया वर्ना आप नरेन्द्र बिहारी के खिलाफ केस को जांच के लिये विशेषाधिकार समिति के पास भेज दीजिये और उसकी रिपोर्ट आये वर्ना आप सफाई दें, आपको सफाई देने का समय है।

श्री अध्यक्ष—

जो आपने स्वयं लिखा है उसी के सम्बन्ध में मैं निर्णय दे सकता हूं ।

श्री उग्रसेन—

तो आपने उस दिन क्यों कह दिया था कि मुकदमा चल रहा है ? नरेन्द्र बिहारी लाल के काले कारनामे को छिपाने के लिये और के० के० दास और मुख्य मंत्री की साजिश से यह सब हुआ.....

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं ।

श्री उग्रसेन—

आपने १९ तारीख को ही.....

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं ।

श्री उग्रसेन—

आप कह दीजिये यही जनतंत्र है, हम तो बैठ ही जायेंगे ।

श्री चन्द्रबलीसिंह द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय चन्द्रबली सिंह जी की एक विशेषाधिकार की सूचना है । उन्होंने उसमें यह लिखा है कि- —"श्री राज्यपाल द्वारा १९६६ के विधान सभा उत्तर प्रदेश के द्वितीय सत्र १८ जुलाई, १९६६ से आरम्भ होने जा रहा है । इस आवाहन के १५ जून, सन् १९६६ से जारी होने के बाद जानबूझ कर बदनीयती से सत्र के प्रारम्भ होने के ८ दिन पूर्व गौरी बाजार, जिला देवरिया के ग्राम पथरहट से मुझे १० जुलाई, १९६६ को १२ बजे गिरफ्तार कर जिला जेल देवरिया में उसी दिन रात में लगभग ९ बजे बिना खाना-दाना दिये बन्द कर दिया गया ।

साथ ही जेल में बन्द करने के पूर्व न तो जुर्म बताया गया और न किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया । मुझे उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य को अवैधानिक तौर पर जानबूझ कर बदनीयती से बन्द करने में गौरी बाजार के दोनों दरोगा, दीवान, मुन्शी, डी० वाई०एस० पी०, गौरी बाजार, रुद्रपुर थाना क्षेत्र, परगना हाकिम, देवरिया, जिलाधीश, देवरिया, एस० पी० पुलिस, देवरिया की साजिश मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के इशारे पर है ।"

ये जितनी बातें माननीय चन्द्रबलीसिंह जी ने कही हैं, उनके बारे में जो सर्व-सम्मत सिद्धान्त हैं उन्हें मैंने इस आदरणीय सदन के समक्ष समय-समय पर रखा है । और वह यह है कि कोई कानूनी अनियमिततायें किसी मुकदमें के बारे में हों, या गिरफ्तारी के बारे में हुयी हों तो ऐसी अनियमितता का अदालत द्वारा ही अन्वेषण हो सकता है और निर्णय भी हो सकता है । अगर अदालत .....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आपको भी धोखा दिया गया है और सदन को भी धोखा दिया गया है । इसके बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री अध्यक्ष—

यदि आप इसी प्रकार बार-बार बिना बुलाये खड़े होते रहेंगे तो मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ेगा कि आप नियमों के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। इस समय यह प्रश्न नहीं है। कृपया आप बैठिये।

अब रहा बदनीयती का प्रश्न या मैलाफाइडी का, तो जैसा मैंने निवेदन किया, जब तक अदालत द्वारा यह निश्चय न कर दिया जाय कि किसी माननीय सदस्य के प्रति दुर्भावना के विचार से उन्हें बन्द किया गया है, यह बात जब तक अदालत द्वारा सिद्ध न हो जाय, विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो ऐसी सूरत में.....

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष जी, श्री उग्रसेन जी का कहना यह है ....

श्री अध्यक्ष—

यह तो चन्द्रबली सिंह जी का है। पहले मैं इसे समाप्त कर दूं। तो यह चन्द्रबलीसिंह जी की जो प्रार्थना है उससे विशेषाधिकार भंग नहीं माना जा सकता है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, हमें कम से कम सुन तो लीजिये। मेरा कहना यह है कि हमें २३ जुलाई को बिना मुकदमा चलाये ही छोड़ दिया और जब सत्र प्रारम्भ होने वाला था उस समय जानबूझ कर गिरफ्तार किया जिस से मैं विधान सभा की कार्यवाही में हिस्सा न ले सकूं। न मुझे जिला मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और बिना जुर्म बताये ही गिरफ्तार कर लिया और फिर मुकदमा भी नहीं चलाया। ऐसी सूरत में मैं किसी अदालत के सामने कैसे जा सकता था। मुझे जानबूझ कर रोका गया और ५ दिन तक विधान सभा के सत्र में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। इसलिये यदि आप इसे विशेषाधिकार समिति में सुपुर्द कर दें तो इसमें किसी का क्या बिगड़ेगा?

श्री अध्यक्ष—

इसमें तो बहुत बहस हो चुकी है। माननीय चन्द्रबली सिंह जी, मैं निश्चित रूप से जो अपना विचार था पहले प्रकट कर चुका हूं। अब उस पर अधिक बहस की गुंजायश नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मुकदमा नहीं चला इस पर जरा ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कहते हैं। यह बात तो माननीय कमलासिंह ने अपनी सूचना में उठायी थी।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

अगर किसी एम० एल० ए० को बिना कोर्ट में मुकदमा चलाये पकड़ लिया जाय और फिर छोड़ दिया जाय तो यह जनतंत्र प्रणाली पर कलंक है कि नहीं? एक एम० एल० ए० कह रहा है कि मेरे पर मुकदमा नहीं चलाया गया है और जेल में उसे बन्द कर दिया और अगर आपके सामने कहते हैं कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है तो कम से कम तथ्य को आप सामने आने दें। जब एम० एल० एज के साथ ऐसा होता है तो और जनता के साथ क्या होगा?

श्री अध्यक्ष—

अब देखिये मैं निवेदन कर दूं। यह प्रश्न तो माननीय कमलासिंह ने उठाया था उसके ऊपर मैंने निवेदन कर दिया। अब उसको पुनः उठाने से तो कोई लाभ नहीं होगा।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, आपकी अदालत है उसमें हम आये हैं। आप बतायें क्या किया जाय?

श्री कमलासिंह यादव द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष---

अब माननीय कमला सिंह ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। पी० डब्लू० डी० में १९ जुलाई, १९६६ को जो लाठी चार्ज हुआ था, उस घटना के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री व श्री बनारसी दास तथा गृह उप मंत्री ने सदन को २३ जुलाई, १९६६ को यह सूचना दी कि पी० डब्लू० डी० विभाग में कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, वह २२ जुलाई है २३ जुलाई नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

जब कि मुख्य अभियन्ता श्री भटनागर ने इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा लाठी चलाने की सूचना मुख्य मंत्री व श्री बनारसी दास तथा पुलिस मंत्री को दी थी। कल माननीय गोविन्द सहाय ने पुलिस द्वारा लाठी चार्ज होने की बात का समर्थन कहां लिखा है। अब इस सम्बन्ध में निवेदन है कि अपनी-अपनी सूचना के अनुसार सरकार द्वारा तथा इतर माननीय सदस्यों द्वारा इस सदन में बयान होता है। सूचनाओं में विभिन्नता होना स्वाभाविक है, किसी को कुछ सूचना है, किसी को कुछ अन्य सूचना है। अब अगर सूचनायें भिन्न-भिन्न हों तो प्रश्न केवल इतना उठता है कि क्या कोई सूचना यहां जानबूझ कर गलत बयान की मंशा से की गई और इस खयाल से कि सदन गुमराह हो? हमारे सामने जो निर्णय हैं वे इस प्रकार के हैं कि यह दिखलाना आवश्यक है कि जानबूझकर किसी तथ्य को छिपाया गया। माननीय कमलासिंह ने लिखा है, कल माननीय गोविन्द सहाय ने, पुलिस द्वारा लाठी चार्ज होने की बात का समर्थन लिखा है जो कांग्रेस सदस्य ही नहीं, प्रान्तीय कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेवार मंत्री भी हैं और इसका कोई खंडन सरकार की ओर से नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में सदन को उपरोक्त मंत्रियों द्वारा गलत सूचना दी गई है और सदन तथा हम सदस्यों के विशेषाधिकार की अवहेलना की गई है। अब उन्होंने तो अपने बयान में या अपनी सूचना में यह लिखा ही नहीं कि बदनीयती से जानबूझ कर गलत बयान किया गया है।

श्री कमलासिंह यादव---

एक प्रश्न उठाया गया। अब माननीय मुख्य मंत्री और बनारसीदास ने इस बात को स्वीकार किया सदन के सामने कि चोटें कुछ लोगों के आईं जो कि कर्मचारी थे। फिर उन्होंने इस बात से क्यों इंकार किया था कि लाठी चार्ज नहीं हुआ और अब सदन की कार्यवाही में यह भी आया कि चोटें आईं। चाहे कोई बात रही हो, लेकिन इतनी बात अवश्य है कि चोटों का बदन पर होना स्वीकार था सरकार को। अब सरकार को इस बात से इंकार है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ। एक मुख्य अभियन्ता हैं। उन्होंने भी मुख्य मंत्री को, बना सीदास और गृह मंत्री को इस बात की सूचना दी थी कि लाठी चार्ज किया गया और गलत तरीके पर किया गया। एक सदस्य जो यहां हैं विधान सभा के, उन्होंने कोई इंकार नहीं किया कि मैंने आंख से नहीं देखा, उनकी देखी हुई बात है या कोई विशेष परिस्थिति है जिसमें उनकी जानकारी है। उनकी जानकारी इस बात का प्रमाण है, द्योतक है कि लाठी चार्ज हुआ। एक सदस्य जब खुद इस बात को स्वीकार करता है कि लाठी चार्ज हुआ तो सरकार की तरफ से यह इंकार होना और सदन को गलत सूचना देना कहां तक उचित है? इस पर वि ार करना चाहिये। हर बात को लिख नहीं सकते। तथ्य छिपाये ग ये हैं। केवल यह लिख देना कि गलत सूचना दी गयी है इतना काफी नहीं है। इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द होना चाहिये जो निर्णय करेगी कि माननीय सदस्य ने गलत बात कही है या सरकार की तरफ से गलत बात कही गयी है।

श्री अध्यक्ष--

अब मुझे व्यवस्था देने दें। इस संबंध में मैं पहले निवेदन कर चुका हूं और फिर स्पष्ट कर दूं कि यदि सदन में केवल इस आधार पर कि अमुक व्यक्ति ने सदन के समक्ष गलतबयानी की है, विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न उठाया जा सके, तो प्रत्येक सदस्य पर दोष लगाया जा सकेगा। अपनी अपनी सूचनाओं पर बात कही जाती है। कभी कभी सूचनायें गलत भी होती हैं। तो इससे केवल सरकार ही नहीं बल्कि सदन के सदस्यों की मर्यादाओं और उनकी आजादी पर बाधा पड़ सकती है। केवल इसी आधार पर कि कोई कहे कि अमुक बात सही बात नहीं है किसी विषय को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय अन्वेषणार्थ, तो बड़ी परेशानी पैदा हो जावेगी। मौलिक बात यह है कि जबतक यह सिद्ध न हो कि जानबूझ कर किसी को गुमराह करने के लिये बात कही है, केवल गलत बयानी के आरोप पर विचार नहीं किया जाता है। फिर एक बात पक्की यह भी जरूर है कि जब यह कहा जाय कि जानबूझ कर गलत कहा गया है तो फिर उस समय आपको अध्यक्ष के सामने कोई ऐसे तथ्य रखने पड़ेंगे जिससे अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि वस्तुतः यह गलत बयानी जानबूझ कर की गयी है।

श्री चन्द्रबलीसिंह द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (क्रमागत)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

माननीय अध्यक्ष जी, कहने की मंशा यह है कि १५/१६ तारीख को देवरिया से तार दिया गया। मेरा ऐसा खयाल है कि आदरणीय विधान सभा में जब वक्त पर सूचना नहीं मिली तो जिलाधिकारी ने कितनी बड़ी लापरवाही की है, यह आप नहीं समझ सकते। इसलिये यह मामला विशेषाधिकार समिति के सिपुर्द होना चाहिये और वह कमेटी जो भी चाहे करेगी, जो उचित समझेगी वह करेगी। क्योंकि इस तरह से मान्यवर, जब रोज रोज यह काम होगा, माननीय सदस्यों को गिरफ्तारी के बाद दूसरे दिन जब सूचना न मिल पाये तो कितनी अराजकता इस प्रदेश में हो सकती है।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं निवेदन कर दूं। आप इसे देख लें। मैं १५ को यहां से सायंकाल चला गया। १६, १७ यहां था नहीं। इसमें जो मोहर पड़ी है पोस्ट आफिस की वह १५ जुलाई है। आप इसको देख लें। कोई इसमें शंका हो.....

श्री राधेश्याम शर्मा--

देवरिया से डाक १५ तारीख को जब छोड़ी जायगी तो १६ तारीख को पहुंचेगी..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब कार्य-स्थगन (व्यवधान) आप देख लें, फिर बात करिये। (व्यवधान) आप देख लें इसको।

श्री राधेश्याम शर्मा--

प्रक्रिया नियमावली यह है कि इमीडियटली कर दें। तुरन्त भेजना चाहिये। १५ तारीख को चला और आपके दफ्तर में पहुंचते-पहुंचते १६ तारीख हो गयी। इसलिये आपसे निवेदन है.....

श्री अध्यक्ष--

हमारे आफिस में इसे देख लें। तब बहस करें।

श्री उग्रसेन---

हमको मौका दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप देख लें इसे ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्रबली सिंह वाला आपने पढ़ कर सुनाया । इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि १० तारीख को पकड़े गये और २३ तारीख को छोड़ दिये गये । तो अदालत का गिरफ्तारी के बारे में कोई जुडिशल प्रोनाउन्समेंट नहीं हुआ । तब आप कैसे कह सकते हैं कि गिरफ्तारी वैध थी, कानूनी थी या गैरकानूनी थी या जानबूझ कर कोई कह दे ? यह सब फैसला कैसे हो गया ? इस संबंध में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

इस संबंध में नियम यह है कि अगर कोई क्रिमिनल चार्ज पर गिरफ्तार होता है तो कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ही नहीं उठता । अब आप खामोशी से सुन लीजिये ।

"Privilege of freedom from arrest does not extend to criminal charges and upon the same principle the internment of a member under regulations enabling the Home Secretary to detain persons in the interest of public interest or public safety or the defence of the realm does not constitute the breach of privilege".

विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न नहीं उठता जहां जनसाधारण की शान्ति व्यवस्था के सिलसिले में कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, चाहे वह डिटेंशन में हो, चाहे क्रिमिनल चार्ज में हो । अब यह प्रश्न समाप्त ।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र---

अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा है .....

श्री अध्यक्ष---

अब यह समाप्त हो गया ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

आपने जो व्यवस्था दी वह ठीक ही है । आपने सही कहा, लेकिन हमारा सवाल यह है कि माननीय चन्द्रबलीसिंह जी से थानेदार ने कुछ भी नहीं कहा कि क्या उनके खिलाफ आरोप हैं या क्या आपने जुर्म किया है और उनको पकड़ कर वहां पहुंचा दिया। मैं जानना चाहता हूं कि कि आपने कैसे कहा और कैसे समझ लिया कि वे शान्ति भंग करने या अमन व्यवस्था में गड़बड़ करने के कारण पकड़े गये ?

श्री अध्यक्ष---

अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव समाप्त ।

श्री उग्रसेन---

हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

अब यह प्रश्न समाप्त हुआ । (व्यवधान)

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

आप कह रहे हैं कि प्रश्न समाप्त हुआ वह इस तरह से समाप्त नहीं हो सकता है। यह चीज बहुत आपत्तिजनक है कि जब चाहे किसी माननीय सदस्य को बंद कर दिया और जब चाहे छोड़ दिया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सहदेवसिंह जी, आप बैठ जाइये।

श्री सहदेवसिंह—

आप यह बताइये कि पुलिस इस तरह से बंद नहीं कर सकती है। आप इसमें अपनी व्यवस्था दें। इस तरह से यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठ जाइये।

श्री सहदेवसिंह—

जो बात मैंने आपके सामने रखी है वह बुनियादी है। वह आपको सुननी चाहिये। जब चाहे चार्ज लगाये बिना मुकदमा चला दें और किसी माननीय सदस्य को १०-१५ दिन तक बंद रखें।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठ जाइये।

श्री उग्रसेन—

आप हमारे रक्षक हैं.....

श्री अध्यक्ष—

देखिये, जहां तक कार्य-स्थगन प्रस्ताव हैं.....

श्री उग्रसेन—

आप अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कीजिये। (व्यवधान)

श्री चन्द्रबलीसिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर विचार कीजिये कि मैंने ११ तारीख को....

श्री अध्यक्ष—

आप मुझसे मिल लीजिये, मुझे समझा दीजिये। मैं दुबारा विचार कर लूंगा।

श्री सहदेवसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये।

राजकीय कर्मचारियों तथा छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी, रामसुन्दर पांडेय, झारखंडेराय और भगवानसहाय जी का है। फिर एक दूसरा आया है माननीय रियासत हुसैन का और तीसरा माननीय उग्रसेन, काशीनाथ मिश्र, भगवानदीन, रतीपाल, शिवनाथसिंह का है। फिर माननीय रामकिशोर त्रिपाठी का भी है। २३ जुलाई, १९६६ को विभिन्न घटनायें जो लखनऊ में घटी हैं उससे संबंधित हैं। मैं माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी का पढ़ दूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

आपके पढ़ने से पहले में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं लेट आया। मैं शुरू में ही उठाना चाहता था। अध्यक्ष महोदय, जहां हमारी यह ऐडिमिनिस्ट्रेशन की सीट है और जहां से सरकार का सारा शासन संचालित होता है उत्तर प्रदेश में, और उसके सबसे बड़े आफिसर जहां तक जनतांत्रिक प्रणाली का प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष---

क्या प्रश्न है आपका ?

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं यही प्रश्न उठा रहा हूं कि जनतांत्रिक तरीके से सारे उत्तर प्रदेश में शासन चलाने की सबसे अधिक जिम्मेदारी आपकी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि २३ तारीख को उत्तर प्रदेश में.....

श्री अध्यक्ष---

यह तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव में आया है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

उसी के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---

मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव को पढ़ दूं तब आप व्यवस्था का प्रश्न उठाइये। बीच में वह नहीं आ सकता।

"२३ जुलाई, ६६ को उत्तर प्रदेश में १२ बार शान्त नागरिकों, कर्मचारियों तथा छात्रों पर....."

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष---

जरा शान्तिपूर्वक बैठिये।

"राज्य सरकार के संकेत पर प्रदेश में अमानुषिक, दमनपूर्ण ढंग से आतंक तथा भय का वातावरण उत्पन्न करने हेतु प्रदेश की राजधानी लखनऊ में २३ जुलाई, ६६ को उत्तर प्रदेश में १२ बार शान्त नागरिकों, कर्मचारियों तथा छात्रों पर अकारण, अविवेकपूर्ण तथा अन्धाधुन्ध लाठी चार्ज किये गये। परिणामस्वरूप ८० व्यक्ति घायल हुये जिनमें १० की दशा गम्भीर है। इन्द्रजीत नामक एक छात्र मेडिकल कालेज में अभी अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। हजरतगंज में सिविल डिस्पेंसरी में घुसकर पुलिस ने वहां कर्मचारियों तथा रोगियों की परिचर्या के लिये आये व्यक्तियों पर भी लाठीचार्ज किया। एक कर्मचारी तथा एक चपरासी की दशा चिन्ताजनक है। इससे जनता में घोर असंतोष एवं उत्तेजना का वातावरण है।" तथा इसी प्रकार माननीय रियासत हुसैन का है: "दिनांक २३ जुलाई, ६६ को निहत्थे विद्यार्थियों और नगरवासियों पर अनेकों बार लाठी चार्ज किया गया और भारी संख्या में उनकी गिरफ्तारी हुई जिनमें स्टेट बैंक और सेन्ट्रल बैंक के अहाते में घुस पुलिस का लाठीचार्ज भी इसमें शामिल है।" और माननीय उग्रसेन आदि का है। यह जो पहला माननीय माधव प्रसाद जी का है और उसमें माननीय रामसुन्दर पांडेय जी का भी है, माननीय झारखन्डे राय जी हैं, माननीय भगवान सहाय जी हैं। इसी तरह से माननीय उग्रसेन आदि का है, इसमें है---"२३ जुलाई, १९६६ को विद्यार्थियों एवं नगर के शान्तिप्रिय नागरिकों

पर दिन भर पुलिस ने लाठीचार्ज अनेक स्थानों पर किया। जिसमें करीब १०० के घायल हुए और श्री इन्द्रदेवसिंह, एम० ए० फाइनल एवं के० सी० तिवारी, एल-एल० बी० प्रिवियस के संघातिक चोटें आईं। करीब १०० के गिरफ्तारियां भी हुईं। विद्यार्थी शान्त थे और वे अपने विभिन्न कार्यों से रास्ते पर जा रहे थे मगर पुलिस ने उन्हें दौड़ाकर बिना पूर्व सूचना दिये बुरी तरह मारा। अस्पताल में उक्त छात्रों की हालत अत्यन्त चिन्ताजनक है। इसके फलस्वरूप आज नगर के सभी विद्यालयों में पूर्ण हड़ताल है और अत्यन्त उत्तेजना का वातावरण व्याप्त हो गया है। क्योंकि सरकार ने गत पखवारे के अपने कार्य कलापों से मानवता, न्याय एवं जनतंत्र की हत्या कर पुलिस राज का काम अपने हाथों में लिया है। इससे सारे प्रदेश का जनमानस हिल उठा है और एक अति भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है।" अब माननीय रामकिशोर जी का इसी प्रकार से है। इस संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत कई एक आए हैं। अब इसमें एक माननीय रामायण राय जी का भी है "दिनांक २२-७-६६ को कुछ हड़तालियों ने डिप्टी कमिश्नर, लखनऊ के बंगले के निकट सवारी बसों तथा पुलिस गाड़ियों पर भयंकर पथराव किया। फलस्वरूप यात्रियों को चोटें आईं, बसें क्षति ग्रस्त हो गईं। पुलिस अफसरों तथा उनकी गाड़ियों को भी चोट लगी तथा क्षति पहुंची है। फलतः जनता में भय तथा रोष व्याप्त हो गया है।" जहां तक इनका प्रश्न है, यह अविलम्बनीय हैं, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न हैं, इसमें कोई शंका नहीं। इसमें सब जितनी सूचनाएं हैं, उनमें अनेक घटनाओं का उल्लेख है। मैं समझता हूं कि इन सब पर इस आदरणीय सदन में चर्चा होनी चाहिये नहीं तो——

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)——

श्रीमन्, इसके पहले यह निर्णय दें, अगर आप अनुज्ञा देने वाले हों तो मैं कुछ न कहूं।

श्री अध्यक्ष——

नियम ५३ में ढाई घंटे की बहस होगी ....

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी——

श्रीमन्, इस वक्त भी लाठीचार्ज हो रहा है, मुझे अभी-अभी सूचना मिली है। मैं एक बात कहना चाहता हूं ....

श्री काशीनाथ मिश्र——

मेरा व्यवस्था का सवाल है ....

श्री अध्यक्ष——

नेता विरोधी दल खड़े हैं ....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी——

मुझे सुन लें। यह श्रीमन्, बड़े दुखः की बात है। आज की स्थिति जो पैदा हुई वह इस सरकार ने पैदा की है। कांग्रेस सरकार ने झूठ बोलकर इस प्रदेश की प्रतिष्ठा गिरा दी। सारे भारतवर्ष में ही नहीं सारे विश्व में उसने इसकी प्रतिष्ठा गिरा दी है। कर्मचारियों का मामला चतुराई से न हल कर सकने के कारण यह परिस्थिति पैदा हो गयी है। इनके मस्तिष्क का सन्तुलन खो गया है। इसका परिणाम यह है आज उनको यह नजर नहीं आता है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

वह कौन सा तरीका है जिससे इस प्रदेश में इस गड़बड़ी को रोका जाये। इस समस्या का सामना करने के लिये सरकार ने ब्रिटिश सरकार का रवैया अपना लिया है। मैं एक नतीजा निकालता हूं माननीय रामायणराय जी के नियम ५३ की सूचना से, उन्होंने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है। यह तो सच बोलेंगे नहीं, हमको सदन में बोलने नहीं देंगे। प्रेस वाले अगर वहां जायेंगे तो उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे इसलिये कि जैसा आप चाहें वैसा वह बयान छाप दें तो यह कहां का इन्साफ है। एक मंत्री का दूसरा बयान निकलता है और दूसरे का दूसरा बयान निकलता है। इस प्रकार से पुलिस इस हड़ताल के अन्दर हड़ताल करने वालों के साथ बरताव कर रही है जो जंगल का कानून कहा जा सकता है। अब उसने घरों के अन्दर घुसकर और दफ्तरों के अहातों में घुसकर मारना शुरू कर दिया है .....

श्री अध्यक्ष---

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नियम ५३ में इस पर बहस होगी तो २॥ घंटे का विवाद हो सकता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

नियम ५३ का इसमें कोई महत्व नहीं है। माननीय रामायणराय ने इस प्रकार की बात अपने प्रस्ताव में कह दी कि जो इस विषय को और भी पेचीदा बना देती है। मुझे कहते हुए शर्म लगती है कि एक जमाना था कि जब ब्रिटिश सरकार यहां पर मन्दिर मस्जिदों की पवित्रता को कायम रखने की कोशिश करती थी। आज हालत यह हो गई है कि शान्ति पूर्ण जनता पर सड़क पर चलते हुये भी लाठी का प्रहार किया जाता है। आज डी०सी० के बंगले के सामने जिस तरह से शान्ति का वातावरण था उसमें लाठी चार्ज किया गया। इसलिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में हमने इसको रखा है और हम यह समझते हैं कि इसको स्वीकार किया जाय जिससे हम यहां पर घटना का विवरण रख सकें। यह प्रदर्शन अभी तक अहिन्सात्मक रूप में हो रहे हैं लेकिन यदि प्रजातान्त्रिक ढंग को यह सरकार नहीं अपनाती है और इसी प्रकार से अपनी दमन नीति पर चलती है तो हम लोगों को विवश करती है कि हम दूसरा कोई मार्ग अपनायें। आज मुझे सूचना मिली है कि पी० ए० सी० ने इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर दी है कि जिससे इस प्रदेश में सर्विसेज के अन्दर आग लग गई है। यदि इसका प्रभाव सारे भारतवर्ष में फैल गया तो यह आग सारे देश में फैलेगी। अगर कांग्रेस सरकार इसकी जिम्मेदारी महसूस नहीं करती है तो विरोधीदल अपने कर्त्तव्य का पालन करेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे हितों के रक्षक हैं। अगर आप हमारी प्रतिष्ठा के रक्षक हैं तो बहुत नम्रता के साथ मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को आप स्वीकार करें।

(श्रीमती रोहतगी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपके सामने कार्य-स्थगन प्रस्ताव हैं या नियम ५२ के प्रस्ताव हैं तो आप यह नियम ५३ कहां से ले आये? जब किसी ने मांगा नहीं तो आप इस तरह की सदन में क्यों व्यवस्था दे रहे हैं?

*श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---

ऐसी भयंकर स्थिति आ गई है। प्रश्न यह है कि अगर प्रदेश में ऐसी स्थिति है तो किसी प्रकार से हम सब लोग एक हो कर उसमें सुधार कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि मान्यवर, जिस तरह की परिस्थिति है, हर घर, हर गांव में, हर जगह और सारे देश में इसी एक विषय की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चर्चा है कि आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मैं आप से निवेदन करना चाहती हूं कि आज यहां जो रोष और असंतोष है उसे हम लोगों को प्राथमिकता देकर उस पर चर्चा अवश्य करनी चाहिये। क्योंकि मुझे यह कहना है कि आज हम लोगों को पता चला है कि शायद १२ बजे हमारे निःसहाय बच्चे, अभी तक तो इम्पलाइज ही थे, अब हमारे छात्र भी किसी न किसी रूप में भले ही वह विरोधी दल के उकसाने से या किसी तरह से जलूस निकालना चाहते हैं (व्यवधान) अभी आपके नेता ने कहा था कि आप संतुलन न खो बैठें। मैं आप से निवेदन करूंगी कि आज संतुलन खोने का मौका नहीं है और मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि आज हम लोगों को अपना संतुलन रख कर इस प्रदेश की सरकार को खास कर अपना प्रशासन चलाना चाहिये और निःसहाय बच्चों को पृथक रख कर एक ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिये कि जिस से समस्या का हल निकल सके। और यह तभी हो सकता है कि जब हमारी मुख्य मंत्री जी हम लोगों को इस बात का मौका दें कि इस स्थिति पर विचार हो सके। तभी इस स्थिति में सुधार हो सकेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। जो स्थिति आज है उसे श्रीमन्, आप प्रदेश के अन्य अखबारों में भी पढ़ते हैं और हम लोग प्रदेश का कोना-कोना घूम कर आते हैं। इस प्रदेश के गांव-गांव में यह प्रचलित हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है। उसके सारे कायदे-कानून बेकार हो गये हैं। कामकाज दफ्तरों और कचहरियों में नहीं हो रहा है। ऐसी अव्यवस्था सारे प्रदेश में हो गयी है। सरकार के सारे कायदे-कानून खत्म हो गये हैं और इस हालत में सरकार को और जनता को सोचना चाहिये कि सही माने में कैसे यह सरकार चलेगी। यह मेरे सामने है, शायद आपके पास भी यह तार आया हो लखनऊ विश्वविद्यालय यूनियन का कि २५ तारीख को. . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहें।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं आता। अगर आप नहीं मानते हैं तो कृपा कर सदन छोड़ें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। वह अपनी बात समाप्त कर लें तो आप कहियेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि जब सारे प्रदेश में एक साथ १४४ दफा लगा दी गई है, संविधान में अधिकार मिला हुआ है देश की पब्लिक को अपनी मांगों के लिये शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर सकती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज लखनऊ में जब विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी सरकार के सामने अपनी तकलीफ को उत्तर प्रदेश के राज कर्मचारियों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है उसके सम्बन्ध में जलूस निकालना चाहते हैं, अपनी राय एवं क्षोभ को प्रदर्शित करना चाहते है और सरकार उसको रोक करके लाठी, गोली और मारकाट की धमकी देकर उसको रोकना चाहती है, मैं समझता हूं कि यह संविधान के विपरीत काम हो रहा है और जहां कुछ शिकायत करने की बात होती है वहां सरकार और उसके कर्मचारियों के अन्दर जो भाव होना चाहिये उसके विपरीत आज प्रदेश में आवाज उठ रही है। मैं स्पष्ट कहूंगा कि इस देश में, प्रदेश में, राजकर्मचारियों की समस्यायें हैं। उनको शान्तिपूर्वक, गम्भीरतापूर्वक बैठकर सुलझा दिया जाय, नहीं तो ऐसी आग लगेगी कि सरकार और उसकी फौज भी जनता के

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

सामने घुटने टेक देगी और फौज, पुलिस भी दो-तीन दिन के अन्दर ऐसा समय आने वाला है कि वह कहेगी कि हम लाठी-गोली इस जनता पर नहीं चलाने वाले हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि गम्भीरतापूर्वक, शान्तिपूर्वक बैठकर अपनी बात को भूलकर कि हम सरकार हैं, लोगों के सामने झुकेंगे नहीं, इस भावना को छोड़कर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

श्री अध्यक्ष---

रामसुन्दर जी, एक बात सुन लें। मैं आप से जानना चाहता हूं कि इतने कार्य-स्थगन प्रस्ताव हैं और उसमें कई घटनायें हैं। नियमतः कार्य-स्थगन प्रस्ताव एक ही घटना के सम्बन्ध में आ सकता है। अगर आप यह कहें कि एक आधारभूत विषय जो है वह यह है कि कर्मचारियों की हड़ताल और सरकार का रवैया उस हड़ताल के सम्बन्ध में, तो उस सम्बन्ध में हमारे सामने एक रोज चर्चा दो घंटे उस कार्य-स्थगन की हो चुकी है। अब यह कि एक ही कारण है। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल। उसकी प्रतिक्रिया विभिन्न रूपों में प्रदर्शित हो रही है। तो अलग-अलग घटनायें उसी से सम्बन्धित हो रही हैं। मैंने परसों भी, दो विषय कार्य-स्थगन में आये थे जो कर्मचारियों की हड़ताल के फलस्वरूप परिणामों से संबद्ध थे और मैंने नियम ५२ में स्वीकार किये थे। अब मैं बजाय २ घंटे के आपको ढाई घंटा दे रहा हूं .....

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, बात यह है कि सरकार की ओर से जवाब मिलना चाहिये .....

श्री अध्यक्ष---

हमारी बात सुनिये कि दो, तीन या चार दिन जो बहस की बात आप कहते हैं वह किस नियम के अन्दर आयेगा? जहां तक नियम ५२ था (व्यवधान) जरा हमारी बात सुन लीजिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव का जहां तक सम्बन्ध है, माननीय सुशीला रोहतगी ने कहा कि प्राथमिकता दी जाय। नियम है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव ४ बजे या अगर सदन का कार्य उसके पूर्व समाप्त हो जाय तो उस समय २ घंटे तक लिया जा सकता है, अब...

श्री उग्रसेन---

आप तो स्वयं विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली को निलम्बित करते चले आ रहे हैं .....

श्री अध्यक्ष---

मेरी बात सुन लें, कि नियम के अन्तर्गत.....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, एक निवेदन मैं आप से करूंगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी दलील देता तो कदाचित् मैं सोचता, मगर मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं, आप तो वकील भी हैं, आप इस पर अच्छी तरह से विचार करें। सरकार की पालसी के कारण आये दिन अनेकों घटनायें हो रही हैं। सरकार के संकेत पर आज बीसों घटनायें हुई हैं। जो आपने दलील दी है वह इसलिये दी है कि यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो सकता। आप इस पर पुनः विचार करें, आपने जो दलील रखी है उसमें कोई बल नहीं है। इसलिये मेरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता विरोधी दल, आपने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के परिणाम-स्वरूप जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उन पर आप चर्चा उठाना चाहते हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैंने कहा कि राज्य सरकार के संकेत पर प्रदेश में अमानुषिक दमनपूर्ण ढंग से आतंक तथा भय का वातावरण उत्पन्न करने हेतु.....

श्री अध्यक्ष—

नियमों में यह है कि "प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा" तथा "एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी"। "एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किये जायेंगे"। यह सब इसमें होना चाहिये। तो मेरा निवेदन यह है कि यह स्थिति पिछले ९ दिनों से चलती आ रही है। प्रत्येक दिन अलग-अलग घटनायें होती हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि अगर आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो वह सारी विभिन्न घटनाओं के बारे में नहीं ला सकते, आप किसी एक घटना विशेष के बारे में उसे ला सकते हैं। (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

२३ तारीख को जो लखनऊ के विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज हुआ है उस पर सदन में चर्चा हुई ही नहीं है। वह एक निश्चित घटना है। उस पर बहस होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं कब कह रहा हूं कि उस पर चर्चा न हो ?

श्री उग्रसेन—

वह मेरे प्रस्ताव में है। उस पर चर्चा होना चाहिये।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

गवर्नमेंट को कोई आपत्ति इस में नहीं है। मैं एडजर्नमेंट मोशन को वेलकम करती हूं, ४ बजे डिस्कशन हो।

श्री अध्यक्ष—

कोई आपत्ति इस बात की नहीं। चाहे किसी विषय पर और कितने विषयों पर चर्चा कर लें।

श्री उग्रसेन—

जो प्रस्ताव में है वह स्वीकार।

श्री अध्यक्ष—

हां।

श्री उग्रसेन—

मुख्य मंत्री तैयार हैं तो अभी से चर्चा हो। शुभस्य शीघ्रम्।

श्री अध्यक्ष—

समाप्त हुआ।

श्री उग्रसेन—

अभी से चालू होना चाहिये।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

राजस्व मंत्री के पास मैंने अवर्षण से सम्बन्धित जितनी सूचनायें नियम ५२ में आई हैं वे भेज दी हैं और माननीय शिवनाथ सिंह का भी छितौनी बांध के सम्बन्ध में भेज रहा हूं राजस्व मंत्री को ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट समय लेना चाहता हूं । १९ तारीख को जो मैंने अवर्षण के सम्बन्ध में सूचना दी थी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी । वहां पर चारे-दाने की हालत बड़ी खराब है । नहरों में पानी नहीं चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

वह सूचना मंत्री जी के पास भेज दी गई है । आप उन से मिल लीजिये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, छितौनी बांध के सम्बन्ध में मेरी भी एक सूचना थी । उस पर मेरे प्रश्नों का उत्तर भी तो आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

वह भी सम्बन्धित मंत्री के पास भेजी जा रही है ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

जहां तक छितौनी बांध का ताल्लुक है वह इर्रीगेशन विभाग से सम्बन्धित है । उसको वहीं भेज दीजिये तो अच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है । इर्रीगेशन को भेज देंगे ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव को प्राथमिकता देने के संबंध में प्रस्ताव

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, कार्य-स्थगन प्रस्ताव के मालूम हो जाने के बाद वातावरण शायद ठंडा हो गया है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और आज वे लौट आई हैं । उन्होंने कदाचित् विचार किया है कि यह जो राज्य कर्मचारियों की समस्या है इस सम्बन्ध में मैंने प्रयास किया और राज्यपाल महोदय के पास गया । उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री को बुलाकर बातचीत होगी । बातचीत नहीं हुई । जब पुनः गया तो उन्होंने कहा कि बनारसीदास जी को बुलाकर बातचीत करेंगे । उस पर भी सूचना नहीं मिली । उन्होंने जरूरत नहीं समझी बातचीत करने के लिये, उसके लिये मुझे कोई एतराज और शिकायत नहीं है क्योंकि हम उसी के पात्र हैं । क्या माननीया मुख्य मंत्री सारी परिस्थितियों को देखते हुये यह कहने के लिये तैयार है ताकि वातावरण ऐसा हो जाय कि राज्य कर्मचारी बात कर लें कि १४ की स्थिति जो थी वह हो जाय । वारन्ट जो हैं वे वापस ले लिये जायं, जितनी कार्यवाहियां हैं वे वापस ले लें और किसी प्रकार की इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करने का वचन दें और माननीय चरणसिंह जी की रिपोर्ट रख दें । बस इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं । मैं यह निवेदन इसलिये करता हूं कि कदाचित् यह स्थिति बदले और वातावरण ऐसा पैदा कर दें जिस से स्थिति ठंडी हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आप बात कर लें ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

आपने मंजूर कर लिया कामरोको प्रस्ताव। कोई निर्णय हो तो सदन स्थगित कर दीजिये बिना कामरोको प्रस्ताव के कोई रेगुलर बिजनेस नहीं चलता है।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं होगा।

(वित्त मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं जरा आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप नियम ११३ को देखिये।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

हमने संशोधन दिया है। इसमें छपा नहीं है। और आप कहते हैं कि व्यवस्था हो रही है, व्यवस्था कुछ नहीं हो रही है और न किसी का बयान निकला है। कितने रोज हो गये।

श्री अध्यक्ष—

टाइम बार हो गया होगा।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

टाइम बार कैसे हो गया होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, आप नियम ११३ को देखें। उसके अनुसार मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस वक्त जो कार्य हो रहा है उसको स्थगित कर दिया जाय और कामरोको प्रस्ताव को पहले ले लिया जाय। मेरा यह प्रस्ताव है। माननीय मुख्य मंत्री ने इसको स्वीकार कर ही लिया है। अब कामरोको प्रस्ताव पर बहस प्रारम्भ कर दी जाय।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

श्रीमन्, इसके लिये सूचना मांगनी होगी। माननीय रामसुन्दर जी पांडेय ने जो प्रस्ताव सदन के कार्य को निलम्बित करने के लिये रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना तो यह है कि नियम ११३ के अन्तर्गत सदन के कार्य को स्थगित कर दिया जाय। इसको सदन तय करेगा।

प्रश्न यह है कि विधेयकों के सम्बन्ध में जो सदन का सामान्य कार्य है उसको स्थगित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—६८,
विपक्ष में—१२१।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मुझे बहुत तकलीफ है कि इस छोटे से प्रस्ताव को सरकार के लोगों ने अस्वीकार कर दिया। इसलिये इसके विरोध में मैं ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, चौधरी हैदर हुसैन के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मुझे आज सदन के सामने एक दुःखद समाचार रखना है। हमारे लखनऊ शहर के बहुत पुराने और सम्मानित नागरिक, चौधरी हैदर हुसैन, बार-एट-ला, जो १९३५ से १९३७ तक इस सदन के सदस्य रहे, की कल आकस्मिक मृत्यु हो गयी। आप पार्लियामेंट के भी ६ साल तक मेम्बर थे और मुझे उस दरमियान उनके साथ काम करने का भी मौका मिला, व्यक्तिगत रूप से। आप बड़े सज्जन और निष्ठ भाव के थे। उनके भद्र व्यवहार से सब लोग मुग्ध रहते थे और जितने भी समय वे पार्लियामेंट में रहे उनके खिलाफ कोई आदमी नहीं रहा। अच्छे काम में वे सदा आगे रहते थे। आपने ला फैकल्टी में २० साल तक पढ़ाया भी है। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंक्वायरी कमीशन के भी मेम्बर थे और यहां की बहुत सी शैक्षिक संस्थाओं से वे संपर्क रखते रहे, सामाजिक कार्य में। उनकी मृत्यु से, एक बहुत सज्जन व्यक्ति, एक सम्मानित नागरिक, लखनऊ का चला गया। आज मैं सदन की तरफ से और माननीय सदस्यों की तरफ से उनके संतप्त परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति ज्ञापित करती हूं।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वर्गीय हैदर हुसैन साहब के बारे में जो अपनी भावनायें व्यक्त की हैं, मैं अपने को तथा अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। मुझे व्यक्तिगत जानकारी तो नहीं, मगर बहैसियत वकील के उनके साथ कार्य करने का मौका मिला था। वे बहुत योग्य बहस करते थे और बहुत मधुरभाषी थे। उनके बहुत ही सुन्दर व्यवहार ने मुझे बड़ा प्रभावित किया था। इसके अलावा वे एक समाजसेवी थे, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने बताया, हमारे बीच में से चले गये। किसी के कुछ भी अपने विचार हों, लेकिन आदर और स्नेह समाजसेवी के लिये समान भाव से रहता है।

हम सब को बड़ा दुख है और हम आप से प्रार्थना करते हैं कि हमारी यह भावना आप उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, माननीय चौधरी हैदर हुसैन साहब की प्रत्यक्ष जानकारी का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे लखनऊ के ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश के जन-जीवन के प्रमुख स्तम्भ थे। राजनैतिक जीवन में इतना सक्रिय और प्रमुख भाग न लेते हुये भी गैर राजनैतिक जीवन में भी उन्होंने अपने जीवन में एक प्रमुख भाग यहां के और लखनऊ के जीवन में एक बहुत अच्छा योगदान दिया है। स्वतंत्रता आन्दोलन या नागरिक स्वतंत्रता आदि के दूसरे सवालों पर जब कभी भी लखनऊ में या अन्यत्र आवाज उठती थी तो वह अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ अवसर अगुवा का रोल अदा करते थे। उनके निधन से लखनऊ के और प्रदेश के जनजीवन की बड़ी क्षति हुई है और निकट भविष्य में उसके पूरे किये जाने की बहुत आशा नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ जो भावनायें माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रकट की हैं और नेता अपोजीशन ने जो भाव प्रकट किये हैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी संवेदना को उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, चौधरी हैदर हुसैन का निधन होने पर जो जजबात नेता सदन ने और नेता विरोधी दल ने पेश किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हूं और आप से इस बात की उम्मीद करता हूं कि आप मेरी और मेरी पार्टी के जजबात उनके घर पर उनके परिवार के मेम्बरों तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से जो विचार नेता विरोधी दल ने प्रकट किये हैं उनसे अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। दरअसल इतने अच्छे समाज सेवक के उठ जाने से समाज का जो अहित होता है उससे सबको कष्ट होता है। मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार तक मेरे और मेरे दल के विचारों को पहुंचाने की कृपा करेंगे।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने जो विचार, चौधरी हैदर हुसैन के निधन के सम्बन्ध में प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि हमारे और हमारी दल की संवेदनायें, आप उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

चौधरी हैदर हुसैन साहब के देहावसान पर इस आदरणीय सदन द्वारा प्रदर्शित संवेदना से मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। उनके उठ जाने से एक प्रकाण्ड विद्वान, वकील, एक सामाजिक व्यक्ति और एक उदार हृदय नागरिक हमारे बीच से उठ गया जो कि हमारा और लखनऊ शहर के नागरिकों का पथ प्रदर्शन किया करता था। मैं अपनी ओर से तथा आपकी ओर से उनके परिवार को संवेदना भेज दूंगा और आप से प्रार्थना करूंगा कि चौधरी हैदर हुसैन साहब की दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये एक मिनट के लिये खड़े हो जायं।

(सब सदस्य अपने-अपने स्थान पर एक मिनट के लिए खड़े हुये।)

कतिपय विषय

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो नियम ५२ के अन्तर्गत आज बयान होने को था हाई कोर्ट के प्रश्न के ऊपर सोमवार की तिथि निश्चित हुई थी और उस पर वक्तव्य आज नहीं हो रहा है। उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

मुझे २२ तारीख को मंत्री जी ने एक पत्र लिखा था कि वह बाहर जा रहे हैं अतः २६ तारीख को रख दिया जाय। इसलिए कल के लिए रख दिया मैंने।

साप्ताहिक कार्यक्रम

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

श्रीमन्, इस सप्ताह का कार्यक्रम बतला दें।

श्री अध्यक्ष---

कार्य बन्द करने जा रहे हैं या नहीं, यह तो मुझे नहीं मालूम। क्या कार्यक्रम इस समय है ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)---

इस सप्ताह का कार्यक्रम इस प्रकार है :

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक १९६६ पर विचार एवं उसका पारण।
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार तथा उसका पारण।
(व्यवधान).....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

अब इस समय जो हो रहा है...

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति नहीं हुई है और इस बिल के लिए समय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तो जब तक कार्य मंत्रणा समिति समय निश्चित न करे उस समय तक बिक्री-कर चलता रहेगा क्योंकि नियम जो है वह तो यही है।

श्री अध्यक्ष--

नियम यह है कि जब कोई समय कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निश्चित नहीं हुआ है, तो फिर सदन जब तक बहस करे, करे।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६†

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा विधेयक है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट की धारा १५ में दिए गए संशोधन के अनुरूप.....

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह धन विधेयक है और इस में ज्ञापन पत्र नहीं है। न तो कोई जानकारी इसके अन्तर्गत मंत्री महोदय ने दी जिस से यह मालूम हो कि कितनी आमदनी होगी, क्या बात है? तो जब तक ज्ञापन-पत्र न हो तब तक यह विधेयक जिस रूप में मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष---

किस नियम के अन्तर्गत आपकी आपत्ति है?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

धन विधेयक पारित करने के जो नियम हैं उनमें ज्ञापन-पत्र आवश्यक है कि कितना व्यय होगा, कितना लाभ होगा।

श्री अध्यक्ष---

१२१ में ही है। धन विधेयक का क्या सवाल है, जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा और १ उस के आगे है विधायनी शक्ति का। तो १२१, १२२ के अतिरिक्त तो और कोई है नहीं। धन विधेयक का क्या सवाल है?

श्री कमलासिंह यादव---

जहां तक धन का सवाल है इस विधेयक से टैक्स बढ़ाया जा रहा है। तो टैक्स तो लगाया जा रहा है, अतः यह भी हो सकता है कि कुछ और अधिकारी इसमें रखे जांय और उन पर कुछ खर्चा हो। और यह चीज उसमें है कि राष्ट्रपति ने जिस तरह पर सेल्स टैक्स ऐक्ट अमेंड किया है उसी तरीके पर यह लाना चाहते हैं। ऐसे सर्कमस्टांसेज में राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन

---

†२२ जुलाई, १९६६ की कार्यवाही में छपा है।

की भी जरूरत पड़ सकती है। गवर्नर की रिकमेंन्डशन भी इसमें नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जब गवर्नर और राष्ट्रपति दोनों की स्वीकृत इसमें नहीं है तो आप ऐसी चीजों पर टैक्स नहीं लगा सकते जो कि केंद्रीय सरकार से सबंधित हों।

श्री अध्यक्ष—

आप देखें कि ज्ञापन का प्रश्न उस समय उठता है जब हम इस विधेयक में कोई ऐसी धारा या ऐसा ज्ञापन पायें जिसके अन्तर्गत अधिक व्यय होने की बात दिखलाई गयी हो। लेकिन इस विधेयक में ऐसी बात है नहीं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा निवेदन यह है कि व्यय होगा या नहीं होगा यह ही ज्ञापन से जान पाते हैं। जब भी कोई ऐसा विधेयक आता है तो हम ज्ञापन को देखते हैं। सरकार कहां कह रही है कि इसमें ज्ञापन की जरूरत नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त होगा उसमें वित्तीय ज्ञापन होगा। अगर इसमें ऐसी बात हो जिससे पता चलता हो कि इसमें व्यय होगा तब तो हो सकता है।

श्री कमलासिंह यादव—

यह सरकार बतलायेगी या आप बतलायेंगे ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अगर दो की जगह तीन फीसदी वसूल होने की बात है तो रुपया वसूल करने के लिए जो कर्मचारी आज हैं उनसे ड्योढ़े उसे वसूल करने के लिए रखने होंगे और उनको तनख्वाह देनी होगी। जब तनख्वाह देनी होगी तो व्यय होगा ही।

श्री जयराम वर्मा—

मैं कह रहा था कि केंद्रीय सरकार द्वारा सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट में जो संशोधन किया गया है उसके अनुरूप उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स में की गयी व्यवस्था को करने के लिए श्री राज्यपाल ने एक अध्यादेश जारी किया।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, आप जरा सदन की कार्यवाही बन्द करें और मंकी ब्रिज पर चलें। वहां लाठी चार्ज से हजारों विद्यार्थी धराशायी हो रहे हैं। पुलिस द्वारा वहां निर्दयता से लाठी चार्ज हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं १५, २० साल के, उन पर पुलिस किस निर्दयतापूर्वक लाठी चार्ज कर रही है। मैं चाहता था कि हाउस का काम बन्द करके आप जो सर्वोपरी व्यक्ति हैं, सदन की गरिमा को बचाने वाले हैं, वहां चल कर स्वयं स्थिति का निरीक्षण करें।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मेरा आपसे अनुरोध यह है कि सचमुच मैं महसूस करता हूं कि प्रजातंत्र खतरे में पड़ गया है। इस वक्त अध्यक्ष की गरिमा इसी में है कि वह मंकी ब्रिज पर चल कर देखें। वहां पर लड़के नदी में गिर सकते हैं, उन पर लाठी चार्ज हो रहा है, सरों से उनके खून बह रहा है उन पर अश्रु गैस छोड़ी जा रही है और हौज पाइप से पानी छोड़ रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि वह लड़के शांत जुलूस निकाल रहे थे और रघुपति राघव राजाराम महात्मा गांधी जी का जो परम प्रिय गाना था उसे गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। यह सब कार्यवाही हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस समय सिंबल हैं डेमोक्रेसी के। [.....] इनके हाथ

[.....] टेप रिकार्डर में खराबी के कारण टाइप न हो सका।

[श्री झारखण्डे राय]

में बिलकुल नहीं है। ये तो सब कत्ल कर चुके। इन्होंने तो पुलिस कैंप बना दिया है लखनऊ को। यू० पी० को कंसेट्रेशन कैंप बना दिया है और इन्होंने पूरे राज्य में पुलिस कायम कर दी है। तो आप हिम्मत कर के आगे बढ़ें। हमारी पूरी सद्भावनायें हैं आपके साथ। हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस हाउस को बन्द करके स्वयं देखें कि क्या हो रहा है सुचेता कृपालानी के इस राज्य में।

श्री अध्यक्ष---

माननीय झारखन्डेराय जी। मुझे कोई ऐसा नियम नहीं मालूम जिसके अन्तर्गत मैं सदन को स्थगित करूं कोई विशेष घटना को देखने के लिए। रहा यह कि एक निवेदन सदन से किया गया और सदन ने उसे अस्वीकृत किया। अब उसके हो जाने के बाद मैं सदन को कैसे स्थगित करूं जब एक हमारा अभी निश्चय हो चुका है कि सदन स्थगित नहीं होगा। तो यह मेरी समझ में नहीं आता। रहा यह कि सदन अगर चाहे कि उसे स्थगित किया जाय, तो कर सकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)...

श्री जयराम वर्मा---

श्रीमान् जी, केंद्रीय सेल्स टैक्स ऐक्ट मे केंद्रीय सरकार ने घोषित मामलों के संबंध में सेल्स टैक्स में तरमीम की है। यह हमारा जो संशोधन विधेयक है उसी का कांसीक्वेन्शल संशोधन है। उसी के अनुरूप करने के लिए यह है। इसमें अधिक से अधिक दर २ परसेंट थी, अब वह ३ परसेंट हो गयी है। इसमें न कोई खर्च बढ़ने वाला है, न कोई नयी चीज होने वाली है, न कोई और कर्मचारी रखे जाने वाले हैं। इसमें अभी तक केंद्रीय सरकार ने अपने ऐक्ट में एक सीमा बांध रखी थी कि हम २ परसेंट से ज्यादा कुछ मालों के ऊपर, जो घोषित माल हैं, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विशेष महत्व के घोषित किए गए हैं सेक्शन १४ में बिक्री-कर नहीं लगा सकते उसके बारे में केंद्रीय सरकार ने १५ सेक्शन में व्यवस्था कर रखी है कि ऐसे कुछ मालों के ऊपर दर क्या होगी सेल्स टैक्स की..... (व्यवधान) ऐसे जो घोषित माल हैं उन पर सिर्फ एक स्थान पर सेल्स टैक्स लगेगा और उसकी दर ज्यादा से ज्यादा २ परसेंट होगी। अबतक यह व्यवस्था थी। उसके अनुरूप हमारे ऐक्ट के सेक्शन ३ (कक) में व्यवस्था थी कि वह सेल्स टैक्स एक स्थान पर लगेगा और वह दर २ परसेंट से ज्यादा नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष---

इसका मतलब यह हुआ कि इसके ऊपर न कोई अधिक व्यय होगा...

श्री काशीनाथ मिश्र---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे शुरू में ही यह कहना चाहता था कि हाउस आफ कामन्स में ऐसी व्यवस्था हो चुकी है कि आसपास चारों तरफ जहां पर सेशन चल रहा हो और उसके आस-पास मिलिटरी का वातावरण हो, लाठी चार्ज हो रहा हो और त्रस्त वातावरण हो वैसी दशा में क्या सदन का कार्य चलाना जनतंत्र के अनुकूल है? क्या आप इसे चला सकते हैं? हाउस आफ कामन्स के स्पीकर ने कहा है कि जब चारों तरफ....

"Under the milittary spell and milittary patrol and armed constabulary it is against the dignity of the House to condiuet the business."

श्री अध्यक्ष---

वह दिखा दें तो....

श्री काशीनाथ मिश्र---

ऐसी हालत में जब चारों तरफ ऐसा वातावरण फैला हुआ है और एक माननीय सदस्य ने सूचना दी कि स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी प्रहार हुआ है और टीयर गैस उनके ऊपर चल रही है, जनतंत्र आजादी महसूस नहीं कर रहा है। क्या इस दशा में सदन का चलाना जनतंत्र और विधान सभा के अनुकूल है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

यह सदन तय कर सकता है, मैं नहीं कर सकता।

श्री काशीनाथ मिश्र---

आप अध्यक्ष हैं, आप जनतंत्र के प्रहरी हैं।

श्री अध्यक्ष---

जनतंत्र का मतलब यह है... (व्यवधान) आप कृपया बैठ जाइये। जनतंत्र का मतलब यह हैकि इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य जनतंत्र को चलाने के लिए हैं। अगर सदन चहता है तो सदन को बन्द कर दूंगा। अगर नहीं चाहता है तो सदन चले। जनतंत्र का मतलब यह नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष के विचार और उसकी इच्छानुसार सदन की कार्य-वाही चले और जनतंत्र की रक्षा हो।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, यह मखौल हो रहा है। जब जनतंत्र का मखौल होने लगे तो आप हस्तक्षेप करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

यह सदन का कार्य है, अध्यक्ष का नहीं है। आप कृपया बैठ जाइये और नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़िए।

श्री उग्रसेन---

क्यों सदन छोड़ें ?

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जाइये।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

जो प्रश्न आ चुका है उसकी दुबारा बात नहीं होगी।

श्री लखपतराम शर्मा---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने कहा है कि यह जो सदन चल रहा है यह अवैधानिक कार्य कर रहा है और मैं आपसे इस पर व्यवस्था चाहता हूं, आप इस पर अपना निर्णय दें कि मंत्री जी के बस्ते और कागजात पुलिस के सिपाही लेकर सदन में उपस्थित होते रहते हैं। ऐसी अवस्था में एक अव्यवस्था फैल चुकी है, आप बताएं कि किस कानून के अन्दर मंत्री जी के बस्ते लेकर वे आते हैं ? इसके बाद भी सदन की कार्यवाही को क्या आप व्यवस्थित बताते हैं, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

अब यह चीज तो यह सदन तय करेगा। माननीय वित्त मन्त्री (श्री लखपत राम शर्मा के खड़े होने पर) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठ जाइये कृपा करके।
(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

सेल्स टैक्स ऐक्ट जो इस सदन में पेश है और सदन और प्रदेश में जो स्थिति है क्या उसमें यह सदन चल सकता है ?
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए, आप इस समय खड़े मत हों, आप कृपा करके बैठ जाएं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

मैं आपकी इस व्यवस्था के विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री ब्रह्मदत्त मायर सदन छोड़कर चले गये।)

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष---

आपने दो प्रश्न उठाए उनका उत्तर मिल गया, अब आप बैठें।

श्री कमलासिंह यादव---

अब तीसरा प्रश्न उठा रहा हूं। यह आर्डीनेंस माननीय गवर्नर महोदय ने २३ दिसम्बर, १९६५ को जारी किया और उसके बाद मई मास में सदन बैठा था। दिसम्बर, ६५ के बाद मई में यह सदन बैठा था और उसके बाद यह सदन उठ गया था।

एक सदस्य---

आप यह क्या कह रहे हैं ?

श्री कमलासिंह यादव---

जो मैंने देखा ठीक उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं। मैंने देखा है, मेरे पास है और आपके कार्यालय से प्राप्त हुआ है। अध्यादेश बिक्रीकर, १९६६ का इसमें यह है...

श्री अध्यक्ष---

आपकी आपत्ति क्या है ?

श्री कमलासिंह यादव--

सुन लीजिए। २३ दिसम्बर, १९६५ को यह आर्डीनेंस जारी हुआ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने...
(व्यवधान)

जरा सुन लीजिए। देखें, जब आप लोगों में यह क्षमता नहीं है तो विरोधी दल से आप कैसे उम्मीद करते हैं, उनसे यह कैसे हो सकता है ? इसमें दिया हुआ है, हेडिंग में...

श्री अध्यक्ष---

अध्यादेश किस तारीख में हुआ है ?

श्री कमलासिंह यादव---

२३ दिसम्बर, १९६५ को।

श्री जयराम वर्मा---

यह अध्यादेश ३० जून, ६६ को जारी हुआ और ६ जुलाई से लागू हुआ।

श्री अध्यक्ष---

अब यह खत्म हुआ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

अगर मंत्री महोदय का बतलाना सही है तो जो प्रतियां हमको दी गयी हैं वह गलत क्यों दी गयी है ? प्रतियां ठीक दी जायं और उसके बाद इस पर बात हो।

श्री अध्यक्ष---

आप जो बात कर रहे हैं उसका इस अध्यादेश से ताल्लुक नहीं है। वह कहते हैं कि यह ३० जून को जारी हुआ।

श्री कमलासिंह यादव---

आपको एक बात सोचना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

आप एक बात बता दीजिए।

श्री कमलासिंह यादव---

मेरी बात तो सुनें। आप अपनी ही बात करते हैं। छपा हुआ अध्यादेश आपने हम लोगों को दिया। हमारे सामने वह चीज है। उसके बाद यह विधेयक लाया गया। जबानी यह बात कह दी कि यह जो लिखा हुआ है वह गलत हो गया और उनका जो ओरल कहना है वह ठीक है। अब जो लिखा है वह गलत है जो ओरल कहा जाय वह ठीक हो तब तो मैं समझता हूं कि यह विधेयक आ ही नहीं सकता और इस गलत सूचना के आधार पर मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए नोटिस देता हूं माननीय मंत्री के खिलाफ। दूसरी चीज यह है कि जो मेरा ऐतराज है वह सुन लीजिए। मेरा कहना यह है कि संशोधित अध्यादेश जो हम लोगों को दिया गया है....

श्री अध्यक्ष---

देखिए, यह विधेयक उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ कहलायेगा। अब निरसन तथा अपवाद है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, ६६ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

श्री जयराम वर्मा---

यह (२) में लिखा है कि ६ जुलाई से यह आरंभ होगा।

श्री अध्यक्ष---

और इसमें लिखा है कि इस निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश में जहां कोई कार्य या कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम ६ जुलाई, १९६६ को प्रारंभ हुआ हो। (व्यवधान) वह तो दूसरी चीज है...

श्री कमलासिंह यादव---

हमें पहली जुलाई या ३० जून को मिला ।

श्री अध्यक्ष---

आप वह तो कह सकते हैं, लेकिन और कोई बात उससे होती नहीं ।

श्री कमलासिंह यादव---

तो वह दिलवाइये हमें ।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा पहले सुन तो लूं कि आपको क्यों उसकी जरूरत है ?

श्री कमलासिंह यादव---

इसलिए जरूरत है कि यह पहले छपा और इस विधेयक के जरिए आप उसका निरसन करावेंगे और हमको वह मिलेगा नहीं और इस तरह से जनतंत्र के और नियमों के खिलाफ आप काम कराना चाहते हैं तो हम कैसे मानें ।

श्री अध्यक्ष---

वह बाद में गजट में छपा होगा, तो फिर ठीक है ।

श्री दयाराम शाक्य---

हम लोगों को अध्यादेश की जो कापी दी गयी है उस के बाद अब यह कहा जा रहा है कि अध्यादेश सन् ६६ का होगा और यह बिल्कुल असत्य बात कही जा रही है । जब यह छपी कापियां अध्यादेश की हैं जो हम लोगों को दी गयी हैं उसके होते हुए हम यह कैसे मान लें कि जून सन् ६६ का है ?

श्री कमलासिंह यादव---

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में शर्म आती है कि जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें दिया गया है नम्बर ३ । उसमें आप देखें अध्यादेश नम्बर ३, सन् १९६६ लिखा है ।

श्री अध्यक्ष---

उसको आप पढ़ लीजिये । उसमें लिखा है कि यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा ।

श्री कमलासिंह यादव---

इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३ सन् १९६६ । यह मैंने आपके सामने पढ़ दिया है । यह इसमें दिया है इसको मैंने पढ़ दिया ।

श्री अध्यक्ष---

तो फिर आप कैसे कहते हैं कि दिसम्बर, १९६५ ?

श्री कमलासिंह यादव---

यह इसमें लिखा है । मैं जबानी बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---

इसमें जो प्राविधान है वह यह है कि यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तिथि निश्चित करे । अब यह प्रश्न रह गया कि यह कब से प्रवृत्त होगा, तो यह अब ६ हफ्ते के अन्दर सदन के समक्ष आ रहा है । इसको वह निरस्त कर रहे हैं ।

श्री कमलासिंह यादव—

२३ दिसम्बर, १९६५ को यह गजट में प्रकाशित हुआ। उस दिन इसका इन्फोर्समेंट हुआ। सदन बीच में मई में बैठा था। उसके बाद फिर उठ गया। तो अगर वही संख्या ३ सन् १९६६ अध्यादेश को यह सरकार चाहती थी तो जब सदन बैठा था उस समय पास कर सकती थी और ६ ह ते के अन्दर उसको पास कर सकती थी। वह अध्यादेश सरकार ने नहीं रखा। अब दोबारा अध्यादेश का एलान सरकार न करे तो यह विधेयक नहीं आ सकता है। यह अध्यादेश लागू नहीं हो सकता है।

दूसरी चीज यह है कि इस विधेयक के अन्दर संख्या ३, सन् १९६६ के अध्यादेश का जिक्र है। यह मैं जबानी नहीं कह रहा हूं। यह इसमें लिखित है। कागज में लिखा है। इसलिये जिस रूप में यह विधेयक रखा गया है चूंकि यह अध्यादेश खत्म हो चुका तो खत्म होने के बाद यह विधेयक नहीं आ सकता है क्योंकि यह ६ हफ्ते की मियाद इसके लिये समाप्त हो गई।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमान् जी, जिस अध्यादेश की जगह पर यह विधेयक लाया गया है वह ३० जून, को जारी हुआ था। उसमें व्यवस्था यह हैकि यह उस दिन से लागू होगा जो सरकार गजट में निश्चित करे। तो सरकार ने ६ जुलाई निश्चित की है और ६ जुलाई, ६६ से वह अध्यादेश लागू हो गया। तो अब उसके स्थान पर यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

श्री कमलासिंह यादव—

हमको इसकी नकल तो दिला दीजिये। अगर आप इतनी भी हमारे लिये व्यवस्था नहीं कर सकते कि हम लोगों को अध्यादेश या विधेयक की नकल ही मिल जाया करे तो हम फिर यहां पर बैठकर क्या करेंगे।

श्री दयाराम शाक्य—

इसमें ज्ञापन पत्र के ऊपर लिखा हुआ है कि दिसम्बर, ६६, तो इसको पढ़कर सुना दिया जाय कि उसकी क्या भाषा है।

श्री अध्यक्ष—

ज्ञापन-पत्र जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है जिन के कारण उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ जारी किया गया। सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ (ऐक्ट संख्या ७४, १९५६) की धारा १४ के अधीन, कुछ माल अन्तर्राज्यिक व्यापार या व्यवसाय में विशेष महत्व के घोषित किये गये हैं। ऐक्ट की धारा १५ में ऐसे माल पर कर आरोपित करने के संबंध में राज्य सरकार के अधिकारों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं। उक्त धारा ऐसे माल के संबंध में अधिकतम कर निर्धारित करती है। १ जुलाई, १९६६ के पूर्व यह अधिकतम कर २ पैसे प्रति रुपया था। तदनुसार उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ ई० (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं० १५, १९४८ ई०) की धारा ३ (कक) में जिस में, घोषित माल पर कर लगाने के लिये उपबन्ध है, यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त माल पर कर की अधिकतम दर दो पैसे प्रति रुपया होगी। १ जुलाई, १९६६ के सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ की धारा १५ में दी गयी कर की अधिकतम दर, फाइनेंस ऐक्ट, १९६६ की धारा ५१ द्वारा बढ़ा कर प्रति रुपया तीन पैसे कर दी गयी थी। चूंकि राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था इसलिये धारा ३ (कक) में आनुषंगिक संशोधन, उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ (उ० प्रदेश अध्यादेश, संख्या ३, १९६६) प्रख्यापित कर के किया गया।

अब माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं कि जो ब्रैकेट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने भारत का संविधान के अनुच्छेद २१३ (१) के अन्तर्गत दिनांक २३ दिसम्बर, १९६५ को प्रचारित किया और दिनांक २३ दिसम्बर, १९६५ के उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में

[श्री अध्यक्ष]
प्रकाशित हुआ। यह १९६५ में यहां प्रकाशित हुआ और सेंटर का यह ऐक्ट १९६६ का है तो यह पहले कैसे प्रकाशित हो सका ?

श्री जयराम वर्मा--

यह गलती मालूम पड़ती है गजट में। यह गलती कहां हो गयी है इस का पता लगाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--

इसमें लिखा हुआ है कि यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ कहलायेगा और यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे।

श्री दयाराम शाक्य--

जब १ जुलाई को सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट में संशोधन होता है तो उसके पहले यह अध्यादेश निकल कैसे सका ? किस बेसिस पर यह प्रकाशित हुआ ? क्या गवर्नर महोदय को यह पहले ही मालूम हो गया था और उस के आधार पर उन्होंने इसे जारी कर दिया। यह मंत्री जी को स्वयं बात नहीं है कि यह कब का अध्यादेश है और कब जारी हुआ। यह बात ऐसी है कि जब एक जुलाई को इसका संशोधन हुआ तो एक साल पहले जारी हुआ था ?

श्री अध्यक्ष--

अभी साफ नहीं हो रहा है कि दिसम्बर में अध्यादेश जारी हुआ और २३ दिसम्बर को प्रचारित किया, यह क्या है ?

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमान् जी, यह कहीं गलती हो गयी है।

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि गजट में शाया हुआ, इसमें लिखा है कि २३ दिसम्बर, १९६५ के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ। तो असाधारण गजट २३ दिसम्बर को प्रकाशित हुआ, अब आप कहते हैं कि ३० जून, यह कब प्रकाशित हुआ ?

श्री कमलासिंह यादव--

गलती मिनिस्टर साहब ने की है, यही मंत्री महोदय बता दें कि १ जुलाई को जब संशोधन हुआ है सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट में तो ३० जून को यह कैसे अध्यादेश जारी हो गया ?

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके वह गजट मंगा दें जिसमें यह छपा है ताकि लोग देख लें।

श्री कमलासिंह यादव--

तब तक सदन स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

तब तक जो कुछ कहना है वह कह लें।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, एक बात समझ में नहीं आती कि उतना ही प्रिफरेंस सरकार को देना चाहिये जितना कि जरूरत है। आप हमको अंधकार में रख कर सारी कार्यवाही कराना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन कर दूं कि इस समय जो कठिनाई हो रही है वह यह है कि हमारे सामने विधेयक प्रस्तुत है। विधेयक में एक प्राविधान किया गया है कि हम इतना टैक्स लेंगे। अब सवाल यह है कि अध्यादेश रहा हो या न रहा हो। आप अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि इसमें जो धारा ३ है कि अमुक अध्यादेश में संशोधन किया जाता है, वही धारा तो गलत हो जायगी न ?

श्री कमलासिंह यादव—

सारा विधेयक खत्म हो जायगा, श्रीमन्। हमारी बात सुन लें.... (श्री जयराम वर्मा से) जरा बैठ जाइये। सबसे पहली बात यह है कि एक अध्यादेश पहले गवर्नर ने जारी किया। उसी के बेसिस पर विधेयक लाया गया। तो इस विधेयक के जरिये एक अध्यादेश संशोधित किया जाता है। तो यहां पर हमारे सामने यह सवाल है कि २३ दिसम्बर को अध्यादेश जारी कर दिया गया और उसके बाद सदन का सत्र यहां हुआ। तो सत्र जब चल रहा था सदन का उस वक्त आप ने कोई विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत नहीं किया। वह सदन उठ गया। नतीजा यह हुआ कि (व्यवधान) मेरी बात सुन लें, आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है इसलिये मेरी बात सुन लें, फिर निर्णय दें।

तो जब सदन चल रहा था तो जो आर्डिनेंस होता है, अगर ६ सप्ताह के अन्दर पास नहीं होता तो वह स्वयं निरस्त हो जाता है। और विधेयक जो लिया जायगा उसके अन्तर्गत वह पास करालें तो भी वह निरस्त हो जायगा। तो इस संबंध में मैं यह कह रहा था कि सदन उठ गया, न तो कोई विधेयक लाया गया और न किसी बात पर चर्चा हुई। तो ऐसे मामलों में जबकि आर्डिनेंस जारी किया गया सदन के बैठने के ६ सप्ताह के अन्दर कोई भी विधेयक पास नहीं हुआ और वह समय बीत गया तो उस अध्यादेश को निरस्त करने के लिये जो कि पहले जारी किया गया था कोई दूसरा विधेयक नहीं लाया जा सकता।

दूसरी चीज यह है कि.....

श्री अध्यक्ष—

यह जो बात आप कह रहे हैं.....

श्री कमलासिंह यादव—

दूसरी चीज यह है कि जो अध्यादेश, जो सेंटेंस हैं, जो पैराग्राफ हैं या जिन जिन बातों पर जिक्र किया गया है वही सब चीजें इस विधेयक के अन्तर्गत भी दोहरायी गयी हैं और जब वह चीज खत्म हो गयी अध्यादेश वाली तो वह निरस्त हो गया, उस पर दूसरा विधेयक नहीं लाया जा सकता .....

श्री अध्यक्ष—

वह कौन से कायदे से ?

श्री कमलासिंह यादव—

वह संविधान के अनुसार।

श्री अध्यक्ष—

वह मुझे बतला दीजिये कृपा करके, मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है कि वह विधेयक नहीं आ सकता हो, आप ज्यादा से ज्यादा यह कह सकते हैं कि धारा ३, जिसके द्वारा निरसन का प्रस्ताव किया गया है वह अनुचित है या अनावश्यक है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, लाइब्रेरी आपकी बन्द है, किताबें नहीं मिल रही हैं, लेकिन अगर आप मौका दें तो मैं दिखा सकता हूं। यह विधेयक नहीं आ सकता है। जब करेंगे तो पूरा करेंगे, पीस-मील आप कोई चीज नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष—

यह तो जब आप खंडों पर विचार करेंगे तब आप कह सकतेहैं। अभी तो यह प्रस्ताव है कि विधेयक पर विचार किया जाय। उत्तर में आप यह कह सकतेहैं कि विचार नहीं हो सकता।

श्री कमलासिंह यादव—

उसको तो खंड वाइज जब हम विचार करेंगे तब लेंगे, किन्तु यह विधेयक जिस रूप में आया है, वह नहीं आ सकता।

श्री अध्यक्ष—

आपकी तीन मुख्य बातें हैं—एक तो यह कि यह अध्यादेश आपको जो मिला है वह गलत मिला है। दूसरी यह कि वह व्यपगत हो गया है, ६ सप्ताह के अन्दर विधेयक नहीं आया। तीसरी यह कि अगर खंड ३ अनुपयुक्त है तो उस सूरत में इस पर विचार नहीं हो सकता। यही तो आपका कहना है ?

श्री कमलासिंह यादव—

जी हां।

श्री दयाराम शाक्य—

जब आप मानते हैं कि अध्यादेश के आधार पर यह नहीं है, तब इसके उद्देश्य और ज्ञापन सब गलत हो जाते हैं और उस सूरत में यह कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, यही मुझे कहना था।

श्री जयराम वर्मा—

मेरा निवेदन यह है कि सेन्ट्रल सेल्स टैक्स की धारा १४ में अन्तर्राज्यिक व्यवसाय और व्यापार के लिये विशेष महत्व के मालों की घोषणा की गयी है और धारा १५ में ऐसे मालों पर बिक्री कर, जो घोषित माल हैं, उन पर लगाने के संबंध में राज्य सरकारों के अधिकारों की कुछ सीमा बांध दी गयी है। सीमा यह बांधी गई है कि वे ऐसे मालों पर सेल्स टैक्स केवल एक स्थान पर लगायेंगी।

श्री कमलासिंह यादव—

एक बात कहूंगा माननीय मंत्री जी से। वे इस विषय पर भी रोशनी डालें कि जो उद्देश्य और कारण दिये गये हैं उसकी आखिरी दो लाइनें इस प्रकार हैं—उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट १५, सन् १९४८ ई०) की धारा ३ (कक) में, जिसमें घोषित माल पर कर लगाने की व्यवस्था है, आनुषंगिक संशोधन उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अध्यादेश, १९६६ प्रख्यापित करके किया गया था। तदनुसार उस—अध्यादेश को पुरःस्थापित करने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है। अब जो बात मैंने कही थी, श्रीमन्, वह बिलकुल इस पर बेस कर रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा उससे साफ हो जाता है कि यह चीज उसी बेसिस पर लाई गई है उसी को पुरःस्थापित करने के लिये। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसका भी जवाब दें। जब कि वह निरस्त हो गया है और जिसको पुरःस्थापित करने के लिये यह विधेयक लाया गया है जब वही खत्म होगा तो दूसरा विधेयक कैसे लाया जा सकता है ?

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, कान्स्टीट्यूशन की धारा २१३ देखिये। इसके पैरा २ में है कि—

"(2) An Ordinance promulgated under this Article shall have the same force and effect as an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, but every such Ordinance—(*a*) shall be laid before the Legislative Assembly of the State."

आप देखेंगे कि अगर यह प्रोमलगेट करदिया था दिसम्बर में तो इट हैज सीज्ड। अब दूसरे ऐक्ट के लिये आप दूसरे आर्डिनेन्स के बेसिस पर यह लाना चाहते हैं जो सीज हो चुका है। पैरा ३ में है—

"If and so far as an Ordinance under this Article makes any provision which would not be valid if enacted in an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, it shall be void :"

अगर आप ऐक्ट बना लेते हैं तो वह वायड हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप गजट मंगा सकते हैं जिसमें वह छपा है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

मैंने सुझाव रक्खा है कि असेम्बली तो चलेगी नहीं और न अब इस पर विवाद हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—

जवाब तो दे दें मंत्री जी ?

श्री कमलासिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, यह आप क्या कर रहे हैं। एक छपी हुई चीज हम लोगों ने सदन के सामने प्रस्तुत की है। वह हमारी बनी हुई चीज नहीं है वह सरकार द्वारा दी गई है। हम लोगों का चैलेन्ज यह है कि अगर माननीय मंत्री के पास कोई चीज हो तो हमारी चीज को कान्ट्राडिक्ट कर दें। अगर नहीं करते तो यह बिल पास नहीं हो सकता और सरकार इसको वापिस ले।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि केन्द्रीय सेल्स टैक्स की धारा १५ में राज्य सरकारों के अधिकारों के सम्बन्ध में कुछ सीमायें बिक्री-कर लगाने के सम्बन्ध में बांधी गई थीं कि कर केवल एक स्थान पर लगेगा और दूसरे कर का भार अधिक से अधिक..... (व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

एक वैधानिक आपत्ति है।

श्री जयराम वर्मा—

वही तो मैं बता रहा हूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अभी पहली व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर तो हो जाने दीजिये।

श्री जयराम वर्मा—

तो धारा १५ के अनुरूप हमारे ऐक्ट की धारा ३ (क क) में घोषित माल पर सेल्स टैक्स आखिर बिक्री पर लगाया गया है और सीमा २ प्रतिशत की रखी गई थी, लेकिन अब केन्द्रीय सरकार ने जो राज्य सरकार की सीमा थी उसमें संशोधन कर दिया और २ प्रतिशत की अधिकतम सीमा को अब ३ प्रतिशत कर दिया है और उसे ६ जुलाई, ६६ से लागू कर दिया है। तो अधिकार की सीमा में जो परिवर्तन उन्होंने किया है उसके अनुरूप अपने ऐक्ट की व्यवस्था करने के लिये यह आनुषंगिक संशोधन लाया गया है। जहां तक अध्यादेश का सवाल है, मैं गजट मंगा रहा हूं।

श्री दयाराम शाक्य—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जयराम वर्मा—

जो अध्यादेश है, मैं गजट मंगा रहा हूं।

श्री दयाराम शाक्य—

आप गजट मंगा लें, लेकिन जो आब्जेक्शन्स हुये हैं, उनके उत्तर पहले दे दें।

श्री अध्यक्ष—

एक मुख्य बात मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर अध्यादेश जारी हुआ और ६ सप्ताह के अन्दर विधेयक की विज्ञप्ति सदन के समक्ष न आये तो क्या उसके बाद विधेयक उस रूप का आ सकता है, या नहीं। इधर से यह बात कही जाती है कि अगर अध्यादेश के निकलने के ६ सप्ताह के अन्दर कोई विधेयक न आये तो वह विधेयक आ नहीं सकता है।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमान्, जी.....

श्री दयाराम शाक्य—

श्रीमन्, यह आब्जेक्शन नहीं था कि बिलकुल आ नहीं सकता। लेकिन जैसा कि उद्देश्य और कारण में दिया हुआ है, उस भाषा में उस उद्देश्य को लेकर उसको साबित करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। जब उसका निरसन हो गया है तो उसके पुरःस्थापन करने के लिये यह बिल नहीं लाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शाक्य जी, एक बात देख लें। जहां तक एम्स और आब्जेक्ट्स का प्रश्न है वह विधेयक के और ऐक्ट के अन्दर नहीं आते वह तो केवल एक्सप्लेनेटरी बातें हैं। यह तो कानून है। आप स्वयं वकील है। आप जानते हैं तो उससे हम बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हैं। जो प्रश्न उठाया है वह यह है कि कोई अध्यादेश जारी होने के बाद अगर ६ सप्ताह के अन्दर कोई विधेयक न आये तो वह विधेयक नहीं आ सकता। वह वायड है, केवल इतना प्रश्न है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

श्रीमन्, केन्द्रीय (सैन्ट्रल) सेल्स टैक्स ऐक्ट १ जुलाई, १९६६ से लागू होना है तो आप कहते हैं कि यह आर्डिनेंस २० जून को निकला तो यह कैसे निकल सकता था?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

यहां पर २ प्रकार के प्रश्न है। एक प्रश्न है कि अध्यादेश का और दूसरा प्रश्न है यहां पर किसी विधेयक के लाने का। जहां तक विधेयक के लाने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह अधिकार है। कोई भी विधेयक किसी भी चीज में संशोधन करने के लिये या कोई नया विधेयक इस सदन में उपस्थित किया जा सकता है। प्रश्न केवल यह है कि माननीय सदस्य कहते है क्योंकि उद्देश्यों में यह लिखा हुआ है कि वह अध्यादेश जारी किया गया है और उसको हम यहां पुरःस्थापित करना चाहते हैं। मान लीजिये जो अध्यादेश जारी किया गया वह अध्यादेश निरस्त हो जाता है किसी तरह से तो जैसा कि उप मंत्री जी ने कहा कोई इसमें गलती हुई है गजट मंगाया जा रहा है और गजट ही एक उसका प्रमाण है कि यह अध्यादेश कब निकला और कब निकला हुआ माना जाना चाहिए। मैं उस विषय में अभी कुछ नहीं कहना चाहता, जब गजट आ जायगा तब उसके बाद बात कह दी जायगी। किन्तु अध्यादेश अगर यहां अनुमोदित नहीं होता है, अगर कोई विधेयक नहीं बनता है तो वह निरस्त हो जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। कोई अध्यादेश इस वजह से अगर जारी किया जाता है कि वह काम हो, मान लिया जाय कि सेल्स टैक्स लगाने की बात है और अध्यादेश जारी है, यह कहा गया कि यह पहली जुलाई को लगेगा, पहली जुलाई को यह अध्यादेश नहीं हुआ और किसी वजह से पहली जुलाई के पहले यह निरस्त हो चुका था या अध्यादेश ऐग्जिस्ट नहीं करता था तो यही प्रभाव हो सकता है कि वह चीज लागू न हो, वह अधिनियम न माना जाय। बाकी अगर इस बात पर भी कोई उपबन्ध होता कि उस चीज को ले कर कोई यहां विधेयक नहीं आ सकता तो यह बात ऐसी है जिसमें दोनों चीजों को मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती। अध्यादेश अगर नहीं जारी हुआ और वह निरस्त हो गया इस वजह से कि इसमें लिखा हुआ है कि गलती, और वह गलती अगर सही बात है तो वह निरस्त हो गया तो उसका प्रभाव नहीं होगा। वह बात अपनी जगह हो सकती है। किन्तु यह कि इसका प्रभाव यह हो कि यहां विधेयक नहीं लाया जा सकता है इस बात के लिए उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं यह बात अपनी जगह बैठती नहीं है।

अब श्रीमन्, इसमें एक चर्चा है उद्देश्य की। यहां भी एक पहले रूलिंग हो चुकी है कि जहां तक उद्देश्य और कारण हैं वह तो बात बताने की है, वह अधिनियम या विधेयक के अंग नहीं बन सकते हैं। उसमें कोई चीज ऐसी हो सकती है जिससे आप सहमत हों या न हों। उद्देश्य और कारण जो हम लिखते हैं यह आवश्यक नहीं है कि उन उद्देश्य और कारणों को माननीय सदस्य स्वीकार करें। तो वह तो एक हमारा स्टेटमेंट होता है कि हम क्यों लाना चाहते हैं। माननीय सदस्य उसको उचित नहीं समझते हैं तो उस बात को लेकर यह नहीं कहा जा सकता कि विधेयक के द्वारा या संविधान के द्वारा इस विधेयक को नहीं लाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय हरिनाथ तिवारी ने खण्ड ३, अनुच्छेद २१३ के प्रति ध्यान आकर्षित किया है। यदि और जिस मात्रा तक "इफ एण्ड सो फार" इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबन्ध करता हो, यानी "इफ ऐनी आर्डिनेंस प्रोवाइड्स" जो विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित तथा राज्यपाल द्वारा नियमित अधिनियम के रूप में अमान्य हो, यानी जिस के प्राविधान इनवेलिड हों, अगर कानून बनता तो इनवैलिड ठहराया जाता तो उस मात्रा में शून्य होगा। तो उस मात्रा में अध्यादेश भी शून्य होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर अध्यादेश में कोई ऐसे प्राविधान हों जो अधिनियम में नहीं हो सकते तो वह अध्यादेश उस मात्रामें अनियमित करार दिया जायगा। दूसरे शब्दों में जिन आधारों पर ऐक्ट या अधिनियम इनवैलिड या अमान्य करार दिए जाते हैं उन्हीं आधारों पर अध्यादेश भी उस मात्रा में अमान्य होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई कानून अध्यादेश के व्यपगत होने पर नहीं बन सकता। यह इसका मतलब नहीं है। सीधी बात यह है कि अधिनियम बनाने का अधिकार तो इस सदन को है। केवल राज्यपाल

[श्री अध्यक्ष]
को अधिकार दिया गया है कि विशेष अवस्थाओं में और विशेष परिस्थिति में जो काम यह सदन करता है वह कर सकते हैं। लेकिन संविधान यह शर्त लगाता है कि अगर राज्यपाल विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत वह कार्य करते हैं जो सदन करता है तो उस हालत में उसका प्रभाव ६ सप्ताह तक रहेगा उसके बाद ही व्यपगत हो जायगा। उसके व्यपगत हो जाने पर २१३ में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है जिसके अन्तर्गत यह कहा जा सके कि विधेयक नहीं आ सकता।

श्री कमलासिंह यादव—

एक बात श्रीमन् सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

ऐसे तो बहस दिन भर होती रहेगी। इस तरह बहस नहीं हो सकती।

श्री कमलासिंह यादव—

आप तो इसे दूसरे रूप से मान रहे हैं कि यह विधेयक उसका अंग नहीं है। अगर अंग नहीं है तो यह धन विधेयक है और इसमें गवर्नर की रिकमेंडेशन होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

वह तो है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद २०७ खण्ड १ के अनुसार मैं विश्वनाथ दास, उत्तर प्रदेश का नवर्नर, यह सिफारिश करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९६६ विधान सभा में पुर : स्थापित किया जाय। यह तो हमारे पास है।

श्री कमलासिंह यादव—

नम्बर कौन सा है ?

श्री अध्यक्ष—

यह जुलाई २२, १९६६ को मेरे पास भेजा गया है।

श्री कमलासिंह यादव—

गजट में ३ तारीख को प्रकाशित किया गया है।

श्री जयराम वर्मा—

मेरी दृष्टि में थोड़ा सा अन्तर पड़ता है। अध्यादेश अपनी जगह ठीक है तो ६ जुलाई से लागू हो गया और अध्यादेश नहीं है तो उस दिन से लागू होगा जिस दिन से ऐक्ट बनेगा।

श्री अध्यक्ष—

अब आप विधेयक को पेश करें।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, मेरा निवेदन था कि सेंट्रल ऐक्ट की धारा १५ में राज्य सरकारों के अधिकार में सेल्स टैक्स के लगाने में जो सीमायें बांधी गयीं थीं उन सीमाओं में केंद्रीय सरकार ने कुछ संशोधन कर दिया। पहले सीमा यह थी कि बिकीकर की कि अधिकतम सीमा दो प्रतिशत थी। ६ जुलाई, सन् ६६ से उन्होंने संशोधन करके उस की अधिकतम दर ३ प्रतिशत कर दी। हमारे ऐक्ट में उसके अनुरूप धारा ३-कक है। उसमें पहले की व्यवस्था के अनुसार हमने व्यवस्था कर रखी थी कि घोषित मालों के आखिरी सेल पर जहां पर रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा अनरजिस्टर्ड व्यापारी को या कंज्यूमर को बेचा जाय वहां पर यह सेल्स टैक्स लगेगा और उसकी दर अधिकतम दो प्रतिशत होगी, लेकिन चूंकि अब केंद्रीय सरकार ने वह संशोधन कर दिया है वह हमारे अधिकार

को कुछ बढ़ाता है और उसे ३ प्रतिशत कर दिया है। इसीलिए उसी के अनुरूप ३-कक में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया ३० जून को और वह ६ जुलाई को लागू हुआ, उसी अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। इसमें कोई नई चीज नहीं की गयी है। जो केंद्रीय सरकार ने घोषित मालों के बारे में अधिकार दिया है सेल्स टैक्स लगाने के बारे में उसीके अनुसार यह कार्यवाही की गयी है और यह आनुषंगिक संशोधन है। इसमें कोई बड़ी आलोचना की बात नहीं है, न किसी प्रकार की गुंजाइश है। इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस दृष्टि से वह इस पर विचार करे और इस पर अपनी स्वीकृति दें।

श्री कमलासिंह यादव---

क्या यह प्रस्ताव मेरे पास भेज दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष---

हां।

*श्री कमलासिंह यादव---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो १ सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे।

(सदस्यों की सूची बाद में दी जायगी।)

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, जिस रूप में यह विधेयक आया है इससे बढ़ कर सरकार का निकम्मापन कहीं देखा नहीं जा सकता। पहले जो हम लोगों ने अभी संविधान श्रीमन् के सामने दिखाया है वह चीज अपनी जगह पर है लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो अभी ६ जुलाई से लागू होने वाली बात अपने भाषण में कही है मैं समझता हूं कि वह इससे बढ़ कर निकम्मापन है क्योंकि कोई भी आर्डिनेंस जैसे ही जारी किया गया उसके बाद ६ सप्ताह के अन्दर यह पास हो गया होता तो हम यह कह सकते थे कि आर्डिनेंस जारी था जो कि आज के रूप में लागू किया गया है और उसके बाद इस विधेयक के जरिए निरसन किया गया है। इसलिए वह ६ जुलाई मे लागू समझा जायगा। आज २५ जुलाई है। यह विधेयक २५ जुलाई, १९६६ को सदन के सामने पेश किया गया तो ६ जुलाई से लागू नहीं कर सकते क्योंकि यह विधेयक उस दिन से लागू होगा जिस रोज यह पास किया जाता है और ३ के खण्ड (२) में दिया गया है: "इस निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य की गयी कार्यवाही समझी जायगी" यह ६ जुलाई, १९६६ को प्रारंभ किया गया है तो यह सदन इसको उसी रूप में वैधानिक कर रहा है क्योंकि सरकार ने इस टैक्स की वसूली भी जारी कर दी है और कहीं कहीं सरकार ने अवैधानिक रूप में टैक्स भी वसूल किया है। जितने कार्य इस सरकार ने २५ जुलाई से पहले, यानी जबतक यह दोनों सदनों से पास हो कर न आ जाय, गजट में प्रकाशित न हो जाय, क्योंकि गजट में प्रकाशित होना बहुत जरूरी है, आप इसका एन्फोर्समेंट नहीं कर सकते जैसा कि २ में कहा गया है। डेट आफ एन्फोर्समेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं। जिस रूप में यह आर्डिनेंस लागू किया गया था उस रूप में अगर हम मान गए होते, यानी यह विधेयक पहले पास हो गया होता तो उस वक्त यह बात सोची जा सकती थी कि ६ जुलाई, १९६६ से यह लागू होगा और जितने कार्य सरकारी अधिकारियों ने अध्यादेश के जरिए या इस विधेयक के पहले किए हैं, उनको हम कह सकते थे कि वे गलत नहीं थे सही थे और उसी को वैधानिक बनाने के लिए धारा ३ का उपखन्ड (२) किया गया है। तो जितनी कार्यवाही अब तक सरकार ने की है वह सब अवैधानिक है और मैं समझता हूं कि जो सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

इतनी अंधी हो कि उसको इस बात का भी पता नहीं कि कब कोई आर्डिनेंस जारी होना चाहिए, कब और किस रूप में विधेयक आना चाहिए, इससे बढ़ कर कोई भी गलत चीज नहीं हो सकती।

दूसरी चीज यह है कि आपने थोड़ा सा इनको बैक किया है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम तो यह उम्मीद कर रहे थे कि कोई भी कार्य जो सरकार गलती करती है उस पर अपोजीशन को आप मौका देंगे और माननीय अध्यक्ष द्वारा जो अपोजीशन की बात है उसको पुष्टि मिलेगी।

श्री अध्यक्ष---

प्रोत्साहन तो ठीक बात को मिलना चाहिए चाहे आप हों या ये हों। सवाल तो सीधा यह है कि आपने एक आपत्ति उठायी। उसके निर्णय के संबंध में मुझे अधिकार था और मैंने एक निर्णय दिया। आप उसके ऊपर अगर कमेंटरी करने लग जायें.....

श्री कमलासिंह यादव---

निर्णय के ऊपर मैं कमेंटरी नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो श्रीमन् ने रूलिंग दी है उसके बारे में तो कह ही सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप नहीं कह सकते हैं।

श्री कमलासिंह यादव---

इसके बारे में कमेंट नहीं है लेकिन आपने जो घोषणा की वह ३ के उपखण्ड (१) के बारे में की है और ३ के उपखण्ड (२) के बारे में कोई निर्णय नहीं दिया है। तो इस पर मैं कमेंट कर सकता हूं। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा..

श्री अध्यक्ष---

वह सवाल तो आप उठाते, तो उसका भी जवाब देते। (किसी के बोलने पर)

श्री कमलासिंह यादव---

यह आपकी समझ से बाहर है।

(इस समय १ बज कर ५० मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आपस में बात न करें। हरीसिंह जी आप आपस में बात न करें।

श्री कमलासिंह यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा था कि उनको भी मौका मिलेगा बोलने का हमारे बाद, उस समय वह अपनी विद्वता दिखाते तो मुझे खुशी होती और उस दशा में हम भी उन्हें कमेन्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस यह है कि हमारी बात सुने बिना उन्होंने अपने कमेन्ट शुरू कर दिये। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वित्त मंत्री जी जैसे विद्वान व्यक्ति इसका उत्तर देंगे तो हमको भी उस पर विचार करने का मौका मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इन बातों को गौर से सुनें और इन बातों को हम लोगों का सन्तोषजनक रूप से आप हमें उत्तर दें। पहली बात मैंने यह कही कि अध्यादेश जो है वह २३ दिसम्बर, १९६५ को जारी किया गया था। २३ दिसम्बर, १९६५ के बाद यह सदन बैठा था और फिर उठ गया तो जैसा कि संविधान के अन्तर्गत यह चीज आती है कि ६ सप्ताह के अन्दर यह पास हो

जाना चाहिये था और उससे वह निरस्त हो जाता है, उससे कोई बात नहीं होती। ६ सप्ताह के अन्दर यह पास हो गया होता तो उस वक्त डेट इन्फोर्समेंट वही होता जो आर्डीनेन्स के अन्दर दिखाया गया था। २३ दिसम्बर को वह स्वतः ही निरस्त हो गया और कोई भी विधेयक नहीं लिया गया। इसलिये इसका इन्फोर्समेंट उस डेट से लागू नहीं किया जा सकता जैसा कि अध्यादेश में किया गया है।

दूसरा प्रश्न यह है कि विधेयक जिस रुप में प्रस्तुत किया गया है, इस विधेयक में जो है कि ६ जुलाई, ६६ से शुरू करें जो कार्यवाही या कार्य किया गया हो वसूली या अन्य तरीके का, उसको भी हम वैधानिक बना सकते ह। तो मेरी इस पर आपत्ति यह है कि सरकार वैधानिक उसको नहीं बना सकती, क्योंकि इस विधेयक के अन्दर कोई भी डेट जिससे इन्फोर्समेन्ट इसका किया गया हो यानी जिस डेट से वह विधेयक लागू होगा, वह इस विधेयक के अन्दर नहीं दिया गया होगा तो यह प्रश्न हमारे सामने उठेगा कि किस तारीख से यह लागू हुआ माना जायगा? यह है कि जिस वक्त गजट होगा--तो गजट में प्रकाशित होने के दिन यह लागू हुआ माना जायगा। यहां से पास होने के बाद यह काउन्सिल में पास होने जायगा और उसके बाद गवर्नर के पास जायगा और फिर उसके बाद गजट में प्रकाशित होगा और जिस डेट में गजट में इसका प्रकाशन होगा उस डेट से इसका इन्सफोर्समेन्ट होगा। तो सारी कार्यवाही जो ६ जुलाई, १९६६ से शुरू की गयी है वह सारी अवैधानिक है क्योंकि आज भी यह विधेयक पास नहीं हुआ है। तो कोई भी इस तरह की चीज हो उसको आप इन्फोर्समेन्ट करके वैधानिक नहीं बना सकते इस विधेयक के जरिये से। इसलिये कि यह विधेयक अवैधानिक है और वायड है।

दूसरी चीज यह है कि हमारा उत्तर प्रदेश एक विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है। अवमूल्यन से हमने देखा कि ५७ परसेन्ट मूल्य और बढ़ गया। हमने प्रधान मंत्री जी के बयान जो अखबारों में देखा था। उनका कहना था कि अनेक मामलों में हमारे यहां उसका असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको बतलाऊं कि जहां तक मुद्रास्फीति का सवाल था उसमें हमने देखा कि ५७ परसेन्ट बढ़ोत्तरी हो गई। अमेरिका का या फारेन कन्ट्रीज का जो हमारे ऊपर कर्ज था उसमें ५७ परसेन्ट की और बढ़ोत्तरी हो गई। वह सब बढ़ोत्तरी हम लोगों से वसूल होगी

श्री उपाध्यक्ष--

यह जो बात आपने कही दिसम्बर, ६६ वाली, वह प्रेस की गलती से छप गई है।

श्री कमलासिंह यादव--

इसकी प्रति हम लोगों को भी दी जाय। मैं कहता हूं कि सदन में यह गलत प्रचार किया जाता है कि हमारी बात गलत है। हम लोगों का यह चैलेन्ज है कि जो भी बात हमने सदन के सामने रखी है वह सही सामने रखी है। अगर उस चीज को आप संशोधित करना चाहते हैं तो उसकी प्रतिलिपि हमारे पास आनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रेस की गलती हो जाना कोई अस्वाभाविक नहीं है। आम तौर से गलती हो जाया करती है। जब आपने यह प्वाइन्ट आउट किया तो उसकी छानबीन की गई और मालुम हुआ कि वह गलती प्रेस में हो गई है। यह ३० जून को ही हुआ है। तो वह गलती इसमें रह गई है लेकिन वह प्रेस की वजह से गलती है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

हम लोगों ने उसको देखा तो मालूम हुआ कि यह गलती है। उस बात को इसीलिये यहां पर कहा गया।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आप से अर्ज करूं कि आपकी बात सही है लेकिन इसमें जो शब्द रह गये उनको अब शुद्ध कर दिया गया है। वह ३० जून, ६६ है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

उसी बात को हमने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह बात नहीं है। माननीय सदस्यों को भ्रम हो गया था, तो उस भ्रम को दूर कर दिया गया है।

श्री कमलासिंह यादव---

सरकार को भ्रम हो गया था और गलती भी उसने ही की थी।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रेस की गलती की वजह से आप लोगों को भ्रम हो गया था।

श्री कमलासिंह यादव---

ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये।

श्री कैलाशप्रकाश---

मैं यह निवेदन करूंगा कि गजट की प्रति देखने से यह बात स्पष्ट हो गई कि प्रेस ने किस तरह की गलती की है। यह प्रेस की गलती की वजह से हुआ है। गजट की प्रति मेरे सामने है। माननीय सदस्य भी इसको देख सकते हैं। इसमें ३० जून को निकला। अध्यादेश इस रूप में जारी हो गया। इसलिये यह प्रति जो छपी उसमें प्रेस की गलती हो गई और माननीय सदस्यों को वही प्रति दे दी गई। उसमें वास्तव में गलती है। इसमें यह गलती नहीं होनी चाहिये यह उनको लिख दिया गया है ताकि माननीय सदस्यों को गलत सूचना न मिल सके।

श्री कमलासिंह यादव---

पहली बात तो यह है कि जो यह आध्यादेश जारी किया गया है, अभी जो मैंने पढ़ा आपके सामने और जिसमें यह दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने भारत का संविधान के अनुच्छेद २१३(१) के अन्तर्गत दिनांक २३ दिसम्बर, १९ ५ को प्रचारित किया और दिनांक २३ दिसम्बर, १९६५ के उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ। यह एक चीज दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो कह दिया उन्होंने कि गलत छप गया है।

श्री कमलासिंह यादव---

तो मेरी बात सुन लीजिये। गलत छप गया है तो मेरा गला नहीं घोटा जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो प्रेस की गलती हो गयी।

श्री कमलासिंह यादव---

यह एक आर्डिनेंस गवर्नर महोदय का था जिसकी कापी पहले दी गयी है उसमें यह दिया गया है कि २३ दिसम्बर, १९६५ को प्रचारित किया गया और २३ दिसम्बर, १९६५ के असाधारण

गजट में प्रकाशित हुआ। यह दिया गया है। (व्यवधान) श्रीमन्, यह लोग कह रहे हैं कि कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री कमलासिंह यादव—

जो दूसरी बात मैं कह रहा था वह यह है कि यह आर्डिनेन्स संख्या ३, १९६६ के रूप में प्रकाशित किया गया था २३ दिसम्बर, १९६५ के गजट में और मई में यह सदन बैठा था और ६ सप्ताह के अन्दर कोई भी विधेयक नहीं आया जो कि पास हुआ हो इस आधार पर और इसलिये उसका निरसन हो गया।

अब हमारे सामने दूसरा सवाल यह है कि जो गजट मंत्री जी ने दिया है वह एक आर्डिनेन्स के रूप में है उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६६। इसका नम्बर भी श्रीमन्, यह है 'उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९६६' और पहले जो गजट था उसका भी यही नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९६६। जिस प्रकार २३ दिसम्बर, १९६५ को जिन शब्दों में यह अध्यादेश प्रकाशित किया गया था ठीक उन्हीं शब्दों में यह पुनः ३० जून, को प्रकाशित किया गया है। तो हमारे सामने एक सवाल उठता है कि दोनों की एक ही शब्दावली है और एक चीज हमारे सामने है ....

श्री उपाध्यक्ष—

यादव जी, एक आपसे प्रार्थना कर दी गयी कि यह भूल से गलती हो गयी है, उसी बात को आप हार्प कर रहे हैं। यह गलती से छप गया है, असल में मंशा नहीं था। प्रेस की गलती के लिये आप जानते हैं कि अक्सर हो जाया करती हैं। इसीलिये गवर्नमेंट द्वारा क्षमा मांग ली गयी थी।

श्री कमलासिंह यादव—

वह कह रहे हैं कि १ दिसम्बर, १९६५ को प्रकाशित हुआ है, वह नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो यहां गलती से लिखा गया है, और कोई बात नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

एक बात और आप से प्रार्थना करूंगा कि २३ दिसम्बर, का जो बताया है उसको हमको सदन में दे दें ताकि हम लोगों को संतोष हो जाय कि कोई ऐसी चीज या प्रश्न नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

२३ दिसम्बर, १९६५ को जब बैठक हुई गजट निकला ही नहीं तो वह कहां से देंगे। चलिये। अगर होगा तो दे दिया जायेगा। (हंसी)

श्री कमलासिंह यादव—

(व्यवधान) माननीय बनारसीदास इन्टर स्टेट की बात कर रहे हैं। श्रीमन्, जहां तक आयल सीड की बात है, इसमें भी उसका जिक्र है। हमारे प्रदेश में उस पर सेल्स टैक्स ज्यादा था। बिहार में हमारे प्रदेश के मुकाबले बहुत कम था। नतीजा यह हुआ कि जो तेल हमारे यहां मैनुफैक्चरर होता था वह बिहार में जाकर बिकता था और इस तरह से दूसरे लोग उसका फायदा उठाते थे। यही नहीं दिल्ली वगैरह में भी से स टैक्स के डिफरेन्सेज होने के कारण हमारे प्रदेश की बहुत सी चीजें दिल्ली तथा और जगह में जाकर बिकती थीं और उसका परिणाम होता था कि जो फायदा हमको मिलना चाहिये था वह दूसरे प्रदेश उठाते थे। यह

[श्री कमलासिंह यादव]

तो मिसाल दी है मैंने आयल सीड की। और भी जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनका भी यही हाल है।

श्रीमन्, जहां तक लोहे का या और चीजों का सवाल है, कोयले का सवाल है, किसानों को ईंधन मिलने का सवाल है, उस प्रश्न पर भी हमें विचार करना चाहिये। गोबर की आज खाद क्यों नहीं बन रही है, इसलिये किसान नहीं बना पा रहा है क्योंकि वह उसको जलाता है। उसको जलाने के लिये ईंधन और कोयला नहीं मिलता। अगर किसान को ईंधन और कोयला मिले तो वह गोबर को खाद बनाने के काम में ला सकता है। जहां तक गोबर की खाद का सवाल है, सबसे अच्छी खाद वह समझी जाती है। अब कोयले के ऊपर भी यह सरकार टैक्स लगाने जा रही है। अगर कोयले पर भी सेल टैक्स लग जायेगा तो उसका क्या असर होगा? उसकी कीमत फिर बढ़ जायेगी। फिर कोयला भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। किसानों को ईंधन और कोयला देने में यह सरकार टटोली फेल रही है। गोबर जैसी महत्वपूर्णचीज को किसान आज जलाने के काम में ला रहा है। अगर माननीय मंत्री जी का यह विचार हो, जिसकी कि मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि इतने वरिष्ठ मंत्री के दिमाग में यह चीज होगी कि लोग खाद का उपयोग न कर सकें, तो मैं समझता हूं कि यह चीज तो होनी नहीं चाहिये। एक बात अवश्य है कि एग्रीकल्चर विभाग साढ़े ५ परसेंट या ५ परसेंट सूद पर खाद देता है लेकिन कोआपरेटिव सोसाइटीज से जो खाद मिलता है उस पर सूद ९ प्रतिशत है। इस तरीके से ज्यादातो इन किसानों के प्रति हो रही है कि ९ प्रतिशत की दर से खाद का रुपया उनसे वसूल किया जाता है।

दूसरी तरफ कोयले का जहां तक प्रश्न है, हम काउडंग को बचा कर उसे खाद के रूप में परिणत कर दें तो उससे हमारी उपज बढ़ सकती है। बाहर से जो रासायनिक खाद आती है उसका इस्तेमाल हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत कम होता है। कोयले के मंहगे होने का कारण यह भी है कि अब हमारे यहां सेल्सटैक्स डेढ़गुना हो जायगा, जहां पहले २ पैसे फी रुपया टैक्स था वहां अब ३ पैसे हो जायगा और इस तरह से कोयले की कीमत ज्यादा बढ़ जायगी। एक तरफ तो कोयले की यह हालत है और दूसरी तरफ यह भी देखा जाता है कि कोयले को बचाने के लिये जो कोयले से चलने वाले इंजन है उनको बिजली से चलाया जा रहा है, डिजल आयल से चलाया जा रहा है लेकिन फिर भी किसानों को जितना कोयला मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता। इसका नतीजा यह होगा कि किसान बाध्य होगा कि खाद बनाने के लिये जो काउडंग या गोबर है उसको वह ईंधन के रूप में इस्तेमाल करे। इसलिये मै माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गोबर एक ऐसी चीज है जो किसानों के लिये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इसलिये आप किसानों को अधिक से अधिक कोयला दें लेकिन कोयले पर जो सेल्स टैक्स है उसे और कम कर दें तो मैं समझता हूं कि हमारे लिये ज्यादा फायदा होगा क्योंकि जब वह सस्ता मिलेगा तो किसान इसका उपयोग ज्यादा करेगा, बजाय इसके कि वह गोबर को ईंधन के रूप में जलाकर उसे बर्बाद करे। दूसरी चीज यह है कि गोबर से ज्यादा लाभ हो सकता है हमारे उत्पादन में (व्यवधान) माननीय कृष्णानन्द राय जी.....

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है कि एक ही बात को आप दस दफा न कहें, एक ही दफा कहें।

श्री कमलासिंह यादव—

उसके लिये तो आप हैं ही, आप अगर कह देते तो मैं फौरन आपकी बात मान लेता। वे इस तरह से बीच में क्यों टोकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय यादव जी, आप बोलें।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, आपको याद होगा कि गांधीजी के जमाने में हम हमेशा कहते थे और एक प्रोग्राम चलाया था, शुरू १९४७ में सरकार की ओर से कहा गया था कि कार्य रूप में परिणत करने के लिये हम प्रदेश के कच्चे माल से पक्के किस्म का माल तैयार करें तो हमारे प्रदेश का फायदा होगा। आप तो श्रीमन्, गांधी जी के बड़े भक्त हैं, आप जानते हैं कि चर्खा भी इसी खयाल से चलाया गया था। कि रुई जो हमारे प्रदेश में अधिक से अधिक मात्रा में पैदा होती थी उसका इस्तेमाल हम कपड़ा बनाने के लिये करें ताकि कपड़े से यहां कोई वंचित न रहे और हर एक को कपड़ा मिल सके। लकिन वह आदमी जिसको आज कपड़ा पहनने की जरूरत है, जिस के पास पैसा है वह विदेश की चीज खरीदे या न खरीदे, हमने तो उस का बहिस्कार किया था और गांधी जी की नीति थी कि हमारे देश में जो चीजें पैदा होती हैं उनका प्रयोग किया जाय और माल बनाने के लिये उसका उपयोग करें। इसी नीति के द्वारा हम मजबूत हो सकते थे और हमारे सूबे की आर्थिक दशा सुधर सकती थी, मजबूत हो सकती थी। आज हमारे यहां रुई की पैदावार साफ होती जा रही है और साथ ही साथ जो यह कर लगाया जा रहा है वह उस पर भी २ पैसा और ३ पैसा लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ईस्ट इंडिया कम्पनी का नाम आप जानते हैं कि उस के जमाने में जिस तरह से.....

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो बिलकुल नई बात आप कह रहें हैं, ईस्ट इंडिया कम्पनी से यहां क्या वास्ता है? ठीक ढंग से आप बात करिये, एक ही चीज को बार-बार न कहिये।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, हमारा दिमाग कमजोर है।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, आप तो मजबूत आदमी हैं।

श्री कमलासिंह यादव---

जिसका जिक्र किया गया उसी के बारे में मैं कह रहा हूं, इसलिये नीति की बात मैंने बताई है।

श्री उपाध्यक्ष---

दुनियां भर की नीति नहीं केवल कर के बारे में आप कहिये।

श्री कमला सिंह यादव---

अगर एक ही बात खत्म हो गई तो फिर बोलने को कोई जरूरत ही नहीं, आज्ञा हो तो बैठ जांय, जरूरत ही क्या है।

श्री उपाध्यक्ष---

ऐसी बात नहीं है जब कर के बारे में यह नीति बता रहे हैं कि कर ज्यादा लगने से ज्यादा दिक्कत होगी तो एक ही बार में ६,७,८ या दस चीजों का जिक्र कर दीजिये।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जायं, आप बिला इजाजत के बोलने लगे।

श्री प्रेमसिंह—

आप की इजाजत से ही बोलना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, नहीं ।

श्री प्रेमसिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री प्रेमसिंह—

तीन तरफ से यह चल रहा है, हमारी तरफ से या.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

अभी तक मैं जिक्र कर रहा था कि गांधी जी के जमाने में क्या नीति थी और किस तरह से आर्थिक व्यवस्था हमारी सुधर सकती थी । उसका जिक्र मैं कर रहा था लेकिन गांधी जी के मरने के बाद कांग्रेस सरकार ने उल्टी धारा बहाई है । गांधी जी ने बहुत विचार करने के बाद इस नीति को अपनाया था और उस से लाभ भी हमने उठाया । लेकिन उस के बाद पश्चिम की ओर इस सरकार की नीति जी रही है यानी जितनी चीजों का आजकल इस्तेमाल हो रहा है और पहली दूसरी, तीसरी और चौथी योजना में जिन चीजों का हम बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे और जिनके अन्तर्गत हमें अपने उत्पादन को आगे बढ़ाना चाहिये, लेकिन यह सरकार भिक्षा मांगकर, बाहर का कर्जा लेकर दुरुपयोग करती है.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह बाहर से मंगाने की बात इसमें कहां से आ गई.....

श्री कमलासिंह यादव—

हमारी नीति पर इसका असर पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई नीति यहां डिसकस नहीं हो रही है, यहां पर बिक्री-कर संशोधन विधेयक पेश है ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं बता रहा हूं कि अगर कर ड्योढ़ा कर देंगे तो उसका क्या असर होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह की बहस न कर के आप बिक्रीकर के संशोधन विधेयक पर ही बात करें ।

श्री कमलासिंह यादव—

एक बात तो हम कह ही सकते हैं कि १३ अरब रुपया हमारा विदेश में जमा था और आज ५० अरब का हम पर कर्जा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आउट आफ आर्डर है, आप सेल्सटैक्स अमेंडमेंट के बारे में कहिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, सेल्सटैक्स के ही बारे में कह रहा हूं । अकबर आदि के समय में और अंग्रेजों की हुकूमत में हमने यह देखा है कि एक रुपये में १५ सेर गेंहूं, अर्थात् ४ रुपये मन का था, लेकिन अब यह कुछ नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्राइसेज के बारे में इससे क्या ताल्लुक है ?

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो एसेन्शियल कमोडिटीज थीं वे बहुत सस्ती थीं और कम तनख्वाह मिलने पर भी लोग सुखी रहते थे लेकिन एसेन्शियल कमोडिटीज आज इतनी मंहगी होती जा रही हैं कि बड़ी से बड़ी तनख्वाह पाने वाले लोग भी परेशान हैं और यह जो सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है उससे चीजों के मूल्य और बढ़ जायेंगे । कोई भी व्यापारी जो रोजगार करता है अपने पास से इसमें पैसा नहीं लगायेगा बल्कि उन्हीं से वसूल लेगा जो कि चीजों को खरीदेंगे । तो इस तरह से जितनी हमारी एसेन्शियल कमोडिटीज हैं, जिनको हम डेली इस्तेमाल करते हैं, और जिन चीजों की हमें जरूरत है वे समय पर सस्ते दामों में नहीं मिल पायेंगीं । माननीय मंत्री जी की यह दलील कि चूंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने २ परसेन्ट से ३ परसेन्ट कर दिया है कोई सुन्दर दलील नहीं है और यह सेल्सटैक्स इस प्रदेश में लागू करने लायक नहीं है ।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप इसे प्रवर समिति में भेज दीजिये ताकि यह हर चीज को ध्यान में रखकर कि अपने प्रदेश का सेल्स टैक्स अन्य प्रदेशों में जो टैक्स है या सेन्ट्रल टैक्स लागू है उन सबको देखकर यह तय कर सके कि कितना लगाना होगा । अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जायगा तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वे मंहगी हो जायेंगीं । हमारे जिले गाजीपुर में बहुत-सा सामान उत्तर प्रदेश से बिहार में जाता है । हमारे प्रदेश के लोग इस तरह से प्रोत्साहन पा रहे हैं । चूंकि इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है अतः इस पर विचार करना चाहिये । हमने प्रदेश के डेवलपमेंट की भी जितनी कोशिश की है वह भी नीचे हो गयी है । इसलिये मैं माननीया मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो रुपया आप उद्योग विभाग से उद्योग करने वालों को दें, उन पर सरकार को आर्थिक टैक्सेशन करके अधिक पैसा लेना चाहिये और इस तरह से सेल्सटैक्स की दर बढ़ाकर आम जनता से, एसेन्शियल कमोडिटीज पर जबरदस्ती वसूल न करें । आपके रुपये से जो फायदा उठाते हैं उन पर ज्यादा टैक्सेशन किया जाय तो मैं समझता हूं कि बजाय आम जनता के उन लोगों पर अधिक से अधिक टैक्सेशन होना चाहिये । एक ओर तो आप आम जनता को परेशान करते रहते हैं और दूसरी तरफ आपकी उल्टी नीति चल रही है । और भविष्य में और इस विधेयक के अन्दर भी अगर इस तरह से उन किसानों को बचा सकें, आम जनता को जो गरीब है, जो भूखों मर रहे हैं, जिनके पास न कपड़ा है, मकान बनाने के लिये लोहा नहीं है, जरूरियात की चीजें नहीं मिलती हैं, अगर उन चीजों पर विचार कर सकें और किसी तरह से राहत दे सकें जैसे कि दो पैसे की जगह पर १ पैसा कर दें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होता और जनता प्रोत्साहन पाती और जो दोष आ गया है डेवलपमेंट का सारा काम रुका पड़ा हुआ है उसमें भी तेजी ला पाते और सफलता पाते । तो इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन बातों पर विचार करेंगे तो ज्यादा उपयोगी यह अपने, प्रदेश के लिये सिद्ध होगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है कि जो दोनों विधेयक हैं वे पूरे ५ दिन चलेंगे । समय का कोई अभाव नहीं है ।

[श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय कमलासिंह यादव ने प्रवर समिति का रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। क्यों रखा जाय इस की व्यवस्था तो आज सरकार द्वारा स्वयं दे दी गई। १ घंटे इस पर विवाद चला कि गजट में क्या प्रकाशित हुआ है, गजट कब प्रकाशित हुआ। मंत्री और उपमंत्री दोनों परेशान रहे और किसी को कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। यह नहीं बता पाते थे कि यह गजट कब छपा और विरोध पक्ष से कहते थे कि गलत कापी उठा लाये....

श्री उपाध्यक्ष—

वह कंट्रोवर्सी तो अब समाप्त हो गई।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

इनके निकम्मेपन का जो सर्टिफिकेट माननीय कमलासिंह ने दिया है उसी के आधार पर कहता हूं कि हमारी सरकार किस प्रकार की है। एक और व्यवस्था थी, एक आर्डिनेन्स आया आर्डिनेन्स क्या वह विधय आर्डिनेन्स का रूप दे सकती थी जो कि उस को अधिकार नहीं है। हम सब मानते हैं अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी। परन्तु माननीय उपाध्यक्ष जी हम पुनः उस पर विचार करने के लिये कहते हैं और आप भी स्वयं उस पर विचार करेंगे पर माननीय मंत्री जी कुछ नहीं कह पाये। अध्यक्ष महोदय ने इसे बदला। यह जो आर्टिकिल २१३(३) था उसका मतलब कुछ और निकाला।

श्री उपाध्यक्ष—

जो अध्यक्ष महोदय तय कर गये उस मसले को फिर न उठायें।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

एक व्यवस्था दी उसके माने कुछ और होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जो रूलिंग हो गयी वह ठीक है। एक आपत्ति उठाई गयी थी, उस पर निर्णय हो गया। फिर उसे उठाने की क्या जरूरत है? अब आप दूसरी बात कहें।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

विधेयक यह लाया गया। सेंटर ने यह अधिकार दिया है कि दो से तीन परसेंट सेल्स टैक्स कर सकते हैं। वह कर सकते हैं पहली जुलाई से और आपका आर्डिनेन्स निकला ३० जून को। तो आपको अधिकार पहली जुलाई से होता है। ३० जून को आर्डिनेन्स नहीं निकाल सकते थे, न उसका असर हो सकता था। अनुच्छेद २१३ के पैरा ३ में यह स्पष्ट है कि पहली जुलाई को २ से ३ प्रतिशत वसूल कर सकते हैं। कमलासिंह जी ने सरकार का निकम्मापन बतलाया। मैं आपका ध्यान उसके अलावा ड्राफ्टिंग के निकम्मेपन की ओर दिलाता हूं। आपने ३—क में "दो-दो नये पैसे प्रति रुपया" निकाल कर यह जोड़ दिया है "धारा ३ या ३—क में किसी बात के रहते हुये भी, निम्नलिखित मालों के विक्रय धन पर, व्यापारी द्वारा उपभोक्ता के हाथ बिक्री को छोड़कर, बिक्रीकर नहीं लगेगा तथा कर की दर दो नये पैसे प्रति रुपया से अनधिक वह दर होगी जो राज्य सरकार द्वारा गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित की जाय।" यहां दो पैसे निकाल कर ३ पैसे अनूदित है। तो यह इस तरह से है कि निर्दिष्ट अधिकतम दर से अनूदित। अब यहां पर कोई दर नहीं है। सेल्स टैक्स ऐक्ट में कहा है कि तीन पैसे तक आप बढ़ा सकते हैं। यहां कोई दर आप रख नहीं रहे हैं। आपको फिर गजट में प्रकाशित करना पड़ेगा कि क्या दर रखेंगे। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परिस्थिति क्या है, प्राइसेज की कंडीशन क्या है। (व्यवधान) तो आपको उतावलापन क्या था कि आर्डिनेंस द्वारा २ से ३ करें। सेंट्रल ऐक्ट ने यह नहीं कहा है कि

आप २ से ३ तुरन्त कर दें। आप जब चाहें तब कर सकते हैं। आप २ का ढाई कर सकते थे, सवा दो कर सकते थे। यहां की परिस्थिति पर आपका कोई ध्यान नहीं। जो हालत प्रदेश की है उससे सब परिचित हैं। और फिर उन वस्तुओं पर कमलासिंह जी ने ज्यादा विस्तार से कहा है कि इन वस्तुओं पर जो एसेंशल कमोडिटीज हैं। सूत है, रुई है, लोहा है यही एसेंशिल कमोडिटीज हैं जिन पर आप बढ़ाने जा रहे हैं। (व्यवधान) उन्हीं पर आप बढ़ाना चाहते हैं। तो कोई जल्दी नहीं थी कि आपको जैसे वहां से निर्देश हुआ कि इतना आप कर सकते हैं तो आपने तुरन्त कर दिया। अगर आई०पी०सी० में तीन साल की सजा होनी चाहिये तो आपने फुल ऐडवांटेज उठा लिया कि हां, तीन साल की सजा हो जानी चाहिये। यह न सोचा कि परिस्थिति क्या है। आपको इसके ऊपर पहले विचार करना चाहिये था, जनमत लेना चाहिये था कि दरअस्ल जो परिस्थिति है उसमें लोग दे पाते हैं, प्राइसेज का पता है नहीं कि ये किधर जा रही हैं और एक रोज पहले ही इल्लीगल आर्डिनेंस निकाल दिया। यह जाहिर है कि यह जो बढ़ी हुई दर आप लगा रहे हैं आप इसको सवा दो परसेंट कर सकते थे या आप न लगाते। देश और प्रांत की दशा बहुत गड़बड़ चल रही है। अभी दो ही परसेंट रखते, कोई आवश्यकता नहीं थी कि तीन परसेंट कर दें। जब प्रदेश की स्थिति सुधरती तो बढ़ा लेते, जैसा कि कमलासिंह जी ने बताया कि आपके यहां टैक्स ज्यादा लगाने के कारण माल दूसरी जगह से आता है, यहां का नहीं लिया जाता है। इन शब्दों के साथ में माननीय कमलासिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

(वित्त मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री प्रेमसिंह—

मेरी बात तो सुनिये। इधर का सदस्य बोल रहा था उसके बाद उधर का सदस्य बोलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई न बोले तो क्या होगा। आपको मौका मिलेगा।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहता है तो उसको मौका मिलना चाहिये। उसको मौका आप दें। सरकार या आप उसको रोक नहीं सकते हैं। उसको कोई चेक नहीं कर सकता है। हम अपने राइट को जानते हैं और उसका इस्तेमाल होना चाहिये। अगर कोई सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहता है तो उसको प्रकट करने दिया जाय।

श्री प्रेमसिंह—

अब तो मैं जरूर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा बोलिये।

श्री प्रेमसिंह—

इतना समय बरबाद हो गया अगर आप पहले ही मान लेते तो कितना अच्छा होता। मान्यवर, यह सेल्स टैक्स का जो बिल आया है यह समय के अनुकूल नहीं आया है। चूंकि जिन चीजों पर आप टैक्स बढ़ाना चाहते हैं उन चीजों का जनजीवन से संबंध है। तो इसका प्रभाव जनजीवन पर पड़ने वाला है। इसी सिलसिले में मैं एक शेर सुनाता हूं।

उठो, मेरी सरकार गरीबों को न सताओ।
गरीबों की दरोदीवार को मजबूत बनाओ।।

[श्री प्रेमसिंह]

तो इन पर टैक्स न लगाइये। अगर यह टैक्स आप लगा देंगे तो इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ेगा। डालडा मिलता नहीं है और दूसरी खाने की चीजें भी नहीं मिलती हैं। तेल पर भी आप टैक्स लगाने जा रहे हैं तो गरीब जनता का सहारा वह भी चला जायगा तो वे कहां जायेंगे। तेल और डालडा मिलता नहीं है और घी तो पहले ही से गायब है। इस वजह से इस टैक्स से लगने से हालत और बदतर हो जायगी। चमड़े पर आप टैक्स लगा रहे हैं तो उससे चमड़ा और तेज होगा और इसका असर फिर गरीब पर जाकर पड़ेगा। व्यापारी तो बहुत होशियार हैं। वह सरकार को विशेष लाभ देना नहीं चाहते हैं। वह यहां पर बिक्री कर नहीं देगा और अपने माल को दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर कर देगा। इसका नतीजा यह होगा कि सरकार को जो टैक्स मिलना चाहिये वह नहीं मिल पायेगा। इसलिये इस संशोधन विधेयक को लाने से कोई लाभ नहीं है। इसके विपरीत सरकार पुराना टैक्स वसूल नहीं कर पाती है और यह नया टैक्स ले आती है। यह पुराना टैक्स वसूल किया जाय और फिर नया टैक्स लगाया जाय। लाखों रुपया व्यापारी सरकार को नहीं देते हैं और उनके पास बकाया है तो फिर इस टैक्स को बढ़ाने से क्या फायदा है। गरीबों के ऊपर रहम कीजिये। हम तो जमीदार खानदान के हैं। हम पर रहम न कीजिये। हमको तो १५ रुपया रोज मिल जाता है। चाहे आप इस १५ रुपये की धनराशि को गरीबों को दे दीजिये लेकिन उन गरीबों की तरफ ध्यान दीजिये। ये बड़े बड़े अफसर, आई०ए०एस० वाले जो २ हजार रुपया रोजाना पाते हैं उनसे काटकर गरीबों को दीजिये ताकि उनकी तकलीफ दूर हो और हमारी तकलीफ भी दूर हो।

श्री कमलासिंह यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसको देखकर मुझे ताज्जुब हुआ। यह बारबार कहा जा रहा है कि इस बिल के अन्दर ड्राफ्टिंग की बड़ी गलती है। अभी माननीय मंत्री जी ने एक बात के लिये माफी मांगी और हो सकता है कि बाद को इस प्रकार के और अवसर आयें। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो संशोधन आप लाये हैं उसका परिणाम क्या होगा। इसमें यह दिया है कि धारा ३-कक में शब्द "दो नये पैसे प्रति रुपये से अनधिक" के स्थान पर शब्द तथा अंक" सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ की धारा १५ में तत्समय निर्दिष्ट अधिकतम दर से अनधिक "रख दिये जायं। इसके आने के बाद नतीजा यह होगा कि यह सरकार एक बार फिर गजट में प्रकाशित करायेगी। क्योंकि ३-कक में यह लिखा गया है कि धारा ३ और ३-क में किसी बात के रहते हुए भी, निम्नलिखित मालों के विक्रय धन पर व्यापारी द्वारा उपभोक्ता के हाथ बिक्री को छोड़ कर बिक्री-कर नहीं लागेगा तथा कर की दर दो नये पैसे प्रति रुपये से अनधिक वह दर होगी जो राज्य सरकार द्वारा गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित की जायगी। एक व्यवस्था का प्रश्न आप के सामने है। श्रीमन्, हम यहां जो भाषण दे रहे हैं वह कोई लिखा नहीं जा रहा है। ऐसा मालुम होता है, क्योंकि कोई रिपोर्टर यहां नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, लिखा जा रहा है।

श्री कमलासिंह यादव---

लेकिन लिखने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। आप कह लीजिये कि भाषण दिया है। आप सुनवा दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

लिखा जा रहा है। आप इत्मीनान रखिये। टेप रेकार्डिंग इसके अलावा होगी। आपका भाषण पूरा होगा।

श्री कमलासिंह यादव—

तो ठीक है। तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित कर रहा था कि आप की इस ड्राफ्टिंग की गलती से इतना समय बरबाद हो गया कि एक बार तो यह विधेयक प्रकाशित होगा और उसके बाद पुनः यह कहा गया है कि राज्य सरकार जनरल गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित करेगी कि वह दर क्या होगी क्योंकि सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है उसकी धारा १५ में जो दर दी गयी होगी उसका यहां कोई जिक्र नहीं किया गया है। यहां तो आप संशोधन करने जा रहे हैं। उससे साफ नहीं होता। अगर दो की जगह ३ आप लिख देते तो क्या नुकसान था, लेकिन यह आप करने को तैयार नहीं हैं। ड्राफ्टिंग ऐसी है कि जो वहां से छपकर आ गया, जिस रूप में वह भेज देंगे उस पर यहां मुहर लग जायगी। अगर इतना जिम्मेदार व्यक्ति भी अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करता तो दूसरों के लिये हम क्या कहें। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह संशोधन जिस रूप में लाया गया है उस रूप में न रहे, बल्कि २ की जगह ३ पैसा आप कर दीजिये। वह ज्यादा अच्छा होगा ताकि एक ही बार में आप उसका प्रकाशन करें और उस का इंफोर्समेंट हो जाय।

दूसरी बात यह है कि खाल और चमड़े के बारे में यह इस में दिया गया है कि व्यापारी द्वारा उपभोक्ता के हाथ बिक्री को छोड़ कर बिक्री कर नहीं लगेगा। यानी एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को बेंच सकता है। उस पर बिक्री टैक्स नहीं है, लेकिन जब उपभोक्ता को हम उस चीज को देते हैं तो उसमें यह टैक्स रहेगा। तो उसमें यह होगा कि यहां से हम जितना कच्चा माल है, जैसे चमड़ा है कच्चा चमड़ा ही नहीं है, बल्कि यह भी देखा गया है कि परिशोधित अवस्था में जो चमड़ा है उसको भी हम दूसरे व्यापारी के हाथ से बेंच सकते हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो या बाहर हो। अगर बाहर के आदमी को बेंचते हैं तो कोई सेल्स टैक्स लगेगा नहीं, इससे हमारी बड़ी हानि होगी। हम मौका दे रहे हैं कि हाइड वगैरह के जो काम करने वाले व्यापारी हैं वे दूसरे प्रदेशों में अपने सामान को बेंचें। दूसरी जगह सेंट्रल ऐक्ट भी वैसा ही है, इससे उसका फायदा दूसरे प्रान्त के लोग उठायेंगे; इसलिये मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था कर दें कि हमारे प्रदेश से बाहर हमारा कच्चा माल जाय तो सेल टैक्स यहां वसूल कर लिया जाय। उपभोक्ता के लिए तो हमने नियम बना लिये, लेकिन व्यापारी के लिये बनाया है कि दूसरे प्रदेश में वह कच्चा माल बेचेगा तो उस पर भी सेल्स टैक्स लगेगा। वह भी सिंगिल प्वाइंट ही होगा, क्योंकि वह चीज हमारे प्रदेश से बाहर निकल गयी।

तीसरी यह है कि अभी यहां पर बख्शी तालाब है, वहां पर चमड़ा निकाला जाता है, जब कोई डेड ऐनीमल भेजा जाता है तो उसका चमड़ा निकालकर उसका परिशोधन किया जाता है। उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट के ही लोग खरीदते हैं तो उनके लिये भी बहुत महंगा रेट, एक तरीके से उपभोक्ता का जैसा रेट रखा जाता है। तो गवर्नमेंट फैक्टरी के दूसरे हिस्से से भी सेल्स टैक्स लिया जाता है। अगर व्यापारी के रूप में भी ट्रीट करें तब भी इतना सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिये। साथ ही चमड़े के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रदेश के अन्दर अगर कोई भी आदमी लेना चाहता है इन रा-मैटीरियल्स को तो आप अधिक से अधिक टैक्स लेने की कोशिश न करें। जो खादी पहिनने वाले लोग हैं उनके लिये तो यह बहुत ही उपयोगी चीज है रूई। इसलिये रुई और हाइड्स जैसी चीजों पर इतना टैक्स नहीं होना चाहिये और जो गांधी जी और चरखे के भक्त हैं और उसमें विश्वास रखते हैं उनको अवसर मिलना चाहिये कि वह अपना कपड़ा बना सकें और जो महंगा होता जा रहा है खादी का कपड़ा उसको हम सस्ता कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन बातों पर अपनी विचारधारा स्पष्ट करेंगे और साथ ही साथ जो मैंने प्राप्ति की बात कही है, उस पर भी ऐसा संशोधन ले आयेंगे कि दोबारा गजट में उसका प्रकाशन न हो। एक ही गजट के प्रकाशन में ऐसी व्यवस्था हो जाय तो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से सरकार खुद दुरुपयोग करेगी तो दूसरों के लिये हम कैसे रोक सकेंगे। इसलिये मैं मंत्री जी से

[श्री कमलासिंह यादव]

कहूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें कि हमारे प्रदेश के लोग भी जाग्रत हों और प्रदेश की आर्थिक स्थिति आगे बढ़ सके।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां तक अवमूल्यन का सवाल है उसका भी इस पर असर पड़ेगा। जब मंहगा सामान हो जायेगा तो रोजगार की आमदनी बहुत कम होगी, क्योंकि लोग बाहर माल भेजेंगे। इसलिये एक आर्थिक कठिनाई हमारे सामने आने वाली है, हमारे मंत्री जी हमारे प्रदेश और हमको बचायें और हमें ऐसे उपाय बतायें जिनका हम अपने प्रदेश के अन्दर उपयोग कर सकें ताकि दूसरों के लिये हम एक नमूना पेश कर सकें। हम भिक्षावृत्ति नहीं चाहते हैं और न किसी को भूखों मारना चाहते हैं। जो कच्चा माल हम पैदा कर सकते हैं उसका सही इस्तेमाल करना भी हम जानते हैं और उसका सामान बनाकर खुद हम उसका इस्तेमाल करेंगे—यह हमें दुनियां के सामने दिखा देना है। इससे प्रदेश का भी भला होगा और जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है, उससे प्रदेश को बचाया जा सकेगा।

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत सी बातें जो कही गयी हैं वह या तो जानकारी की कमी पर आधारित हैं या विधेयक में जो व्यवस्था है उसको समझने की कोशिश नहीं की गयी है इसके कारण हैं.....

(किसी के बीच में बोलने पर)

समझने की कोशिश कीजिये तो समझ में आ जायगा।

श्री कमलासिंह यादव—

एक बात मंत्री जी की बुद्धि में थोड़ी सी आ गयी हो तो हमें बता दें, हम मान लेने को तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

गलती के लिये तो माफी मानने को तैयार हैं।

श्री जयराम वर्मा—

मैंने यह पहले ही निवेदन किया था कि केन्द्रीय सेल्स टैक्स ऐक्ट की धारा १४ में अन्तर्राज्यिक व्यवसाय और व्यापार के लिये विशेष महत्व के मालों की घोषणा की गयी है, जिनको घोषित माल कहा जाता है उस पर सेल्स टैक्स कितना लगे और कहां पर लगे, उसके संबंध में राज्यों के अधिकार पर केंद्रीय सरकार ने सीमा बांध रखी है। अब तक वह सीमा यह थी कि वह सिंगिल प्वायंट पर लगता था और दूसरी सीमा यह थी कि अधिकतम दर दो प्रतिशत होगी। तो केंद्रीय सरकार ने हमारे अधिकारों की जो सीमा बांध रखी थी, उसके अनुसार हमने भी अपने ऐक्ट में व्यवस्था कर रखी है और ऐक्ट की धारा ३—(कक) में यह व्यवस्था है कि हम टैक्स एक स्थान पर लगायेंगे और वह टैक्स किस स्थान पर लगेगा? वह यह है कि 'लास्ट प्वायंट आफ सेल' बिक्री का आखिरी प्वायंट यानी जहां पर व्यापारी द्वारा माल कंज्यूमर को बेंचा जाता है या एक रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा अनरजिस्टर्ड व्यापारी को बेचा जाता है वहां पर लगेगा। अन्य बीच की खरीद फरोख्त होने पर कोई सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यह सिंगिल प्वायंट है हर जगह पर नहीं लगेगा। कहां पर लगेगा यह इसमें तय किया गया है।

श्री कमलासिंह यादव—

फर्ज कर लीजिये कि कोई जूता बनाता है, वह चमड़ा खरीदता है और उसका जूता बनाता है। जूता बनने के बाद वह दूसरों के हाथों में जायेगा। तो वह टैक्स से कैसे बच सकेगा?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो दोनों अलग चीजें हैं ।

श्री कमलासिंह यादव—

आप इसी को थोड़ा-सा समझाइये कि वह कैसे बच सकेगा ।

(व्यवधान)

श्री जयराम वर्मा—

एक प्वाइंट पर लगेगा । अगर रजिस्टर्ड व्यापारियों के बीच में वह खरीद फरोख्त होती है तो वहां नहीं लगेगा, आखिरी प्वाइंट पर लगेगा ।

(व्यवधान)

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

यह चीज अभी साफ नहीं हुई, मंत्री जी इसे स्पष्ट करने की कृपा करें ।

श्री जयराम वर्मा—

चमड़ा और जूता दोनों एक माल नहीं हैं, दोनों अलग-अलग हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

चमड़ा अलग है और जूता अलग है, आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री लखपतराम शर्मा—

यहां श्रीमन्, चमड़ा और जूता बन रहा है और यूनिवर्सिटी के अन्दर पुलिस घुस गयी है, वहां स्टूडेंट्स की आंखें फूट गयी हैं और उनकी हड्डियां टूट गयी हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

बाहर की चीजों का यहां नोटिस नहीं लिया जा सकता ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

विश्वविद्यालय के अन्दर पुलिस घुस गयी है । और वहां चौराहे पर विद्यार्थियों को पुलिस लगातार लाठी मार रही है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कायदे के अनुसार काम होगा, बीच में आप मत बोलिये ।

श्री उग्रसेन—

स्थिति बड़ी गम्भीर है । स्थिति कंट्रोल के बिलकुल बाहर जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्वक्ष—

आप बैठें ।

श्री उग्रसेन—

देश के विद्यार्थियों और बच्चों पर लाठी गोली चलायी जा रही है और आप मुझसे बैठने के लिये कह रहे हैं, हम क्यों बैठें ?

श्री उपाध्यक्ष—

हाउस का जो कार्य है वह चलेगा।

श्री उग्रसेन—

लाठी गोली चलेगी तो हम नहीं बैठेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये आपको अख्तियार है कि आप ऐडजर्नमेंट मोशन लावें।

श्री उग्रसेन—

फिर सदन की कोई जरूरत नहीं है, आप कुर्सी छोड़िये और जाइये। हम क्यों बैठें, हम नहीं बैठेंगे। जब तक उत्तर प्रदेश में लाठी गोली और गुंडाशाही सरकार बन्द नहीं करती, तब तक हम नहीं बैठ सकते हैं। यह तो उग्रसेन की शान के खिलाफ बात होगी...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी, आप बैठ जायं या सदन छोड़ें।

श्री उग्रसेन—

यह इंसानियत, जनतंत्र और मानवता के बिलकुल विरुद्ध है, उपाध्यक्ष महोदय, हम नहीं बैठ सकते। आज माननीय बनारसीदास जी लाठी गोली तथा अन्य तरह से तमाम जुल्म ढा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं। हाई कोर्ट के हाते में, मंकी ब्रिज पर, लाटूश रोड पर, आपकी सारी पुलिस लगी हुई है और आपके दारोगा तक पत्थर और ईंटें चला रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी आप सदन के नियमों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। या तो आप कृपा करके बैठे या आप जाइये।

श्री उग्रसेन—

हम हाउस नहीं छोड़ेंगे, आप हाउस छोड़ें। माननीय होतीलाल जी, हम हाउस नहीं छोड़ेंगे। विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज हो रहा है, और आप हमसे बैठने के लिये कह रहे हैं, मैं क्यों बैठूं, मैं आपसे ही पूछता हूं? कोरो ने कहा कि या हम जेल के अन्दर हैं तो तुम बाहर क्यों हो। ऐसी स्थिति में कोई इंसान यहां नहीं बैठ सकता। मैं अपोजीशन के लोगों से कहना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

आप यूनिवर्सिटी के हाते से पुलिस को बाहर बुलायें। हम यहां क्यों बैठें? हम यहां नहीं बैठ सकते जब तक यह अत्याचार जारी है। हम जैसे नाचीज से कहें कि बैठ जाइये तो हम बैठने वाले नहीं हैं। यहां तो अब मुल्क के गद्दार बैठेंगे। जो बगावत का नारा...

(व्यवधान)

यह हमारी बगावत का नारा हुकूमत के खिलाफ है, लाठी चार्ज हो रहा है यूनिवर्सिटी में और हम यहां बैठे रहें । हम सन् ४७ में नहीं बैठे और हमने बगावत की, गलत चीज को हम बरदाश्त नहीं करेंगे, हम मिट जायेंगे । यह इनसानियत नहीं है । हम को गोली मार दो । झारखंडे राय को, ऊदल को गोली मार दो, प्रेम को भी मार दो । निहत्थे बच्चों पर गोली चलाई जाय । यूनिवर्सिटी के प्रश्न पर वाइस चांसलर. . . .

(व्यवधान)

जिनकी हमें रक्षा करना चाहिये उन पर पुलिस के दरोगा गोली चला रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं । अगर हम यहां बैठते हैं ऐसी हालत में तो यह अपोजीशन हिजड़ों का अपोजीशन है । मैं श्री रामसुन्दर पांडेय से कहता हूं, मैं अपोजीशन की बात नहीं कहता हूं (व्यवधान) आप लाबी में बैठकर तय करें · · · (व्यवधान) मैं अपने साथी को बधाई देता हूं · · · (व्यवधान) मैंने गुप्ता जी को लिखा । मैंने कहा कि सरकार स्तीफा दे । राज नारायण जी ने राज्य सभा में प्रश्न उठाया, बनर्जी वहां से मुअत्तल हो गये और वहां एक हंगामा हुआ. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मार्शल, माननीय उग्रसेन की सहायता कीजिये कि वह सदन से बाहर जांय ।

श्री उग्रसेन—

हम क्यों चले जायं, हम ऐसे नहीं जायेंगे । माननीय बंशीधर जी, मैं १२ बरस तक तुम्हारे यहां पढ़ाये हूं, कोई कल का लड़का नहीं हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मार्शल इनको शक्ति के साथ बाहर ले जाया जाय ।

(मार्शल ने हाउस गार्ड्स के साथ प्रवेश किया ।)

श्री उग्रसेन—

हमारा कहना है कि (व्यवधान) माननीय बनारसीदास जी, ऐसे जनतंत्र नहीं चलेगा, हम नहीं बैठेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मार्शल जल्दी करो ।

श्री उग्रसेन—

अपोजीशन की हमदर्दी तुम्हारे साथ है (मार्शल से) · · ·

श्री उपाध्यक्ष—

मार्शल जल्दी करो ।

(मार्शल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री उग्रसेन को सदन से बाहर ले गये ।)

कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

प्रान्त में जुल्म बढ़ा कर, प्रान्त में गोली चलाकर ये अपने को भूल गये हैं । जनता भूखों मर रही है । जनता पिसी जा रही है । (इन्क्लाब जिन्दाबाद के नारे लगाये गये) ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय तेजभानसिंह जी, आप कृपया बैठ जायं ।

कुंवर तेजभानसिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया या तो बैठें, या सदन छोड़ें ।

कुंवर तेजभानसिंह---

श्रीमन्, प्रान्त में भुखमरी की स्थिति पहुंच रही है । प्रदेश की जनता दुखी है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठें या सदन छोड़ें ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय में आप आधे घंटे के लिये सदन को स्थगित कर दें ताकि शांति का वातावरण हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो मेरा नहीं सदन का और आपका भी अपमान है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, आज जो सदन की स्थिति है उसमें आपको चाहिये कि आप सदन को बन्द कर दें १५-२० मिनट के लिए । मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप स्थिति को संभालने के लिये सदन को १५ मिनट के लिये स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

उनको जवाब देने दीजिये । कृपा करके आप बैठिये ।

(श्री तेजभानसिंह के पुनः बोलने पर---व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मार्शल, श्री तेजभानसिंह को सदन से बाहर ले जायं ।

(श्री तेजभानसिंह सदन से निष्कासित किये गये ।)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

श्रीमन, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप जो माननीय सदस्यों को बहुत जल्दी-जल्दी सदन से निकालते हैं क्या यह उचित है ? जब आप यह कहते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

जब आपको मालुम नहीं तो आप कृपया बैठें ।

श्री राधेश्याम शर्मा---

श्रीमन्, जब आप ऐसा कहते हैं तो हमें बड़ा गुस्सा आता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं बताता हूं कि स्थिति क्या है। देखिये माननीय वित्त मंत्री जवाब दे रहे थे (हरिनाथ तिवारी के खड़े होने पर) माननीय हरिनाथ तिवारी, जरा सुन लीजिये। जब यहां पर डिस्कशन चल रहा था तो मंत्री जी के जवाब के दौरान में ही माननीय उग्रसेन जब आये और एकदम उन्होंने यह मांग पेश की कि यह सब काम खत्म करके समाप्त कर दिया जाय। मैंने बार-बार और कम से कम १०–२० बार उनसे आग्रह किया कि आप बैठ जायं, यह सब काम चल रहा है। मैंने उनसे यह भी कहा कि अगर बाहर कोई काम हो रहा है तो सदन उसका कोई नोटिस नहीं लेता। जब आप कोई मोशन लायेंगे तो उस पर विचार किया जायगा। आप कोई मोशन नहीं लाते। मैंने बार-बार उनसे प्रार्थना की लेकिन कई मिनट तक वे अपनी बात कहते रहे तब मैंने मजबूर होकर कहा कि आप बाहर चले जायं। तो उन्होंने कहा कि न हम बाहर जायेंगे और न बैठेंगे। तब मैंने मार्शल से कहा कि इन्हें बाहर जाने में सहायता दीजिये। इसलिये आप देखेंगे कि जल्दबाजी नहीं की गयी है। उनको काफी मौका दिया गया है। लेकिन अगर वह नहीं मानते हैं और सदन के जो नियम हैं उनके खिलाफ काम करेंगे तो फिर मजबूरी हो जाती है। नेता विरोधी दल ने उनसे प्रार्थना की, लेकिन वह नहीं माने। तब मजबूरी में यह काम किया गया।

श्री राधेश्याम शर्मा—

माननीय तेजभान सिंह को तो आपने बहुत जल्दी निकाल दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

उनको मैंने बार-बार कहा, कई दफा कहा, नेता विरोधी दल के कहने से और टाइम दिया और जब वह नहीं माने तब यह बरताव हुआ। मैं समझता हूं माननीय राधेश्याम जी, आप इस बात को ऐप्रीशियेट करेंगे कि कोई मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, न बेइज्जती करने का सवाल है। मैं तो सिर्फ सदन के नियमों को काम में लाने के लिये हूं। और मैं समझता हूं कि मेरा कर्त्तव्य है कि अगर कोई ऐसी चीज होती है तो उसके ऊपर मैं ध्यान दूं और उसका निवारण करूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अभी माननीय उग्रसेन जी ने जो सवाल उठाया था मैं आपके सामने उसको बिलकुल संवैधानिक तरीके से रखना चाहता हूं। उग्रसेन जी का यही कहना है कि लखनऊ शहर के अन्दर जहां से सारे प्रदेश का शासन चलता है कोई शान्ति का वातावरण नहीं रह गया है, कोई आदमी स्वतंत्रता महसूस नहीं करता है, चारों तरफ मिलिटरी पुलिस और पी० ए० सी० फैली हुई है। तो क्या ऐसे समय में आप संविधान के प्रहरी और जनतंत्र के रखवाले जो हैं सब से ज्यादा आप के ऊपर जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था और जनतंत्र ठीक से चले? ऐसे समय में जब मंत्री ब्रिज पर लाठी चार्ज हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, मेरी बात सुनें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अश्रु गैस चल रही हो तो क्या ऐसे समय में इस सदन को संचालित करना जरूरी है? इसलिये माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि जो रोजमर्रा का काम है उसको स्थगित कर दें और जो स्थिति पैदा हो गई है उस पर विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं, मेरी बात सुन लें। देखिये हमारे सदन के जितने नियम हैं जो काफी विस्तृत हैं उनके अन्दर कायदे दिये हुये हैं कि ऐसे प्रश्न जब उपस्थित हों तो उनके बारे में किस

[श्री उपाध्यक्ष]

तरह से सवाल उठाया जायगा, किस समय पर उठाया जायगा। कोई भाषण हो रहा हो उसके बीच में नहीं उठाया जायगा। ये सारी बातें हैं। उन नियमों की रक्षा करना मेरा और आप का भी धर्म है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

हमारा धर्म नहीं है। नियमों और कानून की रक्षा करना सबसे पहले सरकारी पक्ष का धर्म है। माननीय मुख्य मंत्री और बनारसी दास जी की पुलिस छात्रों पर लाठी चार्ज करती हो, अश्रु गैस का प्रयोग करती हो तो हम क्या करें. . . .

श्री उपाध्यक्ष---

चेयर का कर्त्तव्य है की सदन में व्यवस्था बनाये रखे। कभी-कभी दुखी होकर भी इसको यह करना पड़ता है इसलिए मैं कहूंगा कि सदन के जो नियम हैं उनके मुताबिक आप कहें।

श्री काशीनाथ मिश्र---

हाउस आफ कामन्स में रूलिंग हो चुकी है कि अन्डर दी स्पैल आफ मिलिटरी पैट्रोल ऐंड आर्म्ड कांस्टबुलरी इट इज अगेन्स्ट दी डिगनिटी आफ दी हाउस टु कंडक्ट दी बिजनेस आफ दी हाउस. हमारे यहां जनतंत्र चलाने का मखौल हो रहा है। यह तो मौकरी है। यह विधान सभा नहीं रह गई है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको नियमों का पालन करना होगा। बिना पालन किये हुये काम नहीं चल सकता है सदन का। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप बैठ जाइये।

श्री काशीनाथ मिश्र---

इस सारी कार्यवाही को बन्द करके आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बहस कराइये।

श्री उपाध्यक्ष---

४ बजे से स्थगन प्रस्ताव पर बहस होगी।

इस समय श्री काशीनाथ मिश्र बराबर भाषण करते रहे। श्री उपाध्यक्ष ने उन्हें अपना स्थान ग्रहण करने का आदेश दिया जिसका माननीय सदस्य ने पालन नहीं किया। तब श्री उपाध्यक्ष ने उन्हें सदन छोड़ने को कहा परन्तु इस आदेश की भी अवहेलना हुयी। तब श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार मार्शल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री काशीनाथ मिश्र को सदन से बाहर ले गये।)

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकारी चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के लोगों ने सरकार के विरुद्ध अविश्वास का जो प्रस्ताव पेश किया है वह आप एजेंडे पर ले रहे हैं? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस बिना वाइस चांसलर की अनुमति के यूनिवर्सिटी में घुस गयी है और विद्यार्थियों को कमरों से पकड़-पकड़ कर मारा जा रहा है तो क्या यह बात सही है?

श्री उपाध्यक्ष---

रामसुन्दर जी, एक प्रस्ताव दिया गया है जो कल सुबह ही पेश होगा। दूसरी बात यह है कि यह जो अब प्रस्ताव आया है, इस पर बहस होगी, उसके बाद स्टेटमेंट भी हो जायगा।

श्री झारखण्डेराय—

उपाध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह यह है कि जो वातावरण इस समय पैदा हो गया है, किस कारण से है उसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन जो वातावरण पैदा हो गया है उससे आप भली भांति परिचित हैं, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। तो हमारा आपसे आग्रह है कि कुछ समय के लिये सदन को स्थगित कर दें।.....

श्री उपाध्यक्ष—

झारखण्डे राय जी, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। माननीय वित्त मंत्री को जवाब देने दीजिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आप ऐसा कर दें तो उसी काम के लिये ..... (व्यवधान) अगर आप सहयोग देना नहीं चाहते..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे कहता हूं कि आखिर सदन का वातावरण शान्त रखने में कोशिश तो आपको भी करनी चाहिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अगर आप ऐसा ही चाहते हैं कि ४ बजे तक शान्ति न हो तो देखियेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

तो फिर क्या हो, जवाब देने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अगर यह विधेयक आज पारित नहीं होता है तो सरकार के ऊपर क्या पहाड़ टूट जायगा? आज का आप काम बन्द कीजिये और जो प्रस्ताव है उसको लीजिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस तरह से बात करते हैं, यह ठीक नहीं है। कायदे से सदन के नियमों के अनुसार सदन को चलने दीजिये, उसमें कोई त्रुटि आपकी तरफ से नहीं होना चाहिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—

आप चलने दें तब तो हम चलने दें।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन में पेश होगा ४ बजे, तो फिर क्या है? आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिये, काम चलने दीजिये। इससे आपका भी कोई काम नहीं होता है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

आप काम निकालने में इतनी जल्दी करते हैं तो हम कैसे चलने दें, आपको तो थोड़ा नम्र होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, आध घंटे बाद इस बारे में बहस होगी।

श्री झारखण्डेराय---

मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि शान्तिपूर्ण आग्रहों और निवेदनों . . . . .

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

सदन की कार्यवाही चलने दीजिये । इस तरह से बीच-बीच में बोलने से, व्यवधान करने से सदन का अनावश्यक रूप से समय नष्ट होता रहता है । श्रीमन्, ४ बजे इस पर बहस होगी तो अब इसमें कौन सा व्यवस्था का प्रश्न है । यदि कोई यह चाहें कि वह बल प्रयोग से सदन न चलने दे तो यह हरगिज नहीं हो सकता है ।

श्री जयराम वर्मा---

डिक्लेयर्ड गुड्स के ऊपर टैक्स लगाने के सम्बन्ध में सीमा बांधी गयी है । उस सीमा को बांधने के बाद यह जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार अधिक से अधिक रेट लगाये बल्कि कौन सा रेट लगाये वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

बस अब हम आपकी वक्तृता समझ गये, अब आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री जयराम वर्मा---

३ परसेन्ट हो गया है वह केन्द्रीय सरकार ने किया है जो अधिकार हमें केन्द्रीय सरकार ने दिया है उसको हम ले रहे हैं और उसमें उसके अनुसार संशोधन कर रहे हैं तो यह तो कोई आपत्ति की बात नहीं है । केन्द्रीय सरकार ने अधिकार दिया है उसे हम अपने ऐक्ट में ले रहे हैं उसके मुताबिक हम व्यवस्था रख रहे हैं । शब्द इसमें ऐसे रखे जा रहे हैं जिससे इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को फिर से कोई संशोधन न करने पड़ें बार-बार यानी कि जब-जब केन्द्रीय सरकार इसमें संशोधन करे । इसमें शब्द यह रखे गये हैं---' सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ की धारा १५ में तत्समय निर्दिष्ट अधिकतम दर से अनधिक ।" उन्होंने दो परसेन्ट से अब ३ परसेन्ट कर दिया है तो हमने भी तीन परसेन्ट कर दिया है केन्द्र २ परसेन्ट कर देगा तो यहां भी दो परसेन्ट हो जायगा और यदि ढाई परसेन्ट कर देगा तो यहां भी ढाई परसेन्ट हो जायगा, इसमें हमें बार-बार संशोधन करने की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है । इसमें यह उपाय किया गया है जिससे कोई गड़बड़ न हो । जहां तक ऐसा खयाल है कमला सिंह जी ने जो कहा कि अन्तर्राज्यिक कोई टैक्स नहीं लगता---ऐसा नहीं है---वह भी लगता है । यदि कोई माल इस स्टेट से बाहर जाता है तो वह भी लगता है वह भी अब बढ़ाकर २ परसेन्ट से तीन परसेन्ट कर दिया गया है । चार स्टेट्स एक दूसरे से मिली हुई हैं---उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान और इन चारों स्टेटों ने इकट्ठा होकर तय किया है कि हम यूनिफ मिटी आफ दी टैक्स रखेंगे । हमारे रेट के अन्दर यूनिफार्मिटी होनी चाहिये यह तय हो गया है । अब हमारे और उनके रेट जो अन्तर था उसको हटा दिया गया है । सबके रेट करीब एक से हो गये हैं । इसलिये इसमें अब कोई दिक्कत नहीं रह गई है । हमारे इस प्रदेश के व्यापारी को दिल्ली के व्यापारी के मुकाबले में कोई दिक्कत नहीं रह गई है । अब इन रेट्स को यूनिफार्म कर दिया गया है । अब तक जो अनामैली चली आती थी उसको दूर कर दिया गया है । इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि जो संशोधन लाया गया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । मैं माननीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको नामन्जूर कर दे और इस बिल को स्वीकार कर लें ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

आपने यह बिलकुल नहीं बताया कि जो कहा गया है कि आप को ३ परसेंट का अधिकार मिलता है तो आप उसको सवा दो परसेंट कर सकते थे, ढाई परसेंट कर सकते थे, पौने तीन परसेंट कर सकते थे । आपने पूरा अधिकार क्यों दे दिया ?

श्री जयराम वर्मा—

सुनना न चाहें तो मेरा कसूर तो है नहीं। मैंने कहा कि वह तो हाइयेस्ट दर है। उस दर के होते हुये सरकार को अधिकार है कि उस के अन्दर किस दर को वह किस माल पर मुकर्रर करे। जो केन्द्रीय सरकार ने सीमा बांध दी है, उसे रखते हुए उसके अन्दर हमको यह दर नियत करनी है। जिस माल पर जो दर होगी वह हम विज्ञापित कर देंगे और उस पर वही दर लागू हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आप के सामने मूल प्रस्ताव रख रहा हूं। अगर यह पास हो जायगा तो संशोधन गिर जायेंगे।

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देते हैं कि वह यह दर नहीं बढ़ायेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

जो केन्द्रीय दर है उस से अधिक नहीं बढ़ायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

तो मैं संशोधन न लेकर मूल प्रस्ताव को रख रहा हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्न लिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :)

पक्ष में—७९।

विपक्ष में—४५।

खंड २

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा ३—कक में शब्द "दो नये पैसे प्रति रुपये से अनधिक" के स्थान पर शब्द तथा अंक "सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६, की धारा १५ में तत्समय निर्दिष्ट अधिकतम दर से अनधिक" रख दिये जायें। संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई० की धारा ३—कक का संशोधन।

श्री कमलासिंह यादव—

जरा मेरा संशोधन भेज दें श्रीमन्। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आपके पास नहीं है ? ठीक है, ये दोनों आज ही लिये हैं इसलिये छप कैसे सकते हैं ?

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद—

जो दिया था संशोधन वह भी नहीं छप पाया, मेरा जाना हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कह रहे हैं कि एजेंडा प्रेस में जाने के बाद में किया।

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद—

मेरा निवेदन है कि या तो फिर आप मुझे पढ़कर सुनावें संशोधन.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सुना दूंगा। वह खुद ही मूव करेंगे।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की द्वितीय तथा तृतीय पंक्ति में शब्द "सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ की धारा १५ में तत्समय निर्दिष्ट अधिकतम दर से अनधिक" के स्थान पर "एक नये पैसे प्रति रुपये से अनधिक" रख दिये जायं। श्रीमन्, एक समय था जबकि वह सामान जिनका इस लिस्ट में जिक्र किया गया है बहुत ही सस्ता इस प्रदेश में बिक रहा था, लेकिन आज यह सारा सामान दिन प्रति दिन महंगा होता जा रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि इससे हम कोई फायदा उठाना चाहें, यानी अपने रा मैटीरियल को इस्तेमाल करके उसका सही उपयोग करना चाहें तो यह गैरमुमकिन सा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब ७० फीसदी किसान हैं जिनकी जीविका कृषि पर निर्भर है।

जो यह ७० प्रतिशत किसान हैं अगर यह कृषि पर ही निर्भर रहेंगे तो हमेशा हम गरीब होते चले जायेंगे। हमें, जो और छोटे-छोटे मुल्क हैं जैसे जापान या स्वीडेन वगैरह, उनसे दीक्षा लेना चाहिये। यह मुल्क कृषि पर कम से कम आधारित हैं, ज्यादा से ज्यादा वहां पर लोग अन्य उद्योगों पर निर्भर हैं। जितनी संख्या कम से कम कृषि पर निर्भर होगी उतना ही प्रदेश उन्नति करेगा और प्रदेश की हालत सुधरेगी। विदेशों में लोग कृषि पर कम से कम आधारित हैं। अपने प्रदेश की हालत तभी सुधरेगी जब कि हमारे कृषक खेती से हट कर अन्य उद्योगों में लगेंगे। तभी यहां की गरीबी दूर हो सकेगी। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि अपने यहां जितना माल पैदा होता है उसका उपयोग हम खुद ही कर सकें और उसका फायदा हमारे प्रदेश को ही पहुंचे। लेकिन जो आज यह सेल टैक्स लगाया जा रहा है उससे हमारे प्रदेश के छोटे छोटे उद्योगों को ठेस पहुंचेगी और एक दिन वह आयेगा जब सारे उद्योग ठप्प हो जायेंगे। उदाहरण के लिये रुई को ले लीजिये। उसका इतना बढ़िया सामान हमारे यहां तैयार होता है कि उसकी विदेशों तक में अच्छी खपत है। गाजीपुर में इतने बढ़िया किस्म के पर्दे बनते हैं, जिन पर अशोक पिलर और चक्र आदि बने रहते हैं, उनकी अमेरिका वगैरह में बहुत खपत है और वहां से उनको अधिक से अधिक कीमत प्राप्त होती है। लेकिन आज जब हम यह सेल टैक्स लगा रहे हैं तो इससे यह उद्योग ठप्प होगा। जब वह रुई खरीदने जायेगा तो उसको भी सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। नतीजा यह होगा कि वह पर्दा जो ५०० रुपये में बैठता था अपने प्रदेश के अन्दर, वह उससे अधिक कीमत में बैठेगा और उसकी कीमत दिनों दिन बढ़ती जायेगी। एक तरफ हमारी क्रय शक्ति क्षीण होती जा रही है, और दूसरी तरफ जब यह होगा तो वह उद्योग खत्म हो जायेंगे। इस उद्योग को इससे बहुत क्षति पहुंचेगी।

श्रीमन्, आजकल हर जिले में टैक्नीकल स्कूल चल रहे हैं। इनसे ट्रेनिंग लेकर जो लोग निकलते हैं और अपना छोटा मोटा उद्योग शुरू करते हैं उनका क्या हाल होगा? जो भी छोटे छोटे उद्योग यह लोग चलाते हैं उन सब पर इसका असर होगा। इसका इतना बुरा असर इन उद्योगों पर पड़ेगा कि वे भविष्य में पनप ही नहीं सकेंगे। नतीजा यह होगा कि सारे उद्योग हमारे खत्म हो जायेंगे। हमारी गवर्नमेंट की पालिसी यह थी कि गरीबी मिटे, प्रदेश से। हम उम्मीद करते थे कि कृषि का उत्पादन बढ़े उससे गरीबी मिटे और साथ ही साथ जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनको भी हम चलावें और उसके साथ ही साथ अगर बड़े उद्योग भी हो सकें तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो हमारे जो छोटे उद्योग हैं उनको भी ठेस लगायी जा रही है। इसी तरीके से अगर हम ड्योढ़ा सेल्स टैक्स कर देते हैं तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब एक बात माननीय मंत्री जी ने बतलाई कि भारत सरकार चाहती है कि हर प्रदेश का सेल्स टैक्स एक सा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो और अगर यह होता है कि सेल्स टैक्स २ परसेंट से ३ परसेंट होता है और वह बढ़ गया तो उस पर गौर करना था। लेकिन माननीय मंत्री जी जैसा कि मैंने कहा उससे यह साफ साबित है कि हमें कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता यहां नहीं पड़ेगी बल्कि अगर केन्द्रीय सरकार ४ पैसे, ५ पैसे या १० पैसे के हिसाब से अपने संशोधन विधेयक में टैक्स बढ़ाती है तो वह उनके ऊपर स्वयं लागू हो जायगा। ऐसा विधेयक इस सदन के सामने नहीं प्रस्तुत किया गया है। हमारे प्रदेश की जो स्थिति है गरीबी की वह अन्य प्रदेशों की स्थित से बिलकुल भिन्न है। इस तरीके से अगर आप सोच विचार कर कार्य नहीं करेंगे बल्कि केन्द्रीय सरकार जिस तरीके से क रही है अगर वही करने जा रहे हैं तो बहुत बड़ी ठेस अपने प्रदेश को लगेगी और हमारी गरीबी भी बढ़ती जायगी।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने यह कही कि चूंकि केन्द्रीय सरकार ने यह सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है इसलिये हमारा भी फर्ज हो जाता है कि हम भी इस सेल्स टैक्स को बढ़ायें। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकारी कर्मचारियों की जो मांग है कि केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को जितना डी० ए०, टी० ए० देती है वही हमें भी दिया जाय, क्योंकि जब इस तरीके से आप सेल्स टैक्स केन्द्रीय सरकार के मुकाबले में करने जा रहे हैं तो आपको इसमे क्या आपत्ति है ? केन्द्रीय सरकार के जो मुलाजिम हैं जो एक ही टेबिल पर बैठ कर काम करने वाले हैं उनके डी० ए० और टी०ए० में फर्क है उसके लिये सरकार क्यों नहीं कहती है केन्द्रीय सरकार से कि जो यहां से टैक्स लिया जाता है उसमें वह हमको हिस्सा दे ताकि जो हमारे मुलाजिम हैं और एक ही टेबिल पर काम करते हैं, उनमें जो इस तरह की विभिन्नता है कि केन्द्रीय सरकार क मुलाजिम दूसरा डी० ए०, टी० ए० पाते हैं और हमारे सरकारी कर्मचारी जो वही काम करते हैं और उतनी ही देर काम काम करते हैं जितनी देर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी काम करते हैं, उनको भी उनके बराबर ही डी० ए०, टी० ए० क्यों नहीं मिलता, इसलिये मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें।

दूसरी बात यह है कि सेल्स टैक्स से हम आमदनी करते हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर इस तरह का टैक्सेशन है कि जितना टैक्सेशन हम एक तरफ करते हैं वही दूसरी तरफ म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज आदि को जो टैक्सेशन करना चाहिये वह भी सरकार खुद टैक्सेशन करती है और इस तरह से स्वायत्त शासन विभाग का जो पावर है उसको भी सरकार ले रही है। इस तरह से सरकार उल्टी ही बात करती है। तो आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जिस तरह से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर प्रादेशिक सरकार के कर्मचारियों का डी० ए०, टी० ए० न करने का लांछन है, उसी तरह से इस सरकार के ऊपर भी लांछन है कि वह स्वायत्त शासन कर्मचारियों के ऊपर टैक्सेशन तो करती है लेकिन जितना डी० ए०, टी० ए० अपने कर्मचारियों को देती है उतना स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों को क्यों नहीं देती जो कि वही काम करते हैं। यह इस तरह की विभिन्नता क्यों है ? यह बड़े लांछन की बात है, इसलिये आपके द्वारा मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो इस तरह की विभिन्नतायें हैं अगर इस वक्त हम सेल्स टैक्स बढ़ायेंगे तो नतीजा यह होगा कि बाहर से सामान हमारे प्रदेश में आयेगा और इस तरह से हम जो बड़े उद्योग स्थापित कर सकते थे और इसी तरीके पर हमारा सूबा जो गरीबी में फंसा है वह उन्नति करके बहुत ऊंचे जा सकता है। सेल्स टैक्स का जहां तक सवाल है इसमें यह दिया गया है कि ऐसे तिलहन जिनसे मनुष्यों द्वारा काम में लाये जाने वाले न उठने वाले तेल निकाले जाते हों या जो उद्योग में अथवा वार्निश, साबुन तथा इसी प्रकार के अन्य पदार्थों के निर्माण में अथवा स्नेहन के लिये प्रयुक्त किये जाते हों, तथा ऐसे उड़ने वाले तेल जो मुख्यतः औषधियों, सुगन्धियों, श्रृंगार प्रसाधनों तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के लिये प्रयुक्त होते हों। मैं आप का ध्यान दिलाऊंगा कि मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं और वहां का इत्र और केवड़ा मशहूर है और यह कन्नौज का भी मशहूर है। मैनपुरी का भी तम्बाकू मशहूर है। मैं कह रहा था कि हम इन आयल सीड्स से बहुत से पदार्थ बना सकते है और उन को मंगा कर.....

श्री उपाध्यक्ष--

इन चीजों का इस बिल से क्या ताल्लुक है.....

श्री कमलासिंह यादव--

इस से हमारे प्रदेश की आय भी बढ़ सकती है.....

श्री उपाध्यक्ष--

अब जरा ठीक ढंग से आ जाइये, विषय पर बोलिये, अब तो काफी समय आप ने ले लिया।

श्री कमलासिंह यादव--

किसी को मौका देने का अख्तियार तो आप को है, जो कुर्सी पर बैठेगा वही मौका देगा और मेरा तो सिर्फ अधिकार यह है कि विषय से परे न होऊं और अपने विचार आप के सामने रखूं। तो इसलिये मैं चाहूंगा कि मेरी बात को आप सुन लें और मुझे कहने का मौका दे दें और दूसरे का जब समय आयेगा तो आप का अख्तियार होगा।

तो मैं कह रहा था कि सेल्स टैक्स का नतीजा क्या होगा? वह उद्योग धंधे जो मामूली से मामूली आदमी अच्छी तरह से कर रहे हैं, गाजीपुर में माननीया मुख्य मंत्री गयी थीं उन्होंने लोगों से कहा कि सिलाई की मशीनें लो और अपना कार्य करो तो ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह जो धारणा लोगों में फैलायी उस धारणा को कार्यान्वित करने के लिये यह जरूरी होता है कि सेल्स टैक्स जितना अधिक केन्द्रीय सरकार लगा रही है अगर उससे हम कम लेंगे तो नतीजा यह होगा कि बाहर का माल हमारे यहां आयेगा, हमारा कच्चा माल हमारे यहां सुरक्षित रहेगा। इतना ही नहीं जो रोजमर्रा की हमारी चीजें हैं उनका भी इस्तेमाल बढ़ेगा।

हम साबुन आदि बनाते हैं, एलौय वगैरह बनाते हैं तथा अन्य आयल सीड्स से सामान बनाते हैं अब अगर सेल्स टैक्स में छूट रहती है या अधिक दर नहीं ली जाती है तो हम इन चीजों को और अच्छी तरह से बना सकते हैं। हमारे प्रदेश के अन्दर कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं हैं लेकिन यदि सरकार की तरफ से इन उद्योगों को चलाने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कुछ राहत दी जाय तो मेरा विश्वास है कि काफी उद्योग हमारे यहां फैलेगा और हमारा प्रदेश गरीबी से ऊपर उठेगा।

तिलहन की परिभाषा पुराने ऐक्ट में इस प्रकार दी हुई है। तिलहन (आयल सीड्स अर्थात् ऐसे तिलहन जिनसे मनुष्यों द्वारा काम में लाये जाने वाले, न उड़ने वाले (नान वोलेटाइल) तेल निकाले जाते हों, जो उद्योग में, अथवा वार्निश, साबुन तथा इसी प्रकार के अन्य पदार्थों.... (व्यवधान)

मैं श्रीमन् का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं। यह जो रा मैटीरियल्स हैं उनका खात्मा हो ही रहा है जिसके कारण हमारे प्रदेश की आय कम होती जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विषय पर बोलिये ताकि दूसरों को मौका मिले।

श्री कमलासिंह यादव--

यह बात है तो मैं बैठे जा रहा हूं और दूसरों को मौका दे रहा हूं।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कमला सिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने विरोधी पक्ष के सदस्य के नाते जो गलत काम प्रदेशीय सरकार द्वारा किया जा रहा था उस ओर ध्यान आकर्षित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया। इस बिक्रीकर संशोधन बिल के जरिये दो पैसे की जगह तीन पैसे किया जा रहा है यह बात देखने में बहुत छोटी लगती है लेकिन परसेंटेज लगाया जाय तो ड्योढ़ा बिक्री-कर लगाया जा रहा है।

यह बिल बड़ा ही प्रतिगामी बिल है और जेब काटने वाला बिल है। बड़े-बड़े पूंजीपतियों के नहीं, बड़े बड़े लोगों की नहीं जो साधारण किसान व मजदूर है उसकी जेब कटने वाली है। अपने प्रदेश में यह स्थिति है कि कोयला सब लोगों को निश्चित रूप से इस्तेमाल करना पड़ेगा। लकड़ी धीरे-धीरे कम होती जा रही है। पेड़ कटते जा रहे हैं और गोबर की खाद इकट्ठी होती है क्योंकि सरकार की नीति है कि गोबर खाद के लिये बचाया जाय जिससे प्रदेश की पैदावार बढ़ सके। इस प्रकार कोयला गांव के प्रत्येक आदमी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सरकार बिक्री कर लगा कर कोयले का मूल्य बढ़ाने जा रही है जिससे गांव का साधारण आदमी प्रभावित होने वाला है। दूसरे रुई भी है जिसे देहात का हर आदमी इस्तेमाल करता है। रुई की रजाई को ही देहात का हर आदमी इस्तेमाल करता है।

ऐसी परिस्थिति में जो यह रुई है उस पर भी ये दो नये पैसे की जगह तीन नये पैसे बढ़ाने जा रहे हैं। श्रीमन्, आप देखें कि लोहा, जिससे खुरपी से ले कर हल तक, खेती का जो कोई भी यन्त्र हो वे सब लोहे के ऊपर आधारित हैं, तो लोहा भी सर्वसाधारण किसान और मजदूर इस्तेमाल करता है। उसका भी इसमें नाम लिया गया। इसके अलावा जिससे टाट पट्टी बनती है उसको भी इसमें छोड़ा नहीं है। [× × ×] इसके अलावा देहात के अन्दर तिल बहुत इस्तेमाल होता है और डालडा इस्तेमाल होता है। तो उस डालडे का मूल्य भी सरकार बढ़ाती जा रही है तो उसका सारा प्रभाव गरीब जनता के ऊपर पड़ने वाला है और माननीय मंत्री जी, पता नहीं क्यों, गरीब जनता के ऊपरी छुरी चलाने वाला विधेयक यहां ले आये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप खत्म कर रहे हैं या कल बोलेंगे ?

श्री रक्षपालसिंह—

मैं कल बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है।

राजकीय कर्मचारियों तथा छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी-अभी पता चला है और मेरे कुछ लोगों ने आ कर बताया है कि आर० के० बाजपेयी का शान्तिपूर्ण ढंग से एजिटेशन चल रहा था और आपकी पुलिस ने उनको बुरी तरह से मारा है और आलमबाग थाने में बन्द किया है। (व्यवधान) इस प्रकार से बर्बरता-पूर्ण (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप नोटिस देना चाहते हों तो दे दीजिये।

[× × ×] टेप रिकार्डर की खराबी के कारण लिखा नहीं जा सका।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन भी यह पता नहीं चला कि आजकल गृह मंत्री कौन है। मैं माननीय सुचेताजी से जानना चाहता हूं कि गृह मंत्री आजकल कौन है, यह निश्चित रूप से सदन को बतायें।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

गृह मंत्री का काम डिप्टी मिनिस्टर और मैं स्वयं देखती हूं।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश करता हूं। वह इस प्रकार है कि "राज्य सरकार के संकेत पर प्रदेश में अमानुषिक दमनपूर्ण ढंग से, आतंक तथा भय का वातावरण उत्पन्न करने हेतु प्रदेश की राजधानी लखनऊ में २३ जुलाई, १९६६ को दिन भर में बारह बार शान्त नागरिकों, कर्मचारियों तथा छात्रों पर अकारण अविवेकपूर्ण तथा अंधाधुंध लाठी चार्ज किये गये। परिणामस्वरूप ८० व्यक्ति घायल हुये जिनमें से १० की दशा गंभीर है। इन्द्रजीत नामक एक छात्र मेडिकल कालेज में अभी अचेत अवस्था में ही पड़ा है। अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। हजरतगंज सिविल डिस्पेंसरी के भीतर घुसकर पुलिस ने वहां के कर्मचारियों तथा रोगियों की परिचर्या के लिये आये व्यक्तियों पर भी लाठी चार्ज किया। एक चपरासी तथा एक कर्मचारी की दशा चिन्ताजनक है।

"इससे जनता में घोर असंतोष एवं उत्तेजना का वातावरण व्याप्त है। जनजीवन आज त्रस्त हो गया है। शान्ति एवं व्यवस्था को गंभीर संकट व्याप्त है। अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर विचार करने के लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

मान्यवर, इस विषय के ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इधर के पक्ष के सिलसिले में ऐसी बातें आई कि उधर के लोगों ने भी हमारी बात का समर्थन किया। मैं आवश्यक समझता हूं कि इससे पहले कि इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर मैं कुछ कहूं, एक बात मुझे याद आती है कि अंग्रेजों के जमाने में जब एजीटेशन चलता था तो कांग्रेसी ही नहीं बल्कि सारे देश में यह गाना गाया करते थे और यह नारे लगाते हुये चलते थे, लोग चलते थे कि जुल्मी सरकार नहीं रखनी, अत्याचारी सरकार नहीं रखनी और यह खूनी सरकार नहीं रखनी। आज हम लोगों को वही नारे याद आ गये। मैं इस सरकारमें और पुलिस सरकार में कोई अन्तर नहीं देखता हूं।

आज वही बात आपने अपनानी शुरू की है। मैं आपको बता देना चाहता हूं और आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आज वही परिस्थिति है। इसीलिये आज लोग खड़े होकर सरकार पर आरोप लगाते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि आपस में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने से मामला हल नहीं होगा। साल भर तक प्रदेशीय सरकार के कर्मचारियों की समस्या सरकार के सामने उलझी रही लेकिन यह सरकार उसको हल नहीं कर पाई। अन्त में मुझे यह कहना है कि आज तक कोई रिपोर्ट इस बात की नहीं रखी गई कि सरकारी कर्मचारियों के लिये क्या किया गया है। आप से क्या मांगा गया है। केवल एक चीज मांगी गई है। उसके संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। उन्होंने मांगा है कि हमारे ऊपर जो दाम नीति लागू है उसको वापस लीजिये और आज १४ तारीख की परिस्थिति पैदा कर दीजिये। हमारी मांग को मानिये और उस पर विचार करने के लिये बचन दीजिये। कहां ढेले फेंके गये? सेक्रेटेरियट में लोग आये और उन्होंने शांतिपूर्ण वातावरण में प्रोसेशन निकाला लेकिन सरकार ने सेक्रेटेरियट के अन्दर लाठी चार्ज को जस्टीफाई करने के लिये यह इल्जाम लगाया और सरकारी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की कि इसके संबंध में एक जुडी-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शियल इंक्वायरी बिठाई जाय। अगर हमारी खता हो तो हमें सजा दी जाय और अगर अधिकारियों की खता हो तो उन्हें सजा दी जाये। लेकिन इसके लिये सरकार की हिम्मत नहीं हुई।

आपकी सरकार जुल्म ढा रही है। सरकारी कर्मचारियों का क्या दोष है ? कहां लाठी उठायी उन्होंने, कहां गोली चलायी उन्होंने ? यह एक सरकार की विवेकहीनता और निकम्मापन है जो पापुलर गवर्नमेंट होते हुए भी पापुलर तरीके से मामले को हल करने के लिये तैयार नहीं है। इसने पापुलर तरीका नहीं अपनाया। क्या अपनाया इसने ? ऐसा तरीका जिससे लाठी गोली की स्थिति हो सकती है। किसी कवि ने ठीक कहा है कि यह सरकार न कैबिनट से चलती है न पैसों से चलती है, सही बात है कि सल्तनत सिर्फ पी०ए०सी० से चलती है। आज कहने की आवश्यकता नहीं है कि जहां देखिये वहां आज पी०ए०सी० का बोलबाला मौजूद है। इस सरकार ने क्या किया ? जब देखिये केवल पुलिस का जस्टीफिकेशन, उसके लिये स्टेटमेंट यह सरकार देती रहती है। मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन सरकार आज बिलकुल अराजकता की स्थिति पर उतर आयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिये जिम्मेदार हैं, इनकी कांग्रेस सरकार इसके लिये जिम्मेदार है। आज यह अवस्था है कि बच्चे मारे जाते हैं, पुलिस वाले मारे जाते हैं, बैंक वाले मारे जाते हैं, निरीह कर्मचारी मारे जाते हैं, निरीह रास्ते पर चलने वाले मारे जाते हैं। मुख्य मंत्री जी ने अभी कुछ समय पहले कहा था कि सेक्रेटेरियट में कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। बाद में कहा कि केवल ब्रैंडिशिंग आफ लाठीज हुआ था। लेकिन रेडियो ने एनाउन्स किया कि लाठी चार्ज हुआ। आज भी कहती हैं कि लाठी चार्ज नहीं हुआ लेकिन अखबार वाले कहते हैं कि १२ जगह लाठी चार्ज हुआ। इसका क्या कारण है ? आज सरकार अपना संतुलन खो बैठी है। आज सरकार इसी निश्चय पर पहुंची है कि केवल हम लाठी और गोली से अपनी जगह पर बने रह सकेंगे और हमारे लिये कोई चारा नहीं है। और इसीलिये आज वे पुलिस और मैजिस्ट्रेसी की तारीफ करती रहती हैं। आज क्या होता है ? लाठी चार्ज की डेफनीशन न किसी वकील ने दी, न किसी जज ने दी, लेकिन उसे किसने डिफाइन किया। हमारी मुख्य मंत्री जी ने उसको डिफाइन किया। वह कहती हैं कि टेक्निकल सेन्स में वह लाठी चार्ज नहीं था। वह लाठी चार्ज को डिफाइन करती हैं :

"A lathi-charge actually means the use of lathis in an organised, effective concerted and controlled manner to disperse a mob. The mere brandishing of lathis or their use to push a crowd to frighten it in order to disperse it, is not considered to be a lathi-charge even if one or two people get hurt."

यह आपने डेसीजन दिया कि ४ आदमी मौजूद हैं दो आदमी मर जायं तो वह लाठी चार्ज नहीं है। क्या आप इस पापुलर गवर्नमेंट को जिन्दा रहने देना चाहती हैं ? पुलिस की क्या हिम्मत पड़ती ? लेकिन आपने क्या सोचा है कि पुलिस वाले आज क्या सोचते हैं। एक सी०आई०डी० वाले ने मुझे बताया कि आज क्या स्थिति हो रही है और आगे एक ऐसी स्थिति आ जायगी, अगर आपने ऐसे ही खून बहाना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि पुलिस वालों का न डंडा उठे, और न उनसे गोली चल सके। वह स्थिति आ सकती है। आप उस स्थिति को प्रोत्साहन दे रही हैं कि वह आगे आवश्यकता पड़ने पर भी लाठी चार्ज न करें। क्या कमाल आपने दिखाया। हम उस कमाल की तारीफ करते हैं। वह तारीफ इस लिये करते हैं कि आपने लाठी के बल पर वह काम कर दिखाया है जो हिटलर ने मशीन गन के बल पर भी करके नहीं दिखाया था। शहर के अन्दर जिस तरह से लाठी चार्ज लड़कों पर किया गया और जिस तरह से इस सचिवालय के कर्मचारियों पर किया गया वह लज्जा की बात है। इससे यह बात निकलती है कि यह सरकार यहां पर आज लाठी के बल पर बैठी हुई है। आज जनता से इस सरकार का कोई संबंध रह गया नहीं मालूम होता है। रामायण राय जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि पुलिस के जरिये से डंडे डिप्टी कमिश्नर के बंगले के सामने चलवाये गये। अगर विरोधी दल इस बात को कहता है तो सरकार उसको नहीं मानती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के अन्दर जो घटना घटी है उससे

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

भी यही परिणाम निकलता है कि पुलिस के द्वारा यहां पर ढेले और लाठी चलवाई गई। आज प्रदेश के अन्दर पुलिस का राज्य है। प्रदेश के अन्दर नार्मल लाइफ नहीं रह गई है।

(व्यवधान)

जरा सुन लीजिये। यहां पर आप नहीं रोक सकते हैं बाहर तो आप लाठी के बल पर कुछ भी कहने से और करने से जनता को रोक सकते हैं। यहां पर नहीं रोक सकते हैं।

श्रीमन्, एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं विरोधीदल का नेता होने के नाते गवर्नर साहब के पास गया और उनसे यह निवेदन किया कि सरकार अगर और हमारी बात नहीं मान सकती है तो इतना तो मान ले कि बनारसीदास जी से बुलाकर यह कह दे कि वह यदि बाहर के किसी आदमी से लाठी चार्ज की जांच करा लें तो सही बात जनता के सामने आ जायगी; लेकिन इतनी बात भी हमारी नहीं मानी गई। इससे साफ जाहिर है कि आप लाठी के बल पर राज सरकार चाहते हैं और इसी तरह से आपने काम किया है। इस वक्त स्थिति इस तरह की प्रदेश में पैदा हो गई है कि मैं यह कह सकता हूं कि कांस्टीट्यूशन ब्रोकन डाउन हो गया है। आपने सोचा कि इस तरह की जो आज प्रदेश में स्थिति पैदा हो गई है वह आखिर क्यों पैदा हुई है। कभी आपने यह नहीं सोचा कि पुराने जमाने में किस तरह का समय था। जब आपने आवाज लगाई थी तो सारा देश आपके साथ आ गया था और उस समय आप प्रजातंत्र की दुहाई दिया करते थे कि हमारा इस तरह का प्रजातंत्र होगा जिसमें हर एक मनुष्य को अपने अधिकार होंगे और अपनी बात कहने का अवसर होगा लेकिन अब वह आपका प्रजातंत्र कहां गया ? मैं कहता हूं कि आज उनके मुंह में खून लग गया है। आप हमारी बात न सुनें, कोई न सुने, लेकिन मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष के लोगों की आवाज में सत्य है। जनता उसे जरूर सुनेगी। किसी की आह बेकार नहीं जाती है। अगर शांतिमय वातावरण आप पैदा करना चाहते हैं तो आप करिये। यह किसी की प्रेस्टीज की बात नहीं है। माननीया मुख्य मंत्री जी कहने लगती हैं कि आप बताइये कि आप ही रहेंगे तो कैसे काम करेंगे। कह देना बड़ा आसान है। आप सोचिये कि कर्मचारियों के पास भी लम्बे लम्बे परिवार हैं। वे भी दरवाजे पर खड़े रहते हैं। वे कहें तो आप सुनते नहीं। शांतिमय तरीकों का कोई असर होता नहीं। इसी असेम्बली में जो आप चाहें करते हैं, हमें बोलने भी नहीं देते। आपके पास बहुमत है और इसलिये हम कुछ कर नहीं सकते।

अन्त में एक बात कह कर मैं खत्म करता हूं। पहली बात यह है कि आप अपनी नीति में परिवर्तन करें और शांति का वातावरण पैदा करें और उनको इस प्रकार का विश्वास दिलायें कि जिस के असर से वे आप के साथ बैठ कर बात कर सकें। खाली हल्ला करने से कुछ नहीं होगा और यदि आप इसी तरह अत्याचार करते रहे तो आप कभी सफल न होंगे।

*श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय नेता विरोधी दल ने बड़ी नाखुशी से अपने विषय से हजारों मील दूर भागते हुए कुछ इल्जाम सरकार के ऊपर सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये। सवाल यह है कि अगर माननीय नेता विरोधी दल गुस्से को छोड़ कर बुद्धि से इस विषय पर विचार करते तो मैं उनसे आशा करता था कि शायद उन का विचार दूसरा होता। जब वे एक तरफ सरकार की इतनी घोर निन्दा करने के लिये आमादा हैं तो दूसरी तरफ आप कुछ शब्द सरकारी कर्मचारियों के संबंध में भी कह सकते थे। माननीय नेता विरोधी दल नाराज हो गये हैं, लेकिन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने एक फैसला किया और ठीक बात कही कि राज कर्मचारियों को भी अपना यह आन्दोलन वापस ले लेना चाहिये। मुझे अफसोस के साथ आप के सामने नेता विरोधी दल से कहना पड़ता है कि एक बार भी अगर उत्तर प्रदेश विधान सभा के विरोधी दल के नेताओं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मे यह सलाह उन को दी होती कि तुम अपना आन्दोलन वापस करो, हम प्रयत्न करेंगे सरकार से तुम्हारी बात मनवाने के लिये तो स्थिति दूसरी ही होती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों ? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन आग लगाना, देश को हिंसा की तरफ बढ़ाना, अगर यही प्रजातंत्र है तो माननीय नेता विरोधी दल, मैं दस्तबस्ता आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधान सभायें प्रजातांत्रिक सिद्धातों के आधार पर बनी हैं, आपके हिंसात्मक सिद्धांतों पर नहीं बनी हैं। विधान सभाओं में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर काम करना होगा, बात करनी होगी, काम चलाना होगा।

आज अपनी सरकार का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजकर्मचारियों का प्रश्न ठीक प्रश्न है और उसके ऊपर विचार होना चाहिये। इस वक्त यू० पी० सरकार ने कभी विचार करने से इंकार नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के सा ने राजकर्मचारियों की मांगें आयीं और कांग्रेस पार्टी हमदर्दी के साथ राजकर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए तैयार रही और आज भी है। कांग्रेस पार्टी में इतनी शक्ति है कि अगर राजकर्मचारी कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों की सलाह मानें और कल से अपने कामों पर पहुंच जायें तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है उनकी एक एक बात इस सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिये। लेकिन यह नहीं हो सकता कि जहां पर मेमोरेंडम देना है, ५ आदमी एक मेमोरेंडम दे सकते हैं, १० आदमी दे सकते हैं १५ आदमी दे सकते हैं, लेकिन डेढ हजार मेमोरेंडम नहीं दे सकते और गिनती नहीं जोड़ी जा सकती। इस तरह से खिड़कियां नहीं तोड़ी जा सकतीं, किवाड़ें नहीं तोड़े जा सकते, गालियां नहीं दी जा सकतीं, इन बातों की निन्दा आपको करनी चाहिये, लेकिन ये बातें आप नहीं करते। मैं सरकार से राजकर्मचारियों की ओर से, यह निवेदन करूंगा और कांग्रेस पार्टी के काफी मेम्बरों की राय है जो मैं कह रहा हूं कि आप शक्तिशाली हैं। प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का पालन आपको करना और कराना है। आज किसान और मजदूर कार्यकर्त्ताओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। प्रतिष्ठा के प्रश्न को आप हटा दें। (व्यवधान) परिस्थिति काबू में है आप यह करें कि कोई विक्टेमाइजेशन न करें। उसको आप बन्द कर दें, और जो भी कर्मचारी कल से काम पर आयें तो उनको सीने से लगायें और समझायें कि हमारी यह मजबूरियां हैं, हमने इतना इतना किया है और जो कुछ आप कर सकते हों वह भी उन्हें बतायें। आज की स्थिति में यह भी सही है कि और टैक्सों को नहीं लगाया जा सकता। राज्य कर्मचारियों की तनख्वाहों की बिना पर अगर आपने टैक्स बढ़ाया तो वह अच्छा नहीं होगा। आज किसान की कमर टूट चुकी है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज किसान सूखे से परेशान है, इस साल भी पानी बरस नहीं रहा है, टैक्सपेयर की राय के बिना यदि आपने एक पैसा भी टैक्स का बढ़ाया तो मैं सही कहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता विधान सभा के सामने धरना देगी और आन्दोलन करेगी। इस चीज की तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। इससे काम नहीं चलेगा और विरोधी दलों को अपने रवैये पर सोचना पड़ेगा यह तोड़ो, वह तोड़ो, बसें न चलने दो, हड़ताल कराते रहो, इससे राष्ट्र का ही अहित होगा। हड़ताल के कारण करोड़ों रुपये की राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान हो रहा है। इसलिये आज की स्थिति में मेरा सरकार से निवेदन है कि वह विक्टेमाइजेशन को बन्द कर दे, और मैं सरकारी कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूं कि वे कल से अपने काम पर आ जायें। विरोधी दल तो आगे आने वाले चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहते हैं। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस बार तो वे १७८ चुन कर आये, मगर अगली बार वे ५० से ज्यादा लौटने वाले नहीं हैं।

*श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रजातंत्र खतरे में है। देश के हर हिस्से में पुलिस के कंसेंट्रेशन कैम्प बन चुके हैं। इस प्रदेश में आज पुलिस राज्य कायम हो चुका है। यह फासिस्ट तानाशाही की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री झारखण्डेराय]

ओर बढ़ने का पहला कदम है। प्रदेश की शांति आज सुचेता कृपालानी के हाथ में नहीं है, बल्कि शांति प्रसा जैन के हाथ में है। जनता का विश्वास इस सरकार के ऊपर से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। १२ तारीख के बन्द ने सिद्ध कर दिया कि मजदूर, किसान, यहां के दूकानदार, छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग के लोग और सरकारी कर्मचारी भी इस सरकार के साथ नहीं हैं। उन्होंने हड़ताल में शामिल होकर इस बात को दिखला दिया कि सरकार के ऊपर उनका विश्वास नहीं है। कंडेम्नेशन आल-राउन्ड है। अगर आज उत्तर प्रदेश में घर-घर बल्लम और बरछे होते तो गलियों और सड़कों में छापामार लड़ाइयां शुरू हो गई होतीं। इसमें सन्देह नहीं है। कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस सरकार के कदम आज डगमगा रहे हैं। यह सब बातें हमारे सूबे की सरकार को देखनी होंगी। आज शांतिपूर्ण तरीकों से यह सरकार काम नहीं करती है। मान्यवर, इस सरकार का भरोसा अब केवल पुलिस पर ही रह गया है। १९४५-४६ में अंग्रेजी सरकार खत्म हो रही थी। अंग्रेजी सरकार का अधिकार केवल फौजों के ऊपर रह गया था और जब उनमें भी बगावत फैली तो उनकी फाउन्डेशन हिल गई। हिन्दुस्तान की भूमि से उनको जाना पड़ा। इसी तरह से आज इस सरकार का भरोसा केवल पुलिस पर रह गया है, अपने कर्मचारियों पर नहीं। मैं कहता हूं कि माननीया सुचेता कृपालानी को इस्तीफा देना चाहिये। इस सरकार को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिये। जिस सरकार के ऊपर जिस सरकार के कर्मचारियों का, १ नहीं, २ नहीं, १०० नहीं, २०० नहीं, १००० नहीं, २००० नहीं, १ लाख नहीं, २ लाख नहीं, बल्कि ५ लाख कर्मचारियों का विश्वास न हो, क्या वह सरकार कह सकती है कि वह जनतांत्रिक है ? किसका विश्वास इनके ऊपर है ?

मान्यवर, ऐसी स्थिति में एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या पुलिस वाले सरकारी कर्मचारी नहीं हैं ? क्या पुलिस वालों के घर वाले किसान और मजदूर नहीं हैं ? क्या ये पुलिस वाले आसमान में खुदा के घर से या धरती फोड़ कर निकले हैं ? क्या इनके मां-बाप किसान नहीं हैं जिनके ऊपर सरचार्ज लगा हुआ है ? क्या मंहगाई से ये परेशान नहीं हैं ? क्या इनके घर के लोग मध्यम वर्ग के लोग नहीं हैं जिनके ऊपर भूमि-भवन कर लगा हुआ है ? क्या इन सरकारी कर्मचारियों को वह जमाना याद नहीं है जबकि पुलिस वालों की लाठियां अनशनकारी भूखों पर पड़ती थीं ? आज यह सरकार बड़े फख्र के साथ कहती है कि स्थिति को संभाले हुये है। आज आपके आदेश से सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों पर पानी फेंका जा रहा है। उस समय आप कहां होंगे, आपकी सरकार कहां होगी, आपके मददगार कहां होंगे जब कि हिन्दुस्तान में इधर उधर उनकी लाशें बिखरी होंगी ?

मान्यवर, वह जमाना आवेगा, मैं कहता हूं कि आवेगा, इतिहास कहता है कि आवेगा। अंग्रेज भी यही कहता था जैसा कि ये कहते हैं, लेकिन वह चला गया। दुनिया के एक-तिहाई हिस्से पर राज्य करने वाले को पता नहीं था कि उसे जाना होगा। आप तो केवल ४४ परसेंट वोट पाकर यहां आये हैं। ४४ परसेंट वोट केवल आपको मिले। आपके पास बहुमत सही मानों में नहीं कहा जा सकता। आज हमारे सरकारी कर्मचारियों की मांगें पूरी हों। क्या आज सुचेता कृपालानी में इतना आत्मबल नहीं है, नैतिक बल नहीं है, कि वह यहां एलान करें कि के०के०दास को हटा देगीं ? मैं कहता हूं कि के०के०दास की बातों में आकर ५ लाख कर्मचारियों की मांगों के लिये, इनके पेट पर पत्थर रखकर, लात मारकर, आप इंकार कर रहे हैं। नैतिक बल आप अपने अन्दर लाइये। हिम्मत के साथ कहिये कि विक्टीमाइजेशन नहीं होगा। हिम्मत के साथ कहिये कि गिरफ्तार लोग छोड़े जायेंगे। तभी सामान्य स्थिति कायम होगी। इस वक्त जितना आप दे सकें उसका एलान कीजिये, बाकी के लिये आप उनसे हमदर्दी के साथ विचार करने का वायदा कीजिये। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बतलाइये अपनी दिक्कत। हम लोग आपके साथ हैं, हम आप की मदद करेंगे ताकि आप शांतिपूर्वक इस समस्या को सुलझा सकें। आजादी के सिपाही आप भी रहे हैं और हम भी रहे हैं।

(व्यवधान)

में कहता हूं कि अगर आप उनसे सीधी वार्ता करेंगे तो जो भी अड़चनें आपके रास्ते में आयेंगी उनको हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे। आप एलान कीजिये कि विक्टमाइजेशन नहीं होगा, जो नीचे लोगों में इकोनामी करने जा रहे हैं, वह नहीं होगी क्योंकि जो भी आपकी एकोनामी होगी उससे बड़ी तनख्वाह वाले तो बच ही जायेंगे। इस मामले में के० के० दास की राय आपको नहीं मांगनी है कैबिनेट को स्वयं ही उसके बारे में तय करना होगा क्योंकि के० के० दास अपनी बिरादरी वाले बड़े-बड़े आफीसरों की कमी करने के लिये तो राय देंगे नहीं। लेकिन कैबिनेट तो आंख मीच कर दस्तखत करता है उसको नीचे से आने वाले गलत सुझावों को नामंजूर करने की हिम्मत नहीं है। इस मामले में श्री चरण सिंह जी ने थोड़ी हिम्मत दिखायी, लेकिन उनकी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने नहीं आ रही है, उस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, उस बारे में आप कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह स्थिति क्यों पैदा हो गयी है। इसका कारण यह है कि इस कांग्रेस सरकार की नीति जन विरोधी नीति है, उसने शांति की भाषा सुनना ही छोड़ दिया है। वह तो अनशनों की भाषा, हड़तालों की भाषा, निगाहों की भाषा, दबाव की भाषा ही सुनती हैं। उदाहरण के लिये एक बात मैं आपको बतलाऊं कि सरकार न्यूजीलैन्ड और नागालैन्ड की भाषा सुनना सीख ले। अभी साउथ इंडिया में जब हिन्दी विरोधी एजीटेशन हुआ तो सरकार पहले तो चुप रही, लेकिन जब उसने हिंसा का रूप ले लिया तो सरकार ने उनकी बात खट से मान ली। अगर सरकार सही मांग को नहीं मानेगी तो दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना ही होगा जैसा कि अभी हिन्दुस्तान के कोने-कोने में हो रहा है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार शांतिपूर्ण भाषा को मानना और सुनना सीख जाय तभी समस्या का हल हो सकेगा। उत्तर प्रदेश बन्द के सिलसिले में सरकार की तरफ से तानाशाही का जो व्यवहार किया गया, सरकारी कर्मचारियों के प्रति भी सरकार वही नीति अपनाना चाहती है। हम सरकार को बनाने की स्थिति में नहीं हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस मामले में सरकार स्वतंत्ररूप से जो चाहती है करती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार इनकी भाषा को सुनना और समझना सीख ले वरना इसका नतीजा ठीक नहीं होगा।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री रामायण राय का नाम पुकारने पर)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आपने....

श्री उपाध्यक्ष—

यह मेरा अधिकार है, जिसको मैं चाहूंगा उसे बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र विकल—

आपको अधिकार जरूर है लेकिन मेरा भी अधिकार है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने सब सदस्यों को बुलाया लेकिन जब मैं खड़ा हुआ तो ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपको जो कुछ कहना है लिख कर भेज दें।

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र विकल—

आपको अधिकार तो है लेकिन कोई गलत काम कर के आप मेरे अधिकारों से मुझे वंचित नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जायं कृपा कर के ।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मुझे इस बात का दुख है कि माननीय विकल जी ऐसा समझते हैं --मैं भी सदन का सदस्य हूं और मुझे भी अवसर देना चाहिये । आज जो माननीय नेता विरोधी दल ने इस सदन के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये, मैं उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनता रहा । उनके साथ ही माननीय झारखंडे राय जी ने भी अभी मुझ से पूर्व इस प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। उन दोनों अपने पूर्ववक्ताओं के विचारों की तरफ जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो मेरे मन में एक ही प्रश्न उठता है कि क्या आज इस सदन के बाहर जो घटनायें घट रही हैं उनके सम्बन्ध में हम इस सदन में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहते हैं या इसके माध्यम से हम कुछ अन्य बातों की ओर इस प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । इन बातों के पीछे, इन घटनाओं के पीछे जो महत्व है या जो भूमिका है उसको हम साफ-साफ इस सदन के माध्यम से आपके सामने व्यक्त करना चाहते हैं। मैं माननीय नेता विरोधी दल से आग्रह करूंगा कि माननीय झारखंडे राय जी ने जो अभी बयान दिया है, जो विचार यहां व्यक्त किये हैं उन पर जब वह ध्यानपूर्वक मनन करेंगे तो पता लगेगा कि उन का मनशा क्या था । उनका ऐसा कहना था कि के० के० दास की एक-एक बोटी काटी जा सकती है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं । मैं उधर बैठने वालों को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि कहा गया कि आज अगर हथियार मिले होते तो छापामार युद्ध इस देश में शुरू हो जाता । उनका यह कहना है . . . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

शोर न कीजिये ।

श्री रामायण राय---

उनका यह भी कहना है कि इधर बैठने वाले लोग नागालैण्ड की भाषा समझते हैं और इधर के लोग पाकिस्तानियों की भाषा समझते हैं । मैं नेता विरोधी दल से कहूंगा कि पाकिस्तान की भाषा क्या है, उसका क्या अर्थ होता है । मैं समझता हूं मुझ से कम नेता विरोधी दल इसका अर्थ नहीं समझते होंगे । इतना आग्रह करने के बाद मैं आप से . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

शांत रहिये, कृपा कर के ।

श्री रामायण राय---

इस हड़ताल के पीछे जब प्रारम्भ में यह शुरू हुई एक उद्देश्य मंहगाई-भत्ते का था, लेकिन आगे चल कर धीमे धीमे इस हड़ताल का ऐसा स्वरूप बनता गया कि इस हड़ताल में जो लोग शरीक थे उनमें से एक हिस्सा ऐसे रास्ते अख्तयार करने लगा जिसको देख कर कोई भी आदमी जिस का जनतन्त्र में विश्वास होगा, बिना चिन्तित हुये नहीं रहेगा ।

१५-१६ तारीख की घटनाओं की चर्चा की जाती है । मैं व्यक्तिगत रूप से इस राय का हूं कि चाहे वह १४ तारीख की घटना रही हो, चाहे १५ की घटना रही हो या उसके पूर्व की कोई घटना रही हो लेकिन जिस दिन से कर्मचारियों ने वह काले बिल्ले लगाये, वेतन लेने से इन्कार किया, या एक दिन की कैजुअल लीव ली---इन तमाम घटनाओं के ऊपर जैसा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि उधर से भी आग्रह होता है, अखबारों में भी चर्चा होती है; मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस सब की एक न्यायिक जांच होनी चाहिये, हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच करायें और जो भी अपराधी हो उस अपराधी को दंड मिलना चाहिये। इसमें मेरी आपकी दो राय नहीं हैं लेकिन मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो लोग इसके माध्यम से झूठी अफवाहें फैलाते हैं और जनता के जीवन को संकट में डाले हुये हैं उनके लिये भी सजा की बात आपको सोचनी होगी। यह पर्चा माननीय नेता, विरोधी दल की सेवा में भेजना चाहता हूं। कल शहर के कोने-कोने में यह प्रचार किया गया कि इन्द्रजीत सिंह जो कि असम के एक छात्र हैं वह पुलिस की लाठी से घायल हो गये। यह पर्चा रामायण राय द्वारा प्रसारित नहीं हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र, श्री सत्यदेव सिंह जो एम० ए० अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं, अध्यक्ष, इंग्लिश लिटरेरी सोसायटी हैं, इनका यह कहना है कि बिड़ला होस्टल के सामने मोटर एक्सीडेंट से वह घायल हुआ और इस पर्चे में लिखा हुआ है कि उस छात्र को यह खुद अस्पताल ले कर गये और, मान्यवर, डाक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक जो आघात उनको पहुंचा, सिर पर २ इंच चौड़ा और २ इंच लम्बा चमड़ा वहां से गायब था, तो डाक्टरों का कहना है कि इस तरह से लाठी अगर लगती तो निशान बनना चाहिये था। इस तरह से चौकोर चमड़ा उड़ जाना यह मोटर ऐक्सीडेंट में ही सम्भव है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैंने सुना है कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हस्पताल चले गये। अभी आज की बात है कि सिविल अस्पताल जा कर के वार्ड ब्वाय का कोट जबरदस्ती छीन लाये। तो इस तरह से इक्की दुक्की घटनाओं को लेकर हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न यह है कि देश में प्रजातन्त्रीय व्यवस्था चलेगी या नहीं चलेगी। प्रश्न यह है कि इस देश में अहिंसा के आधार पर हम और आप अपना कार्य संचालन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे।

मैं माननीय झारखंडे राय से बात नहीं करता क्योंकि उनका विश्वास तो हिंसा में है, बेरिया का सिर उड़ाने वाली पार्टी से कोई बात नहीं करना चाहता, किसानों पर लाठी बरसाने वाली साम्यवादी पार्टी से कोई बात मैं नहीं करना चाहता। लेकिन मैं उधर बैठने वालों से कहना चाहता हूं जिन लोगों का अहिंसा में विश्वास है, जिन्होंने जनतंत्र को अपनी शासन पद्धति का मूल आधार मान रखा है, क्या इस तरह के प्रेशर में आकर, इस तरह के झूठे बहकावे में आकर आपने यदि एक बार अपना सिर झुका दिया तो याद रखिये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं अभी भोपाल में इन लोगों ने प्रस्ताव पास किया है, उसमें कहा है कि नवम्बर के महीने में हम सारे देश में राजकीय व्यवस्था को ठप्प कर देंगे। यह चुनाव का एक कार्यक्रम है। मान्यवर, उधर बैठने वाले लोग किसानों को आज हमारे खिलाफ नहीं उभाड़ सकते हैं, अब ऐसे लोगों को उभाड़ने लगे हैं जिनके बारे में पोलिटिकल साइंस में फटियल बाबू कहा गया है। हमारी पूरी हमदर्दी है उन लोगों के साथ। हम राज्य सरकार से आग्रह करेंगे कि उनकी जायज मांगों पर सरकार अच्छी तरह से विचार करे। मैं दो दिन से श्रीमन्, देख रहा हूं कि जिस बहादुरी से हमारे पुलिस वाले शान्ति और व्यवस्था कायम रखे हुये हैं उसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूं। आप स्वयं सोचें चाहे उस कुर्सी पर के० के० दास हों या कोई दूसरा आदमी हो मूल प्रश्न तो उससे हल नहीं होता है। मूल प्रश्न तो यह है, क्या विद्यार्थियों की राय से हेडमास्टर का चुनाव किया जाय? क्या सबार्डिनेट्स की राय से चीफ सेक्रेटरी का फैसला किया जाय? यदि हिंसा के द्वारा कुछ लोग अनुशासन हीनता फैलाते हैं तो उनको अपना सरदार चुन कर उन्हें अपना माई-बाप कहना शुरू कर दिया जाय? इन प्रश्नों पर गहराई से सोचना होगा। अफवाह वह फैलाते हैं जिनको फासिज्म में विश्वास है, जो हिंसा फैलाना चाहते हैं और वही देश के असली शत्रु हैं।

एक सदस्य—

मैं अभी आलमबाग गया था। वहां पर विद्यार्थियों के हाथ-पैर टूट गये हैं लेकिन उनके लिये अस्पतालों में कोई इन्तजाम नहीं है। (व्यवधान)

श्रीरामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

एक देहाती कहावत है जबरा मारे और रोवे न दे। वही मिसाल श्री रामायण राय ने अपने भाषण में चरितार्थ की है। इस राज्य में ५, ७ लाख राज्य कर्मचारी हैं। मूल प्रश्न यह है कि वे क्या आपसे मांगते हैं और क्यों मांगते हैं। एक भी उदाहरण यह सरकार पेश करे जिसमें देश अथवा कोई प्रदेश ऐसा हो जहां पर उसके सेवकों पर लाठी चार्ज किया गया हो? यह सरकार पागल हो गयी है और यह सरकार अंग्रेजी राज्य के पदचिन्हों पर चल रही है। रामायण राय ऐसे लोगों में है जो उस समय अमन सभाई कहलाते थे और जो अंग्रेजी राज्य के जमाने में कांग्रेस की ताकत को खत्म करना चाहते थे और सदा कहा करते थे कि कांग्रेस के पास ऐसी ताकत नहीं है जो अंग्रेजी राज्य को हटा सके। उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे ज्वालामुखी पर बैठी है जिसमें ऐसा विस्फोट होने वाला है जिससे लोकतंत्र चकनाचूर हो जायगा। सरकारी पक्ष में नहीं इधर की तरफ बैठने वाले भी जिम्मेदार हैं। सरकार मदमस्त है, विवेकहीन हो गयी है और इधर के बैठने वालों का कर्त्तव्य है कि उसके विवेक तथा बुद्धि को ठीक करें और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इधर के बैठने वाले लोग उस तरह का काम कर रहे हैं जो अंग्रेजी राज्य में कांग्रेस किया करती थी। कांग्रेस सरकार ने आज अपने उस काम को छोड़ दिया है। आज मैं सरकार से कहना चाहता हूं, लाबी में बैठे हुये अलगूराय शास्त्री हैं, मैं सब से कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी राज्य की पुलिस, अंग्रेजी राज्य की सरकार जब काले कानून बनाती थी, हम लोगों पर जुल्म करती थी तो कांग्रेसी क्या करते थे। वे तिरंगा झंडा लेकर जोर जुल्म के खिलाफ लड़ते थे, काले कानूनों को तोड़ते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज भी आप काले कानून बनाते हैं, आज जब जनता की मांगों पर आप निष्ठुरता से व्यवहार करते हैं, (व्यवधान) आज कर्मचारी रोटी मांगते हैं, छटनी का विरोध करते हैं तो उसके बदले में उनको लाठियां दी जाती हैं। विद्यालयों के विद्यार्थी अपनी मांग आपके सामने रखते हैं तो उन पर अश्रु गैस, लाठी और गोली चला कर पस्त हिम्मत किया जा रहा है। (व्यवधान) सरकार उस फफोले में आग न लगाये अन्यथा भस्म हो जायगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से और इस सरकार के जरिये उत्तर प्रदेश की जनता से कि अगर देश की जनता, प्रदेश की जनता का पेट भूख से जल रहा है तो विरोधी दल में बैठने वाले लोग उसकी दाद करेंगे, उसके आन्दोलन को सक्रिय करेंगे। इसके लिये जो कुछ हो जायगा उसको हम निपटेंगे।

कहा जाता है कि विरोधी दल के लोग आन्दोलन को चलाते हैं, वे क्यों नहीं इसका विरोध करते। मैं बनारसीदास जी और माननीया सुचेता कृपालानी से कहना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों की ओर से जो पैम्फलेट छपा है उसको क्यों नहीं पढ़ते हैं। वे कहते हैं कि हम निष्ठावान कर्मचारी रहे हैं। उनकी जी हजूरी करने वाले रहे हैं, उनके सारे आदेशों का पालन करते रहे हैं, हम रोटी मांगते हैं, उसके बदले लाठी देते हैं। मदरास की सरकार १०० रुपये मंहगाई देती है, राजस्थान की सरकार ६५ रुपये मंहगाई देती है। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी मंहगाई भत्ते की मांग करते हैं, छटनी का विरोध करते हैं तो लाठी मिलती है विद्यालयों में इस विद्यालय में उनके परिवार के लड़के हैं। सरकार क्या समझती है? (व्यवधान) आज उनके ऊपर अमरीकन टियर गैस का प्रयोग हुआ है। यह सुचेता कृपालानी की सरकार पाकिस्तान के सामने घुटने टेक देती है। (व्यवधान) जी, पाकिस्तान के सामने घुटने टेके हैं। चीन के सामने घुटने टेके हैं और सदा हिंसा के सामने घुटने टेके हैं और निहत्थे राज्य कर्मचारियों के ऊपर तेटियर गैस का इस्माल करते हैं। और अखबार वालों को भी नहीं छोड़ते। लोकतंत्र के प्रहरी, जनता की आवाज को देने वाले पत्रकार भी नहीं छोड़े जा सके। पत्रकार बन्धु भी मार खाये और पत्रकार सम्मेलन में सुचेता कृपालानी जी ने कहा कि मुकर्जी मारा गया है। झूठ बोलती हैं मुख्य मंत्री। मुखर्जी को हाऊस के सामने लायें। पत्रकार गये हैं। आज मुखर्जी को देख आये हैं। उनको एक ढेला नहीं लगा। मुकर्जी जैसे आदमी की और पुलिस की वकालत करने वाली उत्तर प्रदेश

की मुख्य मंत्री हैं। पुलिस की वकालत करने के लिये सत्ताधारी दल मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री जी, आपकी नीति नहीं चलगी। आज उत्तर प्रदेश में आपकी नीति नहीं चल रही है बल्कि के० के० दास की नीति चल रही है। माननीय सुचेता जी के पास हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है और वह के० के० दास के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती हैं। आज प्रदेश का जन जीवन उत्पीड़ित है और अव्यवस्थित है। आज प्रदेश की लाखों करोड़ों जनता मांग करती है कि के० के० दास को हटाइये लेकिन मुख्य मंत्री माननीय सुचेता जी उसके हटाने के लिये तैयार नहीं हैं। आज हमारे प्रदेश की लाखों करोड़ों जनता एक तरफ है और के० के० दास दूसरी तरफ हैं और इतनी बड़ी जनता के मुकाबले में के० के० दास का वजन बहुत बड़ा है। जनतंत्र के खत्म करने का यह एक तरीका है।

(इस समय ४ बजकर ५० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद) पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, यह मानी हुई बात है कि जनता का मनोबल गोली चला कर और लाठी चला कर खत्म नहीं किया जा सकता है। चीन में चांगकाई शेक की सरकार उलट गई। मैं कहना चाहता हूं कि जनता को अपने आप में आत्म निर्भरता लानी चाहिये। हमारी मांगों को सुनिये। आप लोग क्यों परेशान होते हैं? आप कहते हैं कि लाठी चार्ज नहीं किया गया? १५ तारीख को, ३० तारीख को और २३ तारीख को लाठी चार्ज हुआ है। यही तो मांग राज्य कर्मचारियों की है कि हमारे ऊपर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज हुआ है इसलिये उसके लिये एक न्यायिक जांच कराइये। न्यायिक जांच कराने में आपको दिक्कत क्या है? यही तो मांग है राज्य कर्मचारियों की कि लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कराइये। लाठी चार्ज से सरकार क्यों भागती है? इसका मतलब साफ है। सरकार दोषी है। अपने दोष को वह छिपाना चाहती है और इसलिये जांच कराने के लिये तैयार नहीं है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार सजगता के साथ सोचें। जो भी राज्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की है उसको वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर आप स्थिति को ठीक नहीं करते हैं तो आग लगेगी, लोकतंत्र का खात्मा होगा और उसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस हुकूमत पर होगी।

श्री रामचन्द्र विकल—

(श्री बेचनराम का नाम पुकारे जाने पर) बेचनराम जी, इस विषय पर बोल चुके हैं। अगर आप इस तरह से व्यवहार करेंगे और इस तरह से पक्षपात करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप न्याय नहीं करेंगे। जो लोग बोल चुके हैं उनको उसी विषय पर दुबारा बुलाना, इस तरह से तो आप इस प्रदेश को, इस सदन को नहीं चला सकते। अगर सबकी सद्भावना को लेकर चलेंगे तब तो आप चल सकते हैं और अगर इस तरह से पक्षपात किया जायगा तो आप इस प्रदेश को आगे नहीं ले जायेंगे। आप इस कुर्सी पर बैठ कर पक्षपात करते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय विकल जी, आप कृपा करके बैठ जाइये।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं निवेदन कर रहा हूं कि सरकार की तरफ से तो पक्षपात होता ही है लेकिन चेयर से इस तरह का पक्षपात होता है। हम भी जनता के नुमाइन्दे हैं (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपा करके बैठ जाइये।

श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, इस वातावरण में यह जो विषय माननीय नेता, विरोधी दल ने पेश किया है. . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपा करके बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री बेचनराम—

मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करता हूं कि जिस लोकतंत्र की व्यवस्था के अन्तर्गत हमको दफा ५२ या कामरोको प्रस्ताव के अन्तर्गत या अन्य विधियों के साथ जो विशेषाधिकार के रूप में अधिकार माननीय सदन को प्राप्त हैं या इस सदन के माननीय सदस्यों को प्राप्त हैं और जिनका हम उपयोग करते हैं उनकी कुछ मान्यतायें हैं। और अगर उस मान्यता को हम और आप, यह सदन और माननीय सदस्य मानते हैं तभी कोई बात आगे बढ़ सकती है। हम आप मानते हैं कि हमारे यहां लोकतंत्र है, सदन है, संविधान के अन्तर्गत हमारे सदन के कुछ विशेषाधिकार हैं और हम उनके द्वारा जनता की भावनाओं की तर्जुमानी कर सकते हैं, उनके असंतोष और उनकी भावनाओं को प्रतिपादित कर सकते हैं, तब बात आगे चलती है। अगर हमारे माननीय विरोधी दल के सदस्य या माननीय विरोधी दलों के नेतागण जिन्होंने अभी इस विषय पर चर्चा की है अगर उनका विश्वास जनतंत्र में है, जनतांत्रिक परम्पराओं में है, अगर वह समझते हैं कि जितने भी मौलिक अधिकार दिये हैं सरकार ने हर व्यक्ति को, बोलने की सुविधा दी है, प्लेटफार्म की सुविधा, प्रेस की सुविधा, मूवमेंट करने की सुविधा इन तमाम अधिकारों से लैस होकर, सारी सुविधायें जो मौलिक अधिकारों के नाम से प्राप्त हैं वह हैं उनके होते हुये भी अगर हम उन जनतांत्रिक परम्पराओं पर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर और उन तमाम संविधान द्वारा प्रदत्त मान्य परम्पराओं पर विश्वास नहीं रखते और जो घटनायें आज उत्तर प्रदेश में घट रही हैं, जो बात आज हो रही है और हमारे राज्य कर्मचारी जिनके ऊपर सरकार ने नियमों के अन्तर्गत बहुत भारी जिम्मेदारी, सरकारी फाइलों की जिम्मेदारी, सरकारी कार्य करने की जिम्मेदारी और बहुत से ऐसे कार्य जो उत्तर प्रदेश के शासन के हैं उनके ऊपर सौंपी है। आज ४४ करोड़ आबादी के नागरिक इस देश में रहते हैं। उनमें हर एक नागरिक को व्यवस्था से यहां पर अधिकार प्राप्त है। उनको शान्तिपूर्वक अपने जीवन यापन करने का अधिकार है। यदि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ विशेष परिस्थिति में रहते हों, अगर वे एक प्रकार से जनतंत्र से हट कर कोई कार्य करने लगें और यह समझ कर करने लगें कि सरकार इन कामों से दब सकती है तो फिर जनतन्त्रवादी सरकार के लिये उनकी बातों में दबना एक प्रकार से उसकी नीतियों से पीछे हटना होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर विरोधी दल के सदस्यों का विश्वास जनतन्त्र में है तो इस तरह से सारी विरोधी पार्टी को इस आन्दोलन का समर्थन करना नहीं चाहिये जिस तरह से वे आज कर रहे हैं। बातचीत के द्वारा इस तरह की बातें तय हो सकती हैं और उन पर विचार किया जा सकता है। उन लोगों ने अपने मेमोरेन्डम दिये हैं और उन पर विचार करने का सरकार का कर्त्तव्य है लेकिन यदि इस प्रकार से सरकारी कर्मचारी जनतन्त्र की परम्पराओं से हट कर उन बातों को करने के लिये तैयार होते हैं जिनको प्रजातन्त्र के अनुरूप नहीं कहा जा सकता तो यह सरकार कभी मान नहीं सकती है। जो सरकार जनता को सुविधा देने के लिये कृत संकल्प है उसके रास्ते में अगर इस प्रकार की जमात कोई अराजकता पैदा करती है तो सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उनके विरुद्ध कदम उठाये। (व्यवधान)

(इस समय ५ बजे, श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री बेचनराम—

जो जनतंत्र की दुहाई देते हैं और काम इस तरह का करते हैं कि जो जनतन्त्र के विरुद्ध जाता है, तो सरकार इस प्रकार के व्यक्तियों से दब नहीं सकती है। यदि सरकार ऐसे

व्यक्तियों से दबती है तो यह सरकार के लिये अनुचित होगा। जो अराजकता पैदा करने वाले तत्व हैं उनके खिलाफ यह सरकार कार्यवाही करेगी और हमारा निवेदन सरकार से है कि वह ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करे। (व्यवधान) बड़े-बड़े नेताओं ने और हमारे संविधान ने इस बात की गारन्टी दी है कि प्रत्येक को अधिकार है लेकिन यह दुखद बात है कि इस प्रकार की स्थिति हमारे लोग पैदा करें जिसमें सरकार को कदम उठाना पड़े। जो संवैधानिक रूप से यहां बैठे हैं, जो सदन में आये हैं, बैठे हैं और प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं उनको जनता की भलाई के कार्य करने चाहियें।

(श्री बलवान सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उन्होंने कहा कि मैं आग लगा दूंगा। यह मैं समझा नहीं कि उनका मतलब क्या था।

(व्यवधान)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

जिन्होंने बांदा गोली कांड पर प्रस्ताव दिया है उनमें से आपने एक भी आदमी को बोलने नहीं दिया जबकि मैंने पार्टी की तरफ से अपना नाम भी भिजवा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

हर पार्टी को मैं मौका दे रहा हूं।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत खामोशी से, खास तौर से कांग्रेस की तरफ से जितनी बातें आयीं उनको मैंने सुना। मुझे यह लगा कि जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग आज सच नहीं बोल रहे हैं। जैसी स्थिति आज है क्या आप उसे देख नहीं रहे हैं? इस यू० पी० के अन्दर आज चारों तरफ एक आग लग रही है। क्या आप उसे देख नहीं रहे हैं। आज जनतंत्र का हनन हो रहा है। क्या आप उसे देख नहीं रहे हैं। किस तरह की स्थिति आज यू० पी० में चल रही है। आज मुझे ताज्जुब हुआ यह देख कर कि सेक्रेटेरियेट के अन्दर लाठी चार्ज हो और उसको भी मुख्य मंत्री यहां इन्कार करें। क्या आप इस तरह की तानाशाही के युग में जहां आपके आई० सी० एस० और मुख्य मंत्री तानाशाह हों, जनतंत्र के हामी जो हैं उनको मजबूर करते हैं कि वे इस असेम्बली में झूठ बोलें। इससे ज्यादा खतरनाक बात हिन्दुस्तान के लिये दूसरी नहीं है। यह मैं आज कहना चाहता हूं और मुझको आज बड़ा दुख हुआ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शान्ति से सुनिये।

श्री बलवानसिंह—

इस समय माननीय जे० पी० मिश्र और माननीय रामायण राय जो किसी दिन हमारी पार्टी में ही थे आज मुझे खुशी है कि वे कांग्रेस पार्टी के स्पोक्समैन बने हुये हैं। उनकी पुरानी और आज की बातों का जब मैं मिलान करता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। अभी मिश्रा जी ने कहा कि हिन्दुस्तान की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की नेशनल एक्जीक्यूटिव ने कहा है कि यहां के इम्प्लाईज अपने स्ट्राइक को वापस लें। मैं आज हाउस के अन्दर कहना चाहता हूं कि इस यू० पी० के एम्प्लाईज को अपना आन्दोलन वापस लेना चाहिये बशर्ते कि आपके मुख्य मंत्री जी इस बात का विश्वास दें कि उनका विक्टिमाइजेशन नहीं होगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री बलवानसिंह]

कि अगर आज यू० पी० के अन्दर किसी भी जगह हिन्दुस्तान की प्रापर्टी को, रेलवे को, हिन्दुस्तान की जायदाद को अगर कोई भी शख्स बरबाद करता है तो हिन्दुस्तान का जनतंत्र इससे आगे नहीं पनपेगा। हम इस चीज को बरदाश्त नहीं कर सकते।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। आप बार-बार बंशीलाल जी की बात कह रहे थे, वह आ गये.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप भी आते हैं, वह भी आते हैं। यहां किसी का आना नहीं रोका जा सकता। मैं अपने मन का काम करता हूं। आप बैठिये। इस तरह से शोर मचाने से आपका नुकसान होगा।

श्री बलवानसिंह—

विरोधी दल की तरफ से कोई ऐसा मेम्बर नहीं है जो हिन्दुस्तान के जनतंत्र को खतरे में लाना चाहता हो। विरोधी दल की तरफ से कोई ऐसा मेम्बर नहीं है जो कहेगा कि हिन्दुस्तान की जायदाद बरबाद की जाय, हिन्दुस्तान के रेलवे के आफिसेज जलाये जायं। लेकिन आज हिन्दुस्तान के अन्दर जनतंत्र को सबसे बड़ा खतरा आ रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं, मिश्रा जी, कि ज्यादातर जिम्मेदारी आप लोगों की तरफ से है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि एम्प्लाईज की मांगें क्या थीं? यू० पी० के अन्दर सेक्रेटेरियेट के एम्प्लाईज की मांग सिर्फ यह थी कि हमारा डियरनेस अलावेंस बढ़ाया जाय। आज छोटे-छोटे कर्मचारियों की क्या हालत है? उनका आपको कोई खयाल नहीं है, क्या यही आपका समाजवाद है? क्या आज यह उचित होगा कि कांग्रेस के जमाने में एम्प्लाईज की इस तरह से छंटनी हो? आज मुझको ताज्जुब हो रहा है कि आज २७० एम० एल० एज० के अन्दर, कांग्रेस के अन्दर क्या हालत है? ब्रिटिश राज में सुचेता जी नोवाखाली तक जाती थीं। अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्होंने काम किया, उनके खिलाफ उनके खून में जो गर्मी थी, क्या आज इन कर्मचारियों के खिलाफ भी उनकी वही भावना है? (व्यवधान) आज राक्षसों की तरह औरतों, बच्चों और विद्यार्थियों को पीटा जा रहा है। दो साल के अन्दर ५० फीसदी कीमतें बढ़ गयी हैं। अगर राज्य कर्मचारी डियरनेस अलाउन्स बढ़ाने की मांग करते हैं तो उनको लाठी डंडे से पीटा जाता है। यह कहां का न्याय है? मैं माननीय रामायण राय, माननीय बनारसीदास, माननीय गेंदासिंह से कहना चाहता हूं कि वे जरा इस पर ठंढे दिल से विचार करें। आज हिन्दुस्तान के अन्दर जनतंत्र को बचाने की जरूरत है। यह सरकार पिछले २० सालों के अन्दर जनता के लिये न तो रोटी का इन्तजाम कर पायी है और न कपड़े का इन्तजाम कर पायी है। आप किस चीज पर विरोधी दलों से सहयोग की मांग करते हैं? हम आपको सहयोग देने के लिये तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर अपोजीशन के लोगों को बुलायें और बात करें, हम उसके लिये पूरा सहयोग देने के लिये तैयार हैं। मगर आप तो बात करने के लिये तैयार नहीं हैं, जब आप हर वक्त लाठी डंडे से काम लेंगीं, तो कैसे कोई शान्ति पूर्वक हल निकाला जा सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि यू० पी० को बचाइये, जनतंत्र को बचाइये, हम हर तरह से आपको सहयोग देने के लिये तैयार हैं।

(श्री जगनप्रसाद रावत का नाम पुकारे जाने पर)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या यह सरकार का आफिशियल वक्तव्य आ रहा है, यह किस हैसियत से बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

हर एक मंत्री को बोलने का अधिकार है, जवाब तो मुख्य मंत्री जी देंगीं, वे तो डिबेट में भाग ले रहे हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

इसके पहले कि माननीय मंत्री जी बोलें, मैं दो सवाल करना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई तरीका नहीं है, आप कृपया बैठें। (व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

माननीय मंत्री जी कृपया इस बात का जवाब दें कि क्या यह सच है कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के आफिस में पुलिस घुस गयी और उसने वहां अत्याचार किये और कुछ स्टुडेन्ट्स को गिरफ्तार भी किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

*सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय इतना गंभीर है कि जिस वातारण में और जिस जोस के साथ जो यह बहस चल रही है उसमें कुछ बदलाव होना चाहिये। पक्ष और विपक्ष के लोगों की ओर से जो आक्षेप एक दूसरे पर हो रहे हैं, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, उसका समय ३—४ महीने के बाद आने वाला है, जब उसके लिये बड़ी-बड़ी सभायें होंगी, अखबारों के द्वारा एक दूसरे पर आक्षेप लगाये जायेंगे। हमें उस समय का इन्तजार करना चाहिये। इस वक्त क्रोध का समय नहीं है, ठंडे दिल से सोचने का है, मेरा यह निवेदन दोनों ओर के माननीय सदस्यों से है।

जहां तक राज कर्मचारियों का संबंध है, उनके लिये सबसे अधिक दुःख मेरे दिल में है और इसका कारण भी है। ३० साल से इस विधान सभा से मेरा संबंध है और यहां के कर्मचारियों से संबंध रहा है। उनमें से बहुत से कर्मचारी तो मेरे सामने आये हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनके पिता, चाचा और ताऊ पहले यहां कार्य करते थे, उनसे भी मेरा संबंध रहा था।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इसीलिये उनको फटियल बाबू कहा गया था।

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसमें भी मुझे कोई संकोच नहीं है क्योंकि मैं एक किसान परिवार का लड़का हूं और फटियल बाबू का पुत्र हूं। इसमें भी मुझे कोई संकोच नहीं है, न शर्म है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार फटियल बाबू का लड़का भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है और करोड़पति का लड़का भिखमंगा हो सकता है। (मेजों का थपथपाना) जो यह चल रहा है इसमें मुझे दुख इस बात का है, मैं किसी पार्टी पर आक्षेप नहीं करता, जहां तक मेरी इत्तिला है इसमें किसी राजनैतिक पार्टी का हाथ नहीं है, किसी राजनैतिक पार्टी का इस आन्दोलन से कोई संबंध नहीं है लेकिन दुख इस बात का है कि कुछ राजनैतिक पार्टियां अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिये इस आन्दोलन को बल दिये हुये हैं। इसका मुझे पता है। इसलिये मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिये, छोटे-छोटे दलीय स्वार्थों को पूरा करने के लिये, इन गरीब आदमियों को लेकर न खेलें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक विक्टीमाइजेशन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगनप्रसाद रावत]

की बात कही जाती है, हमारी रत्ती भर भी किसी कर्मचारी के साथ विक्टीमाइजेशन की इच्छा नहीं है। (तालियां) विक्टीमाइजेशन होता किसके साथ है? दुश्मन के साथ। क्या हम अपने बच्चों, अपने भाई, अपने साथियों और अपने रिश्तेदारों के साथ विक्टीमाईजेशन कर सकते हैं? अगर हमारे भतीजे या हमारे किसी दोस्त के भतीजे या लड़के का इन आन्दोलन में होने से नुकसान हो या उनको किसी प्रकार की तकलीफ हो या उनको किसी प्रकार की चोट पहुंचे तो उससे मैं समझता हूं कि एक ही बात हो सकती है कि यदि मैं राक्षस हूं, दैत्य हूं तो अपना खून पीकर प्रसन्न हो सकता हूं लेकिन अगर मुझ में इन्सानियत है तो उससे मेरे दिल में दर्द होगा, दुख होगा, इन भावनाओं को समझने की जरूरत है। जहां तक मुख्य मंत्री को मैं समझता हूं, मैं इस बात को जानता हूं और मेरी घंटों उनसे इस पर चर्चा हुई है, उनके दिल में मुझ से कम दुख नहीं है, उनके दिल में भी दुख है लेकिन इसके लिये आवश्यक है कि हम और आप सभी मिल कर एक अच्छा वातावरण बनावें। ऐसे तो माननीया मुख्य मंत्री इसका जवाब देंगी ही लेकिन मैं यह जरूरी समझता हूं कि हमारी जो इच्छा है, हमारे दिल में जो दर्द है वह दर्द व्यक्त होना चाहिये ताकि राज कर्मचारियों को इस बात का विश्वास हो कि उनके साथ वही व्यवहार होगा जो कि एक पिता का अपने बच्चों के प्रति होता है। दुश्मनी का व्यवहार नहीं होगा। हमारे दल का कोई भी व्यक्ति यदि इस भावना से काम करता है कि कांग्रेस पार्टी पर इसका कोई असर न आने दे और इसका प्रतिरोध करता है तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है।

दूसरी बात यह कि कुछ बातें हमारे कुछ भाइयों ने कांग्रेस के सिलसिले में कहीं कि हम दूसरी भाषा समझते हैं। कुछ ने कहा कि हम पाकिस्तान की भाषा को समझते हैं, कुछ ने कहा कि हम नागालड की भाषा को समझते हैं। मैं आपको बतलाऊं कि हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान को उसकी इस भाषा का समुचित उत्तर दिया है। (व्यवधान) मैं किसी को बीच में टोकता नहीं हूं और आशा करता हूं कि मुझे भी कोई नहीं टोकेगा।

जहां तक चीन का संबंध है, यदि हम भूल न जायं तो चीन की भाषा का जवाब हमारे जवानों ने लद्दाख में दिया है और पाकिस्तान को भाषा का भी जवाब पिछले दिनों दिया है। हमारे जवान रजाकारों की भाषा का भी जवाब हैदराबाद में दे चुके हैं और रजाकारों के नेता अल्लामा मशरिखी को भी इसका जवाब दे चुके हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि कुछ ऐसे दल हैं जिनका अपने इस देश से कोई संबंध नहीं है, और जिनकी सहानुभूति और देशों के प्रति है। अगर उन देशों की भाषा को कोई समझता है तो वह इंडोनेशिया के श्री सुहार्तो ही समझते हैं। वे हिन्दुस्तान की भाषा को नहीं समझते हैं। वे गांधी और जवाहर की भाषा को नहीं समझते हैं। हजारों लाखों लोग जो हमारे देश में रहते हैं वे हमारे देश की भाषा को समझते हैं न कि दूसरे देश की।

जहां तक लाठी चार्ज, मारपीट या लोगों के चोटें आने की बात है, यह दुखद घटना है। (व्यवधान)

(श्री रामसुन्दर शास्त्री के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शास्त्री जी, आप बैठें।

श्री जगनप्रसाद रावत—

लाठी चार्ज किसी पर हो जाय तो इनक्वयारी आप भले ही करा लें लेकिन जिसको चोट लग गयी उसका क्या होगा? कहीं पर किसी को गोली लग जाय, गोली लगने पर आप कितनी भी जुडिशियल इनक्वयारी करायें, गोली मारने वाले को फांसी दे दें, लेकिन जिसको गोली लग गयी, जो जान से मरा, उसका क्या होगा? तो सोचना यह है कि यह परिस्थितियां पैदा क्यों होती हैं और क्या इन परिस्थितियों को बचाया जा सकता है या नहीं और तुरन्त परिस्थितियों को बचाने

के बजाय उनको बढ़ाने की जो कोशिश करते हैं उनकी भी कुछ जिम्मेवारी है और उनका भी कुछ कर्तव्य है कि वह उनको समझायें। एक जगह गोलीकांड की चर्चा हुई, वहां पर बेचारे गरीब आदमी, शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी यह कह कर लाये गये कि तुम्हारी जमीन का बटवारा होगा, जलूस बना कर चले आओ। वह बेचारे गये और वहां कुछ लोगों के गोली लग गई (व्यवधान)

मैं आपसे पूछता हूं कि इन घटनाओं में क्या होता है? होता यह है कि जो लोग उत्तेजित करते हैं वह गोली और लाठी चलने के वक्त भाग जाते हैं और गरीब निरीहों को आगे कर देते हैं। यह एक भावना की बात है। (व्यवधान) मेरा एक निवेदन है आपसे कि जहां तक इस बात का संबंध है कि राज्य कर्मचारी काम पर आयें और उनका कोई विक्टीमाइजेशन न हो, मैं समझता हूं कि इस बारे में इस पक्ष के लोगों की राय में और विरोधी पक्ष के लोगों की राय में एक पैसा भर भी अन्तर नहीं है और वह उनके साथ होने चाहिये और उनको हर तरह का विश्वास मिलना चाहिये कि कोई विक्टिमाइजेशन न होगा। दूसरे उनकी महंगाई का जो प्रश्न है उसको लेकर भी किसी की भी दो रायें नहीं हो सकतीं और उचित महंगाई न मिलने से जो भी उनकी तकलीफें हैं, वह तकलीफें हैं और यह भी सही है कि अधिक से अधिक कर्मचारी कर्जे पर चल रहे हैं, सोसाइटी के कर्जे पर चल रहे हैं? लेकिन स्थिति यह है कि आज तो सारा मुल्क कर्जे पर चल रहा है। आज मुल्क के सामने एक ऐतिहासिक परिस्थिति है और उस परिस्थिति का ताल्लुक केवल कर्मचारियों से नहीं, केवल स्टेट की नीति से नहीं है बल्कि उसका संबंध पूरे देश की नीति से है। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। अभी तक इस दिशा में एक रास्ता निकालने की बड़ी ढील रही है यानी जो अधिक पैसा कमाने वाले लोग हैं उनके पेट में कम करें और गरीबों को पेट में बढ़ोत्तरी करें। यह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है, यह सारे देश का प्रश्न है और अब समय आ गया है कि इस प्रश्न को उठाया जाना चाहिये और अगर वह न उठाया गया तो हो सकता है कि देश में दूसरी क्रान्ति हो। आज जो देश के जिम्मेदार लोग हैं उनको अपनी नई नीतियों के जरिये से हर एक नागरिक के साथ मिलकर काम करने की जरूरत होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग मिलकर कोशिश करें और राज्य कर्मचारियों को समझायें कि कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगा और सब लोग कोशिश करें कि उनकी जहां तक महंगाई का सवाल है उस पर यह सही है कि गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिये और जो कुछ भी संभव हो उनको महंगाई मिलना चाहिये, इस में २ रायें नहीं हैं। इन शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो प्रस्ताव है हमारा कर्तव्य यह है कि हम उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और कोशिश करें कि इसका कोई न कोई हल जल्दी से जल्दी प्रान्त के सामने आयें और एक अच्छा वातावरण पैदा हो। यह कर्तव्य सरकार का है और सरकार के समर्थकों का होना चाहिये लेकिन प्रजातन्त्र के अन्दर सरकारी पक्ष और विरोधी दलों के लोगों को इकटठा कर के यह काम होना चाहिये। आपने देखा होगा कि पिछले १ सप्ताह से इधर के बैठने वालों ने बार-बार मुख्य मंत्री से प्रार्थना की कि आप हमारा सहयोग लीजिये, हम हर प्रकार से आपका सहयोग करने को तैयार हैं लेकिन आदरपूर्वक इज्जत से हमारा सहयोग प्राप्त कीजिये और उसका कोई न कोई हल तलाश करने में हम मदद करने को आपकी तैयार हैं लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी मुख्य मंत्री ने कभी कोशिश नहीं की कि इधर के नेताओं को बुलाकर आपस में बातचीत करतीं कि इसका क्या हो सकता है। अगर इस तरह से बिगड़े हुये वातावरण को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया जायगा तो क्या हाल होगा, यह आप स्वंय समझ सकते हैं।

आज जो हालत इस प्रदेश के अन्दर है वह इतनी दुखद है कि लाखों की संख्या में कर्मचारी ही नहीं वह लोग भी जिनका उनसे प्रति दिन काम पड़ता है आज इधर से उधर भागे फिर रहे हैं;

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त माथुर]

कोई उनकी मुश्किलात हल करने के लिये नहीं है। इसलिये सरकार का फर्ज है, खास तौर पर मुख्य मंत्री का यह फर्ज है कि वह जल्दी से जल्दी उचित कदम उठायें जिससे कि यह तमाम वातावरण जो है वह सहानुभूतिपूर्वक हल हो सके और यह कर्मचारी जो हैं उन की मांगों पर उचित विचार होने के बाद, आश्वासन देने के बाद वह अपने काम पर आ जायें और काम उसी तरह से सुचारु रूप से फिर से चालू हो जाय जैसा कि पहले होता था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछले ६, ८ महीने से आप देखते हैं कभी काला बिल्ला लगा कर काम पर सरकारी कर्मचारी आते हैं, कभी प्रदर्शन करते रहे, रोजाना बाहर मीटिंग होती रहीं, आपकी जानकारी में यह सब कुछ होता रहा। सरकार ने इतने महीने तक क्या प्रयत्न किया कि सहानुभूतिपूर्वक इनसे बातचीत की जाय? इसके बाद २ महीने से पूर्व माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि काम पर आ जाइये, हम सहानभूतिपूर्वक आप की बात सुनेंगे। उसके बाद में माननीय चरण सिंह के जिम्मे यह काम सौंपा गया। हमारे माननीय साथियों ने यह बात बताई कि एक रूपरेखा तैयार करके मंत्रिमंडल के सामने लाई गयी लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। इसका कारण मुख्य मंत्री को बतलाना चाहिये। क्या कारण है कि इन कर्मचारियों को दोबारा हड़ताल करनी पड़ी और काम रोकना पड़ा?

एक तरफ हम यह कहते हैं कि ७ करोड़, साढ़े ७ करोड़, रुपये की जरूरत पड़ेगी, महंगाई भत्ता देने के लिये, दूसरी तरफ १ लाख २० हजार रुपये की कार खरीदी जाती है जो कि पंत जी, संपूर्णानन्द जी के जमाने में भी नहीं खरीदी गयी। कितने शर्म की बात है? (शेमशेम के नारे) १४०० रुपया महीना एक पत्रकार के मुलाजिम रखने के लिये दिया जाता है जब कि १०० परिवारों को उससे महंगाई भत्ता दिया जा सकता था। जो यह रुपया इस तरह से क्यों बरबाद किया जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं रामायण राय जी से कौन सा खतरा पैदा हो गया है जो इस तरह से रुपया बरबाद किया जा रहा है? कर्मचारियों के नेता आज तक गिरफ्तार नहीं हुये। कौन लोग हैं जो उनसे हमदर्दी कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो कर्मचारी गण की उनकी हड़ताल में मदद कर रहे हैं? यहां पर गुटबन्दी है और एक मुख्य मंत्री को हटा कर दूसरे मुख्य मंत्री को लाया जाता है और सारी जिम्मेदारी हम पर डाली जा रही है। इन तमाम चीजों का जरा हल तलाश किया जाता तो इस लाठी चार्ज की जरूरत नहीं पड़ती। आज सारे हिन्दुस्तान को बन्द करने का नारा लगाया जा रहा है उसकी जरूरत न पड़ती अगर सुचेता जी की सरकार ईमानदारी से, शराफत से, नेकनीयती से समस्या का हल निकालती।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने अर्से में मैं बराबर खड़ा होता रहा लेकिन आप चन्द लोगों को जिनके नाम लिस्ट में हैं उन्हीं को बुलाते हैं और प्रदेश के वातावरण को शान्त रखने में सहयोग नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री रामचन्द्र विकल—

चन्द लोगों को आप सुनाना नहीं चाहते। मैं इसके विरोध में सदन छोड़े देता हूं क्योंकि मेरी बात आप सुनना नहीं चाहते। आप शांत वातावरण नहीं बनाना चाहते हैं। मैं इस विरोध में सदन छोड़ना चाहता हूं।

(शोर)

(श्री रामचन्द्र विकल सदन त्याग कर चले गये।)

एक सदस्य—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न इसमें कुछ नहीं है कि किसको मैं बुलाता हूं। आप बैठ जाइये कृपा कर के।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

व्यवस्था का प्रश्न। आपका विवेक है कि आप जिस माननीय सदस्य को चाहें उसको बुला दें, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि आप कांग्रेस पार्टी के एक विशेष गुट के लोगों को ही बुलवा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिल्कुल गलत कहते हैं। मैंने दो आदमियों को बुलाया (व्यवधान)। मैंने माननीय जगनप्रसाद जी को बुलाया। (व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। श्रीमन्, यह देखा जा रहा है कि हम लोगों की कुछ भावनायें हैं। यह बात सही है कि सरकार का एक दृष्टिकोण है। यह बात सही है कि स्थिति ऐसी पैदा हो गयी है जिस पर माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं। लेकिन पिछले दिन भी जबकि कामरोको प्रस्ताव आया उस रोज भी अगर आप देखेंगे अपनी लिस्ट में तो करीब करीब ऐसे ही लोगों की लिस्ट दी जाती है जो कि अपने एक पक्ष को रख सकें और दूसरे के विचार की स्वतंत्रता न रह सके। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह स्थिति है, अगर आप चाहते हैं कि (व्यवधान)। जो अपने विचार रखना चाहते हैं आप उनके विचार नहीं सुनना चाहते हैं। अतः मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री नरसिंहनारायण पांडेय सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा, मैं समझता हूं कि आपका यह अधिकार है कि आप जिस को चाहें समय दें। पर जिस समय से यह बहस शुरू हुई सबसे पहले माननीय बिकल जी हर बार खड़े होते रहे और हमेशा आपने कहा कि यह आपका अधिकार है। मैं नहीं समझता कि वह कौन सा माप दंड है जिससे आप समझते हैं कि आपकी आई कैच कर सकें। इस समय प्रदेश में ऐसी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है और उस समय अगर आप पार्टीके अन्दर तफरका डालेंगे तो सारे प्रदेश में अशान्ति व्याप्त हो जायगी। अगर आप हमारे अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकते तो हम बाध्य होते हैं कि सदन छोड़ दें। जब हम यहां पर अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारे यहां बैठने से क्या फायदा है? इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजनारायण मिश्र सदन त्याग कर चले गये।)

श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे इस हाउस में बहुत दिनों से बोलने का मौका नहीं मिला है। आपने ही कहा था कि एक ही माननीय सदस्य को एक विषय के ऊपर दो बार नहीं बोलने दिया जायेगा। लेकिन आपने दोबारा बोलने का मौका दिया है। अभी यह बोले थे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विश्वनाथप्रसाद—

मुझे यह कहना है कि (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जाइये। सदन की कार्यवाही में विघ्न मत डालिए।

श्री विश्वनाथप्रसाद—

श्रीमन्, मैं सदन का त्याग करता हूं। अगर ऐसी ही हालत रही तो मैं सदन में नहीं आऊंगा।

(श्री विश्वनाथप्रसाद 'प्रणव' सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

आप सुन तो लीजिये। हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो सदस्य कांग्रेस पार्टी के हैं उनको आपने नहीं निकाला है। काशीनाथ जी को आपने बाहर फिंकवा दिया। इसके ऊपर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

आप सुन तो लीजिये। कांग्रेसी सदस्यों में से आपने एक को भी नहीं निकाला। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जाइये।

श्री राधेश्याम शर्मा—

हमारे साथियों ने क्या जुर्म किया था जो उनको बाहर फिंकवा कर निकलवा दिया? उनमें से किसी को क्यों नहीं निकाला? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कहता हूं कि आप बैठिये।

श्री वृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये या सदन छोड़िये ।

(श्री लखपतराम शर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

उपाध्यक्ष जी, अब केवल १७ मिनट रह गये हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से जो बोल सकें उनको आप अवसर दें बनिस्बत इसके कि किसी और सदस्य को आप बुलावें और सारा समय उसमें जावे ।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

श्रीमन, माननीय मुख्य मंत्री जी अभी ५ मिनट में आ रही हैं ।

श्री बृजभूषणशरण—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदन आज बड़े गम्भीर मसले पर बहस कर रहा है । अफसोस की बात यह है कि जब हमारे साथी आपके सामने दो मुख्तलिफ बातें एक सांस में कहते हैं तो कुछ अजीब सा मालूम होता है । आज सुबह मेरे दोस्तों ने माननीय खाद्य मंत्री से एक सवाल पूछा था और उसमें यह कहा था कि क्या माननीय खाद्य मंत्री पंजाब के तरीके पर चोरबाजारी को बन्द करने के लिये तैयार हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनकी मनोभावनायें क्या हैं । अभी जो बड़े तीसमारखां बन रहे थे और कह रहे थे कि वे के० के० दास की धज्जियां उड़ायेंगे, मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि जिस दिन के० के० दास की सरकार बनेगी उस दिन ये ही लोग उनके गले में फूल की माला डालेंगे । (व्यवधान) आज धर्मवीर की जो हुकूमत पंजाब में है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शोर न मचाइए ।

श्री बृजभूषणशरण—

जो प्रजातंत्र आज पाया जाता है उस प्रजातंत्र के हिसाब से धर्मवीर हुकूमत नहीं चला रहे हैं । धर्मवीर गवर्नर रूल्स के हिसाब से हुकूमत चला रहे हैं । आज यह लोग उनकी तारीफ कर रहे थे । आप लोग उसी तरीके से के० के० दास के गले में भी मालायें पहनायेंगे और ऐसा इसलिये है कि हमारी सरकार जो प्रजातांत्रिक आधार पर हमें और आपको तमाम अनाप-शनाप बातें करने की इजाजत दे सकती है वह न रहने पाये । इस सरकार, इस प्रजातंत्र की और इस विधान सभा की वजह से आप यह सब कह सकते हैं कि खून खराबी होगी, हम धज्जियां उड़ायेंगे, आग लगा देंगे । माननीय विरोधी दल के नेता आज सुबह जिस वक्त इस पर बहस शुरू होने वाली थी, कह रहे थे कि आप हमें बाध्य न कीजिये कि हम उन रास्तों पर चले जावें जिन रास्तों पर हम जाना नहीं चाहते । यह बिलकुल धमकियां हैं, यह सब द्योतक है इस बात का कि ये लोग प्रजातंत्र का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं । जहां तक कांग्रेस पार्टी का सम्बन्ध है अभी रावत जी और मिश्रा जी ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । हम सब लोग राज्य कर्मचारियों के साथ हमदर्दी रखते हैं । हम चाहते हैं कि महंगाई भत्ता उनको अवश्य मिलना चाहिये मगर साथ साथ हम सुचेता जी से भी हमदर्दी रखते हैं क्योंकि वे अपना फर्ज समझती हैं, उनका कहना है कि यह सोचना है कि हम दे सकते हैं या नहीं ।

[श्री बृजभूषणशरण]

हमारे विरोधी भाई एक तरफ भारत बन्द करते हैं और उधर कहते हैं कि कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाइये । (व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय मुख्य मंत्री जी आ गयी हैं, मौजूद हैं । मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपने वक्तव्य से इस बात को स्पष्ट कर दें कि जो कर्मचारीवर्ग हैं उनके प्रति कोई प्रतिशोध की भावना नहीं रहेगी, सारे वारन्ट कैंसिल होंगे, सारी कार्यवाही खत्म हो जायगी, वे काम पर आवें । जो जेल में हैं उनको छोड़ा जाय, जुडीशियल इन्क्वायरी हों और दूसरी बातें जो हैं उनके लिये राज्य कर्मचारियों से परामर्श करके जो सही समझें उनको करेंगी, कम से कम इतना वचन दे कर वे ऐसा वातावरण पैदा कर दें जिससे शान्ति के वातावरण में काम हो सके ।

*श्रीमती सुचेता कृपालानी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो दो घंटे से बहस चल रही है मेरे साथियों ने बहुत कुछ उसका जवाब दे दिया है । इसलिये मुझे बहुत ज्यादा जवाब देना नहीं है । मैं कुछ बहुत थकी हुई भी हूं इसलिये ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी । मैं यह बताना चाहती हूं और इसीलिये मुझे सदन में आने में देरी हुई कि इसी वक्त कर्मचारियों ने अपनी स्ट्राइक विदड्रा कर लिया है । (हर्षध्वनि) । और उनके और हमारे बीच में इतना समझौता है कि हर बात हम लोग आपस में तय कर लेंगे । वे कर्मचारी खुद ही इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ऐसे एक्सीडेंट बीच में हो गये जो अशोभनीय हैं । मैं यह आशा करती हूं कि आइन्दा वे ऐसी गलतफहमी में, जिसमें उन्होंने पड़ कर इस तरह के व्यवहार किये, नहीं आयेंगे । मैं इस सदन में एक दफा नहीं, कई दफा कह चुकी हूं कि किसी वक्त भी कर्मचारियों की जो ज्यादा पैसे की मांग है उससे मैंने मुंह नहीं मोड़ा है। अभी किसी तरह से बहुत काफी रकम कर्मचारियों के लिये जो पे कमेटी के अनुसार पे में वृद्धि हुई है, उसके लिये निकाली है; अब फिर दोबारा ज्यादा पैसे के लिये जुटाने में परेशानी हो रही है क्योंकि इसमें साधन जुटाने का प्रश्न है जो बहुत परेशानी की बात है । हम इन सब बातों पर विचार कर रहे थे और सोच रहे थे कि कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाय और कहां से पैसा लाया जाय । इसी झंझट में हम थे और सरकार कोशिश कर रही थी कि १५ तारीख को कर्मचारियों के प्रदर्शन के साथ घटना हो गई जिससे वह सारा मामला उलझ गया । जिस तरह से यह मसला सुलझ रहा था और विचार करके हम लोग सुलझाने का प्रयत्न कर रहे थे और भारत सरकार से धन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे तो इस घटना से कर्मचारियों ने जो इनडिसिप्लिन दिखाई उससे भारत सरकार ने कह दिया कि जब तक यह आन्दोलन इस तरह से चलता है, हम कोई बात सुनने के लिये तयार नहीं हैं । जब तक नार्मलसी रिस्टोर न हो तब तक उन्होंने इस बात पर सोच विचार करने से इन्कार कर दिया । उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक कर्मचारी इस अपने आन्दोलन को वापस नहीं लेते हैं तब तक हम सोचने के लिये तैयार नहीं हैं । अब कर्मचारियों ने इस आन्दोलन को वापस ले लिया है । मैं उम्मीद करती हूं कि सब लोग कल से अपने काम पर वापस आ जायेंगे और अपना काम शुरू कर देंगे ।

इसी बीच विद्यार्थी भी इसमें आ गये और इससे यह समस्या और जटिल हुई । हम नहीं चाहते थे कि कोई इस तरह की घटना हो जिससे सरकार को कोई कदम उठाना पड़े । विद्यार्थियों ने जुलूस निकालने के लिये कहा था और यह भी कहा था कि हम शान्तिपूर्वक जुलूस निकालेंगे । मगर देखा गया कि उसमें बड़े गुन्डा किस्म के लोग भी थे जो लोगों को भड़का रहे थे । वे लोग मौके का फायदा उठाकर बीच में कूद पड़े । उन लड़कों के जुलूस में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुछ गुन्डागर्दी करने वाले लोग भी शामिल हुये और उन्होंने समय का फायदा उठाकर दुकानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया तो पुलिस को कदम उठाना पड़ा। उस पर हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि पुलिस इस तरह से करती है। अगर दुकान नहीं खुलती है तब भी हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि सरकार इन्तजाम नहीं करती। हर तरह से मुश्किल होती है। पुलिस इस तरह से करे तब भी मुश्किल और न करे तब भी मुश्किल है। मैं विरोधी दल के लोगों से यह कहना चाहती हूं कि अगर इस तरह के लोगों के साथ कोई कार्यवाही न की जाय तो फिर कैसे कांग्रेस गवर्नमेंट चले। लोगों को बरगलाना उनका काम है। उस लड़के का नाम इंद्रजीत है। मोतीलाल मेमोरियल के पास उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ। लोगों ने उस लड़के को उठाया और उसे ला कर उसकी परवरिश की। उसे अस्पताल में भरती किया। एक स्टेटमेंट उसके ऊपर निकला है। यह मेरा स्टेटमेंट नहीं है। आप लोगों ने सवाल पूछा और तब ही इस मामले पर रोशनी पड़ी। यह मामला उलझा हुआ नहीं है। यह स्टेटमेंट श्री पी० एन० मसालदान का है जो डीन आफ स्टूडेंट वेलफेयर है। यह अखबार में निकला है। उस लड़के के साथियों ने भी यही बयान दिया है कि वह कार एक्सीडेंट में घायल हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर कोई एक्सीडेंट से मर जाय तो इसमें पुलिस की क्या जिम्मेदारी है। ज्यादा से ज्यादा कहा जा सकता है पुलिस ने लाठी, गोल चलाई, लेकिन पुलिस ने तो सिर्फ टीयरगैस चलाई। लड़के मीटिंग कर रहे हैं, वहां गड़बड़ी होती है, उसको संभालने के लिये पुलिस ने टीयरगैस चलाई। इस तरह से गवर्नमेंट चल नहीं सकती, जिस प्रकार से उसके काम में रोड़े अटकाये जाते हैं। गवर्नमेंट गवर्नमेन्ट लोग चिल्लाते हैं, लेकिन ऐसी चीजों में यह जरूरी है कि ला एंड आर्डर मेनटेन हो।

आज तो हमारा सब से जरूरी काम इकोनामिक सिचुएशन को संभालना है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि एक आन्दोलन खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। पहले यू० पी० बन्द चला, फिर गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स का आन्दोलन चला। वह जब खत्म होने लगा तो विद्यार्थी लोगों का आन्दोलन शुरू हो गया। फिर लेबर आन्दोलन हो जायगा। इन चीजों की जिम्मेदारी किस पर है? हर एक जिम्मेदार व्यक्ति पर इसकी जिम्मेदारी है। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कितनी परेशानी से गुजर रही हूं? अगर डंडे चले, गोली चले तो मुझे कोई खुशी नहीं है। अगर पुलिस खड़ी होती है तो वह इसलिये खड़ी होती है कि लड़कों को बचाये। उन्होंने मार खाई, लेकिन गोली नहीं चलाई। सच्चाई सच्चाई होती है और झूठ झूठ होता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों को छोड़ने की घोषणा भी आप कर दीजिये।

(व्यवधान)

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

विद्यार्थियों को खुद समझना चाहिये, वे समझदार लोग हैं। नेता लोग उनको भड़काते हैं, उसके लिये वे लोग जिम्मेदार हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिये। आखिर वे सभी लोग समझदार हैं। अगर किसी को तकलीफ है तो आइये, आकर हमें समझाइये, उसके लिये कई तरीके हैं। आपको विद्यार्थियों को जाकर समझाना चाहिये। उनके लिये किस की तकलीफ नहीं है। लेकिन आप तो कांग्रेस को ही गाली देते हैं। मैं आजमगढ़ गयी थी, वहां १० हजार आदमी आये थे। लोगों को हम पर विश्वास है, तभी तो हमारे पास आते हैं। आपको विद्यार्थियों को समझाना था, क्या आपने उनको समझाया? लेकिन उनको तो आप कहते हैं कि जरूर तुम भी इस आन्दोलन में हिस्सा लो। उसके लिये कौन जिम्मेदार है? जो भी कुछ अवांछनीय बातें हुईं, गवर्नमेंट सरवेंट्स की तरफ से हुईं, वे सब बेसमझी की वजह से हुईं। मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट सरवेंट्स हमारे अपने हैं। (शोर) मैं आशा करती हूं

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

कि इसके बाद आप लोग ऐसा वातावरण पैदा करने की कोशिश करेंगे कि ऐसी परिस्थिति न पैदा हो ।

(श्री बलवानसिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब टाइम हो गया ।

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद—

अभी ६ नहीं बजे हैं, एक मिनट मेरी घड़ी में बाकी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठे रहें, हमें जाने दीजिये । (व्यवधान)

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद—

सदन जानना चाहता है कि कर्मचारियों को माननीया मुख्य मंत्री ने क्या आश्वासन दिया है । आपके द्वारा मैं माननीया मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वे सदन को इससे अवगत कराएंगी ? अभी दो मिनट बाकी हैं । यह तो सदन का प्रीविलेज है, माननीया मुख्य मंत्री सदन को बतलावें कि सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने क्या आश्वासन दिया है । (व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कर्मचारियों को क्या आश्वासन दिया है, कोई आश्वासन दिया भी है या धोखा दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय समाप्त हो गया । अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्रथल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
२५ जुलाई, १९६६ ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १२५ एल० ए०—१९६६—८४६ ।